लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 54 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. LIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 44—गुरुवार, 21 अप्रैल, 1966/1 वैशाख, 1888 (शक)

No. 44—*Thursday* 21, 1966/*Vaisakha* 1, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1247	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के राज्य मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Ministers of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	7041–44
1248	अन्धे बच्चों की शिक्षा	Education of Blind Children . .	7044–46
1249	राज्यों में बिजली की कमी	Power Shortage in States . .	7046–47
1250	इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, दिल्ली	Indraprastha Power Station, Delhi	7047–48
1251	ब्रह्मपुत्र-गंगा जलमार्ग	Brahmaputra-Ganga Waterway .	7048–50
1252	विदेशों से सहायता	Aid from Abroad . . .	7050–53
1253	मस्जिद नबी करीम	Masjid Nabi Karim . . .	7054–55
1255	भावों में वृद्धि	Rise in Prices	7055–57

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
21	पंजा साहब जानेवाले सिख तीर्थयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार	Ill treatment of Sikh Pilgrims to Panja Sahib	7055–59

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1254	सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास	Development of Border Areas .	7059
1256	नर्मदा नदी परियोजना के संबंध में खोसला समिति का प्रतिवेदन	Khosla Committee's Report on Narmada River Project . .	7060
1257	सेंट्रल कलकत्ता में मदिरालय पर छापा	Raid on Wine-Bar in Central Calcutta	7060
1258	अमरीका में भारत के बारे में विशेषांक प्रकाशित करने के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for bringing out Supplement on India in U.S.A.	7060–61

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1259	काहिरा में एक मजिस्द को दिया गया उपहार	Gift given to a Mosque in Cairo.	7061
1260	वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme . .	7061
1261	योजनाओं सम्बन्धी साहित्य देने की व्यवस्था	Arrangements for Supply of Literature on Plans . . .	7061
1262	राज्यों द्वारा संसाधन जुटाना	Raising of Resources by States	7062
1263	कलकत्ता नेशनल बैंक	Calcutta National Bank . .	7062
1264	श्रमजीवी महिलाओं का होस्टल, नई दिल्ली	Working Girls' Hostel, New Delhi	7062
1265	गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification . . .	7063
1266	राज्यों में बिजली की कमी	Power Shortage in States . .	7064
1267	सोने का भाव	Price of Gold	7064–65
1268	गंगा बसिन में मिट्टी का कटाव रोकने की योजनायें	Plans for Checking Erosion in Ganga Basin	7065
1269	परमाणु-हथियार के प्रभाव से बचने के लिये औषधि	Medicine to Counteract Effects of Nuclear Weapons . .	7065
1270	भारत सेवक समाज द्वारा भूमि का विकास	Development of Land by Bharat Sewak Samaj . . .	7066
1271	सिन्धू जल सन्धि	Indus Water Treaty . . .	7066
1272	चावल का समाहार करने के लिये उड़ीसा को ऋण	Loan to Orissa for Procurement of Rice	7066–67
1273	कृषि सम्बन्धी प्रगति	Progress in Agriculture . .	7067
1274	चीनी उद्योग को ऋण की सुविधायें	Credit Facilities for Sugar Industry	7067
1275	द्विपक्षीय सम्बन्धों की स्थापना	Development of Bilateral Relations	7068
1276	लेखा-बाह्य धन का प्रकटीकरण	Disclosure of Unaccounted Money	7068

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4104	पिछड़ी जातियां	Backward Classes . . .	7068–69
4105	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का केरल का दौरा	Visit of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Kerala . . .	7069
4106	त्रिचूर जिले में सिंचाई की योजनायें	Irrigation Schemes in Trichur District	7069
4107	महाराष्ट्र में अनुसन्धान योजनायें	Research Schemes in Maharashtra	7070
4108	महाराष्ट्र में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिम जातीय विकास खण्ड	S.C. & S.T. Development Blocks in Maharashtra . . .	7070

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4109	महाराष्ट्र में ग्रामोद्योग परियोजनायें	Village Industries Projects in Maharashtra	7070–71
4110	गांवों में वाणिज्यिक बैंक	Commercial Banks in Villages	7071
4111	केरल में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	Slum Clearance in Kerala	7071
4113	केरल में बेघर तथा भूमिहीन लोगों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Homeless and Landless People in Kerala	7072
4114	केरल में मकान बनाने के लिये ऋण का वियतन	Allocation for Housing Advance in Kerala	7072
4115	शिल्पिकों का प्रशिक्षण	Training of Craftsmen	7072–73
4116	रामकृष्णपुरम में भव्य बाजार	Grand Market, Ramakrishnapuram	7073
4117	त्रिवेंद्रम में नाली व्यवस्था कर्मचारियों की मांगें	Demands of Drainage Workers in Trivandrum	7073
4118	इद्दिकी तथा साबरिगिरि परियोजनायें	Idikki and Sabarigiri Projects	7074
4119	मुद्रा में सुधार	Currency Reform	7074–75
4120	महाराष्ट्र में गन्दी बस्तियों को हटाना	Slum Clearance in Maharashtra	7075
4121	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres	7075
4122	मलेशिया, श्रीलंका तथा सिंगापुर से आयात किये गये सामान पर सीमा शुल्क	Customs Duty on Goods imported from Malaysia, Ceylon and Singapore	7075–76
4123	खाद्य अपमिश्रण	Food Adulteration	7076
4124	हाइपरबेरिक चैम्बर्स	Hyperbaric Chambers	7076
4125	कैंसर	Cancer	7077
4126	केरल की वेत्तवा जाति	Vettuva Community in Kerala	7077
4127	नगरीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम	Urban Community Development Programme	7077–78
4128	आय-कर विभाग द्वारा मारे गये छापों में बरामद किया गया धन	Money Recovered during Raids by Income-tax Departmen	7078–79
4129	आनन्दपुर बांध योजना	Anandpur Barrage Scheme	7079
4130	कलकत्ता में छापे	Raids in Calcutta	7079–80
4131	निर्धन खेतिहार मजदूरों को नि:शुल्क कानूनी सहायता	Free Legal Aid to Poor Agricultural Labourers	7080
4132	बम्बई में तस्कर व्यापार	Smuggling in Bombay	7080
4133	राजस्थान में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से वसूल किया गया राजस्व	Revenue Collection from Central Excise in Rajasthan	7080–81
4134	उड़ीसा में बिजली का उत्पादन	Power Generation in Orissa	7081

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4135	उड़ीसा में मलेरिया और फाइलेरिया	Malaria and Filaria in Orissa	7081–82
4136	उड़ीसा से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के रूप में वसूली की गई राशि	Revenue from Central Excise from Orissa	7082
4137	दिल्ली में भिखारी	Beggars in Delhi	7082–83
4138	बम्बई में मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Currency at Bombay	7083
4139	छिपा धन	Unaccounted Money	7084
4140	शेयरों के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति	Downward Trend in Prices of Shares	7084
4141	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	Hindustan Housing Factory	7084
4142	राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र	National Defence Bonds	7085
4143	अन्धे व्यक्तियों को रोजगार	Employment to Blinds	7085
4144	आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण कार्य	Flood Control Measures in Andhra Pradesh	7085–86
4145	चुनीन्दा क्षेत्रों में भूमि सुधार	Land Reforms in Selected Areas	7086
4146	राज्यों में गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी योजनायें	Slum Clearance Schemes in States	7087
4147	दिल्ली में क्षय रोग	T.B. Incidence in Delhi	7087–88
4148	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये धन	Funds for Rural Housing Schemes in U. P.	7088
4149	विश्वविद्यालयों में आन्तरिक अर्हापण	Internal Evaluation in Universities	7088
4150	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण	Pre-Examination Training for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students	7089
4151	ईसाई तथा गैर-ईसाई आदिवासी	Christian and Non-Christian Adivasis	7089
4152	बीर होरस तथा ईसाई आदिवासी	Bir Hors and Christian Adivasis	7090
4153	महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes in Maharashtra	7090
4154	दिल्ली में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का उल्लंघन	Violation of Untouchability (Offences) Act, 1955 in Delhi	7090
4155	पाकिस्तान से आने वाले लोगों से चोरी छीपे लायी गई वस्तुओं का बरामद किया जाना	Smuggled Goods recovered from Persons coming from Pakistan	7090–91
4156	भारतीय शल्य चिकित्सकों (सर्जनों) की बैठक	Meeting of Indian Surgeons	7091

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4157	केरल राज्य बिजली बोर्ड	Kerala State Electricity Board	7091
4158	पंजाब से मलेरिया तथा फाइलेरिया का उन्मूलन	Eradication of Malaria and Filaria in Punjab	7092
4159	पंजाब में तपेदिक की रोक-थाम के उपाय	Anti T.B. Measures in Punjab	7092–93
4160	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company .	7093
4161	राजस्थान में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग	Central Excise Department in Rajasthan	7093–94
4162	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Excise Department, Orissa	7094
4163	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, उड़ीसा	Central Excise Department, Orissa	7094–95
4164	रायगाड़ा (उड़ीसा) में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग का कार्यालय	Central Excise Office at Rayagada (Orissa)	7095
4165	उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग	Central Excise Department in Orissa	7095
4166	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होमियोपेथिक औषधालय	Homoeopathic Dispensaries under C.G.H.S.S. . . .	7095–96
4167	राज्य होमियोपैथिक बोर्ड	State Homoeopathic Boards .	7096
4168	आयुर्वेद का विकास	Development of Ayurveda . .	7096
4169	बिहार के सारन जिले में अनुसूचित आदिम जातियां	Scheduled Tribes of Saran District of Bihar	7096–97
4170	नगरों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Power in Cities	7097
4171	राजस्थान जल सम्भरण कार्यक्रम	Rajasthan Water Supply Programme . . .	7097
4172	आय-कर अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही	Proceedings against an Income-tax Officer	7097–98
4173	केरल में पुस्तकालयों द्वारा बिजली की खपत	Consumption of Electricity by Libraries in Kerala . .	7098
4174	लक्कादीव द्वीपसमूह को बिजली की सप्लाई	Electricity Supply to Laccadive Islands	7098–99

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4175	केरल में गूंगों और बहरों का स्कूल	Deaf and Dumb School in Kerala	7099
4176	शोलायर् परियोजना	Sholayar Project . . .	7099
4177	आदिम जातीय कल्याण योजनायें	Tribal Welfare Schemes . .	7100
4178	केरल में हैजा	Cholera in Kerala . . .	7100–01
4179	पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas . . .	7101
4180	मद्रास राज्य में पिछडे क्षेत्र	Backward areas in Madras State .	7101–02
4181	विदेशों से सहायता	Aid from Abroad . . .	7102
4182	जनसंख्या में वृद्धि	Increase in Population . .	7102–03
4184	मोतीनगर, दिल्ली में झूग्गियों में आग	Fire in Jhuggis in Moti Nagar, Delhi	7103
4185	गोहाटी ताप बिजली घर परियोजना	Gauhati Thermal Power Project	7103
4186	जाली नोट	Fake Currency Notes . . .	7104
4187	"पांच वर्ष तक बच्चे पैदा मत करों"	Five-Year Holiday from Babies .	7104
4188	दिल्ली में नया जल संयंत्र	New Water Plant in Delhi . .	7104–05
4189	दिल्ली में सरकारी अस्पताल	Government Hospitals in Delhi .	7105
4190	पंचवर्षीय योजनाओ में महाराष्ट्र के लिये सिचाई और बिजली के लिये धन नियतन	Plan Allocations for Irrigation and Power to Maharashtra . .	7105–06
4191	स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना	School Health Service Scheme .	7106
4192	भूमिहीन खेतिहार मजदूरों के लिये मकान	Houses for Landless Agricultural Labourers	7106
4193	भारत को कनाडा का ऋण	India's Debt Obligations to Canada	7107
4194	विदेशी मुद्रा का तस्कर व्यापार	Smuggling of Foreign Currency	7107
4195	लावारिस कुत्ते	Stray Dogs	7107–08
4196	उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Power Projects in U. P. . . .	7108
4197	दिल्ली में जल संयंत्र	Water Plant in Delhi . .	7108–09
4198	मैसूर के लिये पेय जल योजनायें	Drinking Water Schemes for Mysore	7109
4199	आदिम जातीय विकास खण्ड	Tribal Development Blocks . .	7109
4200	प्रवर्तन निदेशालय में कर्मचारी	Employees in Directorate of Enforcement	7110

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
मिजो विद्रोहियों द्वारा चाय बागान आदि पर धावे--	Raids by Mizo Hostiles on Tea estates etc.—	
श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah . .	7110
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	7110–11
स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में—	Re: Motion for Adjournment and Calling Attention Notices—	
लुमडिंग रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी में विस्फोट	Explosion in Railway train at Lumding	7114–16, 7136–40
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	7117
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
तिरान्नेववां प्रतिवेदन	Ninety-third Report . .	7117
नागा विद्रोहियों द्वारा अपना गणतंत्र दिवस मनाने के बारे में वक्तव्य—	Statement clarifying position re: Naga Hostiles Celebrating their Republic Day—	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	7118–19
समिति के लिये निर्वाचन—	Election to Committee—	
दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद	Advisory Council of Delhi Development Authority .	7119
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants—	
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation—	
श्री चांडक	Shri Chandak .	7120–21
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himmatsingka . .	7121–22
श्री मुत्तु गौंडर	Shri Muthu Gounder .	7122–23
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki .	7123–24
श्री काशी नाथ पांडे	Shri K. N. Pande . .	7124
श्री जगदेव सिंह सिध्दान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti	7124–25
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . .	7125
श्री कृ० चं० शर्मा	Shri K. C. Sharma . .	7125–26
श्री उइके	Shri Uikey . . .	7126
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	7126
श्री ब्रज बिहारी महरोत्रा	Shri Braj Bihari Mehrotra	7126–27
श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yadab .	7127

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	7127
श्री जसवंत मेहता	Shri Jashvant Mehta . .	7127
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodra Bai Rai .	7128
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . .	7128–29
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	7129–34
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-seventh Report . .	7135

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 21 अप्रैल, 1966/1 वैशाख, 1888 (शक)
Thursday, April 21, 1966/Vaisakha 1, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Conference of State Ministers of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

+

*1247. **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :
Shri Ram Sevak Yadav :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether a conference of the State Ministers of Scheduled Castes and Scheduled Tribes was held in New Delhi in December, 1965 ;

(b) Whether this Conference has recommended the removal of the difficulties in the classification of the scheduled areas ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन ने अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की थी, तो भी कई राज्य मंत्रियों का मत था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियो की सूची में से क्षेत्र सम्बन्धी पाबन्दियां हटा दी जाये ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का पूरा प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री भागवत झा आजाद : सम्मेलन के इस निर्णय के फलस्वरुप कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में से क्षेत्र सम्बन्धी पाबन्दियां हटा दी जायें उसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है, क्या क्षेत्र सम्बन्धी पाबन्दियों को हटाने के लिये किसी विधान अथवा अन्य चीजों की आवश्यकता है, यदि हां, तो इस मामले में आगे कार्यवाही के लिये क्या किया गया है ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : अपने मूल उत्तर में मैंने बताया है कि सम्मेलन ने अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की थी किन्तु, जैसा मैंने बताया, क्षेत्र सम्बन्धी पाबन्दियां हटाने के बारे में सिफारिश की गई थी। जहां तक इसे क्रियान्वित करने का सम्बन्ध है आधे घंटे की चर्चा के उत्तर में मैंने कल भी कहा था कि इस प्रश्न को सुलझाने तथा वर्तमान सूची में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिये हमें विधान प्रस्तुत करना पड़ेगा। हम प्रस्तावित विधान का प्रारूप तैयार कर रहे हैं और इन जातियों तथा आदिम जातियों के संसद सदस्यों तथा राज्य मंत्रियों से इस बारे में विचार-विमर्श किया गया है और एक अथवा दो राज्यों के मामले को छोड़ कर, अन्य राज्यों के बारे में विचार-विमर्श हो चुके हैं। पिछले महीने के दौरान इस सम्बन्ध में हुई चर्चा से उत्पन्न बातों के बारे में हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते है। आशा है ये उलझनें शीघ्रही हल हो जायेंगी और उनका स्पष्टीकरण हो जायेगा। इसके पश्चात तुरन्त ही संसद के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात के बावजूद भी कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन हो रहे हैं और आयुक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे जा रहे हैं, यद्यपि उन पर सभा में चर्चा नहीं की जाती, अनुसूचित आदिम जातियों में इतना असन्तोष व्याप्त क्यों है जिसके कारण गोली-बारी की घटनाएं हो रही हैं। पिछले दो महिनों में आदिम जातियों पर गोलियां चलाये जाने के समाचार हर जगह से मिले हैं। सरकार का आदिम जातियों के सम्बन्ध में क्या करने का विचार है ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये समाज कल्याण विभाग कार्यवाही करता है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हम उनके कल्याण के लिये पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पग उठाते रहे हैं। एक अथवा दो दिन में सभा के समक्ष चर्चा के लिये इस विभाग की मांगें प्रस्तुत की जाने वाली हैं। इस सम्बन्ध में उसी दौरान में विस्तारपूर्वक जबाब दूंगी।

जहां तक आदिम जातीय क्षेत्रों में गोली चलाये जाने आदि घटनाओं का सम्बन्ध है ये क्षेत्र काफी दूर-दूर और अलग-अलग स्थित हैं—वे अन्य लोगों से मेल नहीं रखते। इसके अतिरिक्त ये क्षेत्र पिछड़े हुये हैं।

एक माननीय सदस्य : उनका शोषण किया जा रहा है। (**व्यवधान**)

श्रीमती चन्द्र शेखर : शोषण का प्रश्न भी है। हमने कुछ उपाय किये हैं और साहूकारों, ठेकेदारों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे इन लोगों के शोषण को रोकने के लिये राज्य सरकारों से भी हमने कुछ विधान पेश करने के लिये कहा है। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों का सम्बन्ध है, उन्हें हमेशा सभा-पटल पर रखा जाता है और उन पर चर्चा करना अथवा न करना सभा का काम है।

Shri M. L. Dwivedi : What are the difficulties in the way of classification of Scheduled areas brought to the notice of the Ministry ? Also, since when is this matter under consideration and how long it will take and who are being consulted for the removal of these difficulties ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : मैं क्षेत्र सम्बन्धी पाबन्दियों को हटाने के बारे में बोल रही थी। विभिन्न आदिम जातीय क्षत्रो तथा विभिन्न राज्यों में रहने वाले आदिम जातियो के बारे में इन जातियों के संसद सदस्यों तथा राज्यों के मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के साथ हमारी वार्ताएं हुई थी। हमने राज्यवार बैठकें आयोजित की क्योंकि सूचियां राज्यवार तैयार की जाती हैं। इस सभा के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकतर सदस्यों के साथ हमारी बातचीत हुई है और जिन निष्कर्षों पर हम पहुंचे हैं वे करीब करीब एकमत हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : पाबन्दियां क्या हैं ?

श्री स० चं० सामन्त : मंत्रियों द्वारा ऐसे सम्मेलन बार-बार कैसे आयोजित किये जाते हैं और उनमें किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है ? क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये नियुक्त आयुक्त प्रतिवेदन पर भी चर्चा की जाती है और उस पर निर्णय लिये जाते हैं क्योंकि उस पर चर्चा करने में सभा का समय बहुत लगता है ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : पिछले महिने में सूचियों के पुनरीक्षण के बारे में बैठक हुई थी। आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की गई ।

श्री प्र० चं० बरुआ : पिछड़े हुये क्षेत्रों तथा पिछड़ी हुई आदिम जातियों के विकास के लिये किये गये सभी संभव प्रयत्नों के बावजूद भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बीस साल बाद आज भी हम देखते हैं कि आदिवासियों में असन्तोष तथा अशान्ति है। अविकसित क्षेत्रों को निर्धारित करने तथा उनका विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि वे सन्तुष्ट हो जायें ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : हम पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के कल्याण के लिये क्रमश: धनराशी बढ़ाते रहे हैं, आदिम जातियों के कल्याण के लिये, पिछड़े वर्ग क्षेत्र में, व्यापक कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड खोले गये हैं। इस समय जब कि मेरे पास थोड़ा समय है, मैं पूरी तरह नहीं बता पाऊंगी कि हम उनके कल्याण के लिये क्या-क्या कर रहे हैं। इस विभाग के मांगों पर चर्चा के दौरान, इस सम्बन्ध में व्यापक रूप से प्रकाश डाला जायेगा ।

Shri Bagri : The basic causes of lack of welfare for these tribal people are the real considerations that ought to be looked into. Are Government really giving proper attention to these things ; if they have done it, how far they have succeeded ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : इन क्षेत्रों में आदिम जातीय खण्डा खोल कर तथा विभिन्न अन्य योजनाओं के माध्यम से हम इन पिछड़े वर्गों तथा विशेषत: आदिम जातियों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यदि माननीय सदस्य कोई ऐसा प्रश्न पूछें जो मुख्य प्रश्न पर आधारित न हो, तो मैं पूरी तरह उत्तर नही दे पाऊंगी ।

Shri Ganpati Ram : May I know whether it is proposed to appoint a Commission to go into the question as to how far the Scheduled Castes have benefitted economically and educationally as a result of the various programmes under taken so far ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : उक्त सम्मेलन केवल अनुसूचित जाति के मंत्रियों की ही नहीं थी। इन सम्मेलनों में सदस्य भी थे। यह सम्मेलन 1962 में आयोजित की गई थी—जिस बारे में मैं कई प्रश्नों के उत्तर दे चुकी हूं। इस सम्बन्ध में मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किये जाने का विचार है जो आगामी अन्तर्सत्र (इन्टरसेशन) अवधि में कभी भी हो सकेगा। जहां तक आयोग नियुक्त करने का सम्बन्ध है सभा को विदित है कि श्री इलयपेरूमल संसद-सदस्य की अध्यक्षता में नियुक्त अस्पृश्यता समिति, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम की क्रियान्विति के बारे में पता लगाने के अतिरिक्त इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि आज तक चलाये गये विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरुप अनुसूचित जातियों को आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से कितना लाभ पहुंचा है।

Shri Maurya : May I know whether there is a proposal to take out the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and put them in other places where other people live and take out the other people and put them into areas where the Scheduled Castes live ; is there any such proposal ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

श्री बसुमतारी : मंत्रालय अथवा विभाग को इस बात का पता है कि मैदानी इलाकों के आदिम जातियों और चाय के बगीचों में रहने वाले आदिम जातियों, जिनकी संख्या आसाम में 13 लाख है, के बीच आड़ है ; क्या आगामी सम्मेलन में इस विषय पर विचार-विमर्श किया जायेगा ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : उक्त सम्मेलन में आदिम जातियों से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर विचार किया गया था किन्तु वह कसौटी जिसके आधार पर किसी जाति अथवा आदिम जाति को अनुसूचित सूची में शामिल किया जाता है, स्पष्ट है ; यदि वे अनुसूचित जातियां हैं ; यदि उनके साथ अस्पश्यता का भेद भाव किया जाता है, तो उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। यदि वे अनुसूचित आदिम जातियां है, तो उनमें आदिम जातीय विशेषताएं होनी चाहिये ; चाहे वे बगीचों में रहे या कहीं और, यदि उनमें आदिम जातिय विशेषताएं हैं और यदि वे दूर और अलग रहते हैं और यदि वे किन्हीं अन्य लाभों से वंचित है, तो निश्चित ही उन्हे इस सूची में शामिल किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : शिकायत तो यह है कि प्रश्न बहुत ही लम्बा है और वह प्रश्न के पहले भाग को भूल जाती हैं। फिर, यदि वह लम्बा जवाब देती हैं, तो वह फिर पहले भाग को भूल सकती हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether there are some complaints about the increased expenditure on Scheduled Castes and Scheduled Tribes students ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : कुछ मामलों में हमने छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी है।

Education of Blind Children

*1248. **Shri Bagri** :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Vishram Prasad :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Utiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Liladhar Kotoki :

Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 1990 on the 7th December, 1965 and state :

(a) whether any decision has since been taken on the scheme for education of the blind children ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the funds allotted for this scheme ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Bagri : May I know the maximum amount spent by the Government on the eye treatment of any big gun in India and also the total amount being spent on the rest of the blind persons throughout the country ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : इस प्रश्न का सम्बन्ध स्वास्थ्य मंत्रालय से है। मुख्य प्रश्न अन्धे बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित है।

Shri Bagri : May I know whether any Committee has been set up to find out the causes of blindness which is on the verge of increase ; and if so, whether they have arrived at this conclusion that the major factor responsible for the blindness is barefooted walking because eye-sight is lost due to glare and appressive light of the sun ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : प्रश्न मुख्यत: समेकित कार्यक्रम के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि नंगे पैर फिरने के कारण अंधापन आ सकता है ।

श्रीमती चन्द्र शेखर : हो सकता है । मैं उस बारे में कोई अथोरिटी नहीं हूं ।

Shri Vishram Prasad : Since the honourable Minister says that there is no proper arrangement, I want to know the number of the blind. Does Government want to increase the number of beggars by not giving education to the blind ? I want to know the number of the blind.

Mr. Speaker : Answer should be given only to the question regarding the number of the blind.

श्रीमती चन्द्र शेखर : प्रश्न अंधे बच्चों की शिक्षा के बारे में है । क़रीब 4 लाख स्कूल जाने योग्य बच्चे अंधे हैं ।

Shri Yashpal Singh : A Braille school as also a school for the blind is being run at Dehra Doon. That Dehra Doon School for the blind is very much in papers but it has no existence in Dehra Doon nor has it any accounts there and lakhs of rupees are being spent over it ; Will Government state by what date it proposes to take steps that it actually starts functioning in Dehra Doon ?

Mr. Speaker : On the one hand the honourable Member states that a School of that kind is fuctioning in Dehra Doon and on the other hand he enquires whether the Minister knows about its functioning :

श्रीमती चन्द्र शेखर : श्रीमानजी, मुझे बहुत खेद है कि माननीय सदस्य देहरादून के निकट के इलाके से आये हैं फिर भी उन्हें यह पता नहीं कि एशीया का सब से अच्छा स्कूल वहां पर है । मैं चाहती हूं पहले माननीय सदस्य देहरादून जा कर अंधों के लिये सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल को देखें । वहां विदेशी बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है ।

Shri Yashpal Singh : I live there at that very place. I know . . . (**Interruptions**) Please tell me the name of the Principal of that School, names of those who constitute its managing Committee.

Mr. Speaker : On the one hand you so much sympathise and on the other hand you start speaking.

Shri Vishwa Nath Pandey : No decision has so far been taken regarding the education by the blind children and this matter has been under consideration of the Planning Ministry. I want to know the reasons for delay in taking a decision on this matter. By what date a decision is expected to be taken ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : ऐसा नहीं है कि अंधे बच्चों की शिक्षा के बारे में निर्णय में विलम्ब हुआ है । हमारे देश में पहले ही 115 स्कूल हैं, यद्यपि यह संख्या कुछ अधिक नहीं है, परन्तु मेरा अनुमान है कि क़रीब 5,000 बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजा जा सकता है । क्वाला लम्पूर में एक सम्मेलन हुआ था जहां उन्होंने यह सुझाव दिया था कि सामान्य स्कूलों को अंधे बच्चों के लिये उपयोग किया जाना चाहिये ताकि पांच वर्षों के अन्दर कम से कम दुगुने अंधे बच्चों को शिक्षा दी जा सके ।

श्री लीलाधर कटकी : क्या सरकार को पता है कि देश में अंधे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर ऐच्छिक संगठनों द्वारा की जाती है, परन्तु उनको आवर्ती तथा अनावर्ती मागों को पूरा करने के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है । यदि हां, तो क्या सरकार या विचार है कि उनको दी जाने वाली माली सहायता में कुछ वृद्धि की जाए ताकि जो थोड़े से स्कूल अंधे बच्चों की शिक्षा के लिये चलाये जा रहे हैं वे और अच्छी तरह चलाए जा सकें ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : मेरे पास पूर्ण विवरण नहीं है परन्तु जहां तक मुझे स्मरण है मैं यह कह सकती हूं कि सरकार अनेक ऐसे स्कूलों को सहायता दे रही है जो अंधों को शिक्षा देते हैं ।

राज्यों में बिजली की कमी

+

*1249. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री मधु लिमये :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती शारदा मुकर्जी
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री तिरूमल राव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में बिजली पैदा करने की कुछ अतिरिक्त क्षमता तैयार की गई है ;

(ख) क्या कुछ दूसरे राज्यों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असंतुलन को ठीक करने तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) अतिरिक्त उत्पादनक्षमताओं के लिये स्वीकृति दे दी गई है । एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली ले जाने के लिये क्षेत्रीय ग्रिडों में तेजी लाई जायेगी । प्रत्येक राज्य में बिजली की मांगों को पूरा करने के लिये और कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

Shri R. S. Pandey : Has anything been done about stoppage of supply of power to Madhya Pradesh and neighbouring states on account of reduction of water in the Chambal river ? The industries have suffered a lot on account of stoppage of Power ?

डा० कु० ल० राव : यह असमान्य वर्ष रहा है और जैसा कि माननीय सभा को पता है, अनावृष्टि के कारण चम्बल में पानी कम हो गया था । अतः चम्बल में कम बिजली उत्पन्न हो सकी ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जब कभी कम वर्षा हो अथवा वर्षा बिल्कुल न हो तो भी बिजली बनाई जा सके ?

डा० कु० ल० राव : जब कभी पन-बिजली के बनने में कमी होती है तो हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ताप बिजली स्टेशन से बिजली की कमी की पूर्ति की जा सके । इसके लिये हमें उचित ग्रिड (Grid) लाइन को तथा पारेषण लाइन को मिलाना पड़ता है । चौथी योजना में इसका लक्ष्य रखा गया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has Government estimated the loss in production that has occurred as a result of shortage of power ? Is it a fact that in order to provide villages with electricity, poles have been provided upto villages but due to non-availability of wires they have not been getting power supply ? If so, is Government taking steps to get adequate supply of wire ?

डा० कु० ल० राव : इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण बिजली में कमी हुई और करीब 18 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष राजस्व के रूप में क्षति हुई है और इसके अतिरिक्त रोजगार तथा अन्य बातों पर भी असर पड़ा है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है यह सत्य है कि हमें ग्रामों में अधिक बिजली पहुंचानी चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is a scarcity of wires. Poles have been fixed all the way upto villages but what steps has Government, been taking to meet the scarcity of wires ? Answer has not been given to this question.

डा० कु० ल० राव : मैंने भी यही कहा है। ग्रामों में बिजली पहुंचाने के लिये तारों की आवश्यकता है और ग्रामों में पहुचाने के लिये अन्य कार्य भी करने हैं। इस बारे में हमें ग्रामों में बिजली पहुंचाने से सम्बधित कार्यक्रम को और बढ़ाना है और हम इस कार्य में लगे हुए हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I most humbly submit that my question was quite clear and to the point that there is scarcity of wires . . .

Mr. Speaker : He is saying that there is scarcity of wires.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is being done about it ? Wires are being manufactured or imported ?

Mr. Speaker : This question does not arise. Shri Barupal.

Shri P. L. Barupal : Has it been brought to the notice of Government that there is a shortage of power due to scarcity of water in the Bhakra Nangal Dam and pople in Bikaner and other places in Rajas than have been served with notices to use half the number of units of power than what has been approved and they have been warned that if they would consume work power their mains will be disconnected ?

डा० कु० ल० राव : भाखड़ा में पानी की कमी के कारण राजस्थान पर कोई असर नहीं पड़ा था। राजस्थान में बिजली की कमी चम्बल में पानी की कमी के कारण हुई थी।

Shri Yashpal Singh : Has Government considered the fact that the generation hydro-electric power depends mainly on water ? By when do we hope to have thermal power stations and by how many are we short of them ?

डा० कु० ल० राव : बिजली उत्पादन कार्य के विकास के मामले में पन-बिजली का आर्थिक योगदान है। वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें इस प्रकार का संतुलन रखना है कि वर्षा की कमी के दौरान ताप बिजली पन बिजली की कमी की पूर्ति कर सके। और यही किया भी जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस सम्बन्ध में स्थिति स्थिर हो जायेगी।

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर, दिल्ली

*1250. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री इन्द्रप्रस्थ बिजली-घर, नई दिल्ली में आग लगने की घटना के बारे में 9 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न सं० 769 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा की जा रही जांच का प्रतिवेदन इस बीच मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां तथा निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० क० ल० राव) : (क) जी हाँ

(ख) पुलिस ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में जो निष्कर्ष दिये हैं उनके अनुसार पुलिस निश्चयपूर्वक नहीं बता सकी है कि आग की दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई। परन्तु वे संतुष्ट हैं कि इस दुर्घटना में जानबूझ कर अथवा भूलचूक से कोई अपराधिक काम नहीं हुआ है।

(ग) जांच करते समय कुछ प्रशासनिक त्रुटियां पाई गईं। इन त्रुटियों के लिये उत्तरदायी 13 अधिकारियों से जवाबतलबी की गई है और दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम द्वारा इनकी अभी जांच की जा रही है। बिजली-घर में सुरक्षा तथा आग बझाने के प्रबन्धों में सुधार ला कर उनको सुदृढ़ कर दिया गया है।

Shri Vishwa Nath Pandey : The statement laid on the table states :

"The police could not establish conclusively the exact circumstances that led to the fire accident."

This statement cleary shows that even police equiry has not been able to obtain the facts. Does Government propose to have a judicial enquiry in order to get the facts ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में पुलीस ने विस्तृत जांच की है और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस दुर्घटना में कोई जानबूझ कर अकरण अथवा करण त्रुटि नहीं हुई है । अत: मेरे विचार में अग्रेतर जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और इन कमियों को अब सुधारा जा रहा है ।

Shri Vishwa Nath Pandey : Part C of the honourable Member's statement says :

"During the course of investigations certain administrative lapses were found."

Does Government propose to take specific steps against those who are responsible for the administrative lapses ? Does Government also propose to take any active steps ?

डा० कु० ल० राव : उत्तर में यह जानकारी दी हुई है । मैंने निवेदन किया है कि जो कमियाँ थीं वे उचित प्रकार से स्टोर करने, उचित निगरानी करने, तथा आग बुझाने के लिये उचित सुविधाओं के बारे में थीं । इसमें 13 अफसर फंसे हुये हैं जिनमें अधिकतर स्टोर-कीपर, विजिलेंस अफसर तथा सुरक्षा गार्ड आदि हैं । उनसे जवाब तलब कर लिये गये हैं ।

Shri Siddheshwar Prasad : There is contrast what the honourable Minister has said in the statement and what he has said in reply to the supplementary question. He has stated in the statement :

"According to their findings and conclusions in the final report the police could not establish conclusively the exact circumstances that led to the fire accident."

After that the honourable Minister says that there is no need of an equiry. Keeping in view what has been stated in the statement, I want to know what steps Government propose to take in order to find out the actual cause of fire and the extent of damage resulting therefrom ?

डा० कु० ल० राव : मैं कारण स्पष्ट रूप से बता चुका हूं और यह भी बता चुका हूं कि पुलिस ने किन कमियों का पता लगाया है । उत्तर मेरे कथन के बिलकुल अनुरूप है । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि इसमें कोई करण अथवा अकरण आपराधिक कार्य नहीं हुआ था और अन्य कारण अधिकतर प्रशासनिक कमियों से सम्बन्धित हैं ।

Brahmaputra-Ganga Waterway

+

***1251. Shri R. Barua :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have finalised the scheme to take out a wide canal from Brahmaputra and link it with the Ganges at Bhagalpur for the purpose of navigation ;

(b) if so, the amount to be spent for that purpose and the extent to which this waterway will be useful and economical; and

(c) when the construction work will start ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पश्चिम बंगाल में गजलेदोबा के निकट तीस्ता नदी के ऊपर एक बराज बनाने की स्कीम पर सरकार विचार कर रही है जिसके दाईं ओर एक नहर होगी जो फरक्का पर गंगा नदी से जा मिलेगी और जिसके बाईं ओर भी एक नहर होगी जो असम में धुब्री पर ब्रह्मपुत्र से जा मिलेगी। इस प्रणाली से ब्रह्मपुत्र का गंगा से तीस्ता के रास्ते सम्पर्क स्थापित हो जाएगा ।

(ख) और (ग) : चूंकि अभी तक किये गये अनुसन्धानों से पता चलता है कि परियोजना पर बहुत खर्च आ जाएगा, इसलिये महानंदा नदी का वाहक चैनल के रूप में प्रयोग करने के लिये अतिरिक्त वैकल्पिक अनुसन्धान किये जा रहे हैं। इस स्कीम की लागत का तब पता चलेगा जब ये अनुसन्धान पूर्ण हो जाएगें । इस परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रश्न बाद में उठेगा ।

श्री रा० बरुआ : इस बात को ध्यान रखते हुए कि इस नहर पर लगाये जाने वाले धन को 50 वर्षों में इस से होने वाली आय में से लौटाया जा सकेगा, क्या सरकार इस परियोजना के बारे में अग्रेतर छानबीन करने के लिये तैयार है ?

डा० कु० ल० राव : अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस पर आने वाली लागत इस से होने वाली आय से पूरी हो सकेगी। अभी तो केवल इस बात का पता लगाया गया है कि इस परियोजना पर बहुत अधिक खर्च आयेगा। हम अब इस बात का पता लगा रहे हैं कि इसे अधिक लाभकारी कैसे बनाया जा सकता है और इसे सम्भव बनाने के लिये क्या कदम उठाये जाने चाहिये ।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार का विचार इस सारे मामले की जांच कराने के लिये विदेशी सहयोग प्राप्त करने का है ?

डा० कु० ल० राव : इस मामले में हमें विदेशी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बहुत ही सरल कार्य है और हम इसे अपने आप ही कर सकते हैं ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या बर्मा और मिज़ो हिल्स की सीमा में कालधन पर बांध बना कर कालधन, घालेस्वर, बेरावी तथा संरंग नदियों से एक वैकल्पिक नदी मार्ग बनाने के लिये क्या जलग्राफ सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

डा० कु० ल० राव : इस मामले पर अभी गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है । अब इस की छानबीन की जायेगी ।

श्री विश्वनाथ राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने ब्रह्मपुत्र को गंगा नदी से मिलाने की योजना को स्वीकार कर लिया है, क्या सारे देश में जहां ऐसा करना सम्भव है इस प्रकार के जलमार्गों को बनाने के लिये कोई बड़ी योजना तैयार की जा रही है ?

डा० कु० ल० राव : जहां कहीं भी ऐसा करना सम्भव और साध्य है, वहां पर विभिन्न नदियों को मिलाने के लिये समय समय पर सर्वेक्षण किया जाता रहा है । ब्रह्मपुत्र तथा गंगा को मिलाने की इस परियोजना के बारे में पिछले कई वर्षों से सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

श्री हेम बरूआ : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि गंगा को ब्रह्मपुत्र से मिलाने के लिये नहर पर बहुत अधिक खर्च आयेगा और सरकार इस परियोजना की आर्थिक स्थिति पर विचार कर रही है । इस जांच के पश्चात यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अनुमानित खर्चे को कम करना सम्भव नहीं है तो क्या सरकार इस योजना को छोड़ देगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : हम इस बात का पता लगाने का यत्न कर रहे हैं कि इन दो परियोजनाओं में से, जो विचाराधीन हैं, कौनसी लाभकारी रहेगी। यदि हम देखेंगे कि दूसरी परियोजना, जिस के बारे में अब सर्वेक्षण किया जा रहा है, अधिक लाभकारी है तो हमे उसे अवश्य क्रियान्वित करेंगे।

श्री रंगा : यदि इन में से कोई भी लाभकारी नहीं होगी तो क्या किया जायेगा ?

श्री हेम बरुआ : श्रीमान, जब राज्य मंत्रीने इस नहर विशेष के बारे में अपना उत्तर दिया तो उन्होंने यह नहीं बताया कि दो वैकल्पिक योजनायें विचाराधीन हैं ?

श्री फखरुदीन अहमद : एक वैकल्पिक योजना के बारे में भी छानबीन की जा रही है।

श्री बसुमतारी: मंत्री महोदय ने अभी बताया कि अन्य परिवहन साधनों की तुलना में जलपरिवहन सस्ता है और यदि हां, तो इस क्षेत्र की सहायता के लिये इस क्षेत्र में जलपरिवहन की व्यवस्था करने में क्या अड़चन है ?

श्री फखरुद्दीन अहमद : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने मेरे साथी द्वारा कही गई बात को ठीक तरह से नहीं समझा है। एक योजना के बारे में जाँच पहले ही हो चुकी है। एक वैकल्पिक योजना भी विचाराधीन है अब पता यह लगाना है कि कौनसी योजना अधिक सस्ती पड़ेगी। जो सस्ती पड़ेगी उस पर विचार किया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : इनमें से कोई योजना कब पूरी हो जायेगी और क्या ये नौवहन सुविधायें भागलपुर और इस से भी आगे तक दी जायेंगी अथवा इन्हें केवल बंगाल और आसाम तक ही सीमित रखा जायेगा ?

श्री हेम बरुआ: श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, क्या आप यह आशा नहीं करते हैं कि किसी सदस्य को सारे देश के बारे में दिलचस्पी लेनी चाहिये अथवा क्या आप चाहते हैं कि वह केवल भागलपुर में ही दिलचस्पी लें ?

अध्यक्ष महोदय : भागलपुर का इस प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

डा० कु० ल० राव : जब फरक्का बैरिज बन जायेगा तो उसके पश्चात भागलपुर से आगे तक भी व्यवस्था की जा सकेगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन को केवल ब्रह्मपुत्र तक ही सीमित रखने से उत्तर बंगाल, आसाम, नागालैंड, नेफा, मनीपुर, त्रिपुरा तथा ऐसे अन्य प्रदेशों में और इस मामले में भागलपुर में भी परिवहन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो क्या मंत्रालय का विचार परिवहन सुविधा देने की इस योजना को उच्चतम प्राथमिकता देने का है जिससे इस विस्तृत सामरिक महत्व के क्षेत्र में परिवहन की कठिनाई दूर हो सके ?

डा० कु० ल० राव : निश्चय ही ऐसा किया जायेगा। इन सभी योजनाओं की जांच की जायेगी और यदि यह लाभकारी होगी तो इन्हे निश्चय ही क्रियान्वित किया जायेगा।

विदेशों से सहायता

+

*1252. **श्री म० ला० त्रिवेदी** :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिये "एड इंडिया कसोर्शियम" (भारत सहायता देश समूह) के देशों ने भारत को पुनः सहायता देना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और सहायता किस तिथि से पुनः आरम्भ की गई है और कितनी मात्रा में तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6114/66]**

Shri M. L. Dwivedi : Mr. Speaker, it is very surprising that in a reply to question, no mention has been made in regard to the news published in the newspaper where in it was stated that America has stopped all aid and it would remain stopped till June. Is this not disregard to the House ?

Mr. Speaker : The hon. Member may ask his question.

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know whether the aid stopped by America and U. K. at the time of conflict with Pa kistan has been resumed since then or there is any likelihood of its being resumed ? May I know by what time this aid would be resumed if there is any likehood of it's being resumed ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा कि मैं पहले ही अपने वक्तव्य में बता चुका हूं कि हमें 10 करोड़ डालर की मि० हम्फरी के यहां आने पर सहायता मिली है परन्तु जहां तक बन्द की गई सहायता का सम्बन्ध है वह अभी चालू नही की गई है । जैसा कि सभा को अवगत है इस समय मेरे एक साथी अमरीका में हैं और वह इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं ।

Shri M. L. Dwivedi : May I know the reasons advanced by America for not resuming the aid till the end of June ? Whether it is also a fact that America would look into each and every scheme before giving us aid and whether integrity and honour of the country would not be hurt thereby ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहा तक बन्द की गई सहायता का सम्बन्ध है हम उसको लेने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और जहां तक भविष्य में सहायता की शर्तों का सम्बन्ध है इस समय उन पर बातचीत चल रही है । इस समय मेरे एक साथी वहां इस विषय पर बातचीत कर रहे है और सार्थ संघ इस वर्ष में किसी समय इस मामले पर विचार करेगा । यह समाचार पहले ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है कि मेरे साथी इस विषय पर अमरीका की सरकार तथा विश्व बैंक, जोकि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है और ऋण देने तथा लेने वालों के हितों का ख्याल करती हैं, से बातचीत कर रहे हैं ।

श्री दाजी : प्रश्न यह था कि अमरीका ने सहायता न देने के क्या कारण बताये हैं । यह एक विशिष्ट प्रश्न था । हम इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं ।

Mr. Speaker : As Swamiji has already stated that we want to be respected even while begging.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या अमरीका में ऐसे संकेत दिये हैं कि भारत को आर्थिक सहायता तभी चालू की जा सकती है जब कि वह विश्व बैंक द्वारा सुझाये गये कुछ सुधार करे ? बिश्व बैंक ने क्या सुधार करने को कहा है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा मैंने बताया है कि इस समय इस समस्त विषय पर बातचीत चल रही है । बातचीत की समाप्ति पर हमें कुछ पता लगेगा और हम सभा को बता सकेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री ने अपने साथी का उल्लेख किया है जोकि इस समय सहायता लेने के लिये अमरीका गये हुए हैं । क्या अमरीका में गये हुए उनके साथी विश्व बैंक और अमरीका के राष्ट्रपति के सम्मुख वे योजनाएं रखेंगे जोकि अभीतक देश तथा सभा के सम्मुख नही रखी गई हैं अथवा क्या वह किसी वर्ष और मद विशेष के लिये सहायता मांग रहे हैं ? क्या वह समूची चौथी पंचे वर्षीय योजना के लिये सहायता मांग रहे है जिसके बारे में संसद अथवा इस देश को कुछ पता नहीं हैं । वह किस प्रकार की अथवा किस प्रयोजन के लिये सहायता मांग रहे हैं?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक चौथी योजना का सम्बन्ध है माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि इसको अभी सभा के सम्मुख नहीं रखा गया है और इसलिये सम्भवत: विश्व बैंक के साथ इस योजना के बारे में बातचीत नहीं की जा सकती । चौथी योजना, जो कि 4700 करोड़ रुपये की है, के ब्योरे के बिना ही हम अपनी निधियों के अनुसार देश की आवश्यकतायों के बारे में बातचीत कर रहे हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में बताया गया है कि कनाडा ने 14–12–65 को कलकत्ता बन्दरगाह के लिय रेलवे इंजनों के निर्माण के लिये 24 लाख डालर को मंजूरी दे दी है । क्या ये विशेष प्रकार के इंजन हैं जो कि आयात किये जा रहे है अथवा इन रेलवे इंजनों के देश में ही बनाये जाने की कोई सम्भावना है क्योंकि रेलवे इंजन बनाने में हम आत्मनिर्भर हैं ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहा तक रेलवे इंजनों के देश में ही निर्माण का सम्बन्ध है इस पर ध्यान दिया जायेगा । परन्तु यहां ऐसी सम्भावना नहीं होती तो हमें इनका आयात करना पड़ता है ।

श्री रा० बरुआ : कुल कितने रुपये की सहायता बन्द कर दी गई थी और सहायता पुन: चालू न करने के क्या कारण हैं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के कारण इन चार देशों ने सहायता बन्द कर दी थी । कारण यह बताया गया था कि वे भारत और पाकिस्तान को सहायता देना नहीं चाहते जिससे कि संघर्ष को प्रोत्साहन मिले ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : तीसरी योजना के दौरान सार्थ संघ ने कुछ राशि देना मंजूर किया था परन्तु हमने वह राशि नहीं ली थी और हमें वचनबद्ध होने का शुल्क देना पड़ा था । इन देशों को वचन-बद्ध शुल्क के रुप में हमने कितनी विदेशी मुद्रा दी थी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं मालूम करके सभा को बताऊंगा ।

श्री दाजी : कारण यह बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान में संघर्ष चल रहा है । ताशकंद घोषणा के बाद भी सहायता चालू न करने के क्या कारण बताये गये हैं । क्या यह सच है कि भविष्य में अमरीका विश्वबैंक की मार्फत सहायता देने पर विचार कर रही है और न कि एक सरकार द्वारा दुसरी सरकार को सहायता देने के सिद्धान्त पर ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : नहीं महोदय । इस समय बताया यह गया है कि हो सकता सहायता सार्थ संघ द्वारा दी जाये और इसलिये हो सकता है कि विश्व बैंक से हमारे प्रस्तावों की जांच करने तथा उसपर अपनी राय देने के लिये कहा जाये । अमरीका में ऐसी कोई बात नही कही गई है कि भविष्य में सरकार द्वारा सरकार को सहायता के सिद्धान्त अर्थात अमरीका सरकार द्वारा भारत सरकार को कोई सहायता नहीं दी जायेगी । ऐसी कोई बात नहीं कही गई है ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्धका यह कारण बताया गया है कि अमरीका ने हमें दी जाने वाली सहायता को दूसरे परियोजनायों के लिये लगा दिया गया है । इस विषय पर इस समय भी मेरे साथी द्वारा अमरीका में बातचीत की जा रही है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रुस तथा दूसरे पूर्वी युरोप के देशों की तुलना में भारत सहायता संघ द्वारा भारत को प्रतिव्यक्ति कितनी सहायता दी गई है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं नहीं जानता कि उनका प्रतिव्यक्ति से क्या अर्थ है। क्या उनका अर्थ जनसंख्या के प्रतिव्यक्ति से है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, जनसंख्या ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मेरे पास आंकड़े नहीं है। मुझे पता लगाना होगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने इन ऋणों के भुगतान तथा उनको लगाने सम्बन्धी देश की क्षमता का तथा लगातार लिये जा रहे ऋणों से उत्पन्न होने वाली मुद्रा स्फीती की स्थिति का भी अध्ययन किया है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह अपनी अपनी राय की बात है। मैं डा० सिंघवी से सहमत नहीं हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रश्न का अध्ययन किया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि हर चीज हज़म की जा सकती है और हर चीज हज़म की गई है ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : भुगतान के बारे में अभी विचार किया जा रहा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार ने ऋण देने वाली विभिन्न एजन्सीयों विशेषकर अमरीका और इंग्लड से सेवा भार तथा ब्याज की दर कम करने को कहा है जोकि विकास कर रहे देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत अधिक है और क्या इंग्लैण्ड ने पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दौरान जिन फालतू पुर्जों की सप्लाई रोक दी थी उनकी सप्लाई पुनः चालू कर दी है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इंग्लैण्ड तथा दूसरे देश अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण नहीं हैं। हम सदा अन्तर्राष्ट्रीय संसार में सबसे अच्छी शर्तों पर ही ऋण लेने का यत्न करते है। फालतू पूर्जे लेने के बारे में इंग्लैण्ड से सहायता लेने के लिये बातचीत चल रही है । आशा है बातचीत सफल होगी ।

श्री अ० प्र० शर्मा : एक ओर तो हम रेलवे इंजनों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने वाले है फिर क्या कारण है कि हम स्माल पोर्ट कमिशनर रेलवे के लिये रेलवे इंजन निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं नहीं कह सकता कि हम इंजन निर्माण करने की स्थिति में नहीं है। मैंने यह कहा था कि जहातक इस इंजन के निर्माण का सम्बन्ध है इसका निर्माण यहां पर ही किया जायेगा, परन्तु यदि किसी विशेष प्रकार के इंजनों की आवश्यकता हुई तब वे कनाड़ा से लेने होंगे ।

श्री अ० प्र० शर्मा : विशेषतः क्या है ? मैं यही जानना चाहता हूं ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : हमारे यहां रेलवे इंजन बनाने की क्षमता है। यदि कोई विशेष रेलवे इंजन जिसका निर्माण इस देश में नहीं किया जा सकता वह हमें कनाडा से लेना है ।

Masjid Nabi Karim

+

*1253. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Masjid Nabi Karim situated on Bahadur Shah Zafar Road, New Delhi, which was a protected monument, was deprotected sometime back ;

(b) if so, the date as well as the basis on which a decision to this effect was taken;

(c) whether an Office of Jamiat-ul-Ulema is located in this historical mosque or in any part thereof;

(d) whether some Muslim organisations or persons have submitted any memorandum to Government against such deprotection ; and

(e) if so, the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Urban Development (Shri Bhagwati) : (a) Yes.

(b) The monument was deprotected on the 18th June 1962 by the then Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs (now the Ministry of Education) on the recommendation of the Standing Committee of the Central Advisory Board of Archaeology.

(c) Yes.

(d) No, not against deprotection but against the misuse of the mosque by the Jamiat.

(e) Does not arise.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister just now said that on the advice of the Standing Committee this has been deprotected. May I know whether the Committee also advised that after it has been declared as deprotected it should be handed over to Jamiat-ul-Ulema for carrying on such like political activities ?

श्री भगवती : जी हां, उस समय प्रधान मंत्री के सचिवालय और वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ने भी यह सिफारिश की थी कि इस मस्जिद की देखभाल और इसका प्रबन्ध जमैयत उल-उलमा को सौंप देना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri : The Prime Minister's Secretariat ought not have recommended for any organisation as such. What steps have been taken by Government to ensure that this is not made the centre of political activities ?

श्री भगवती : जमैत-उल-उलमा हिन्द इस मस्जिद की हालत में सुधार कर रही है । उसने कुछ पैसा भी खर्च किया है और जहां तक हम जानते है अब जनता भी उस मस्जिद को इबादत के लिये प्रयोग करती है । मैं नहीं समझता कि उसने किसी राजनीतिक प्रयोजन के लिये इसका प्रयोग किया ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Who was the Minister of this Department at the time this mosque was declared deprotected ? Was any pressure brought to bear from the above for deprotecting it ?

श्री भगवती : इस प्रकार आरोप लगाना उचित नहीं है। श्री हुमायूं कबीर उस समय मंत्री थे। मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जिन परिस्थितियों में एक संरक्षित स्मारक से संरक्षण हटा दिया गया था और बाद में उसे एक ऐसी संस्था को दे दिया गया जिसने हाल ही में यहां तक कह दिया कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों के साथ सौतीली मां का सा व्यवहार कर रही है व परिस्थितियां बहुत ही संदिग्ध हैं। क्या माननीय मंत्रीने मामले की जांच की है और क्या वह यह कहने के लिये तैयार हैं कि संरक्षण हटाते समय कोई राजनीतिक दबाव नहीं डाला गया, और क्या यह सच नहीं है कि संरक्षण केवल इसलिये हटाया गया था कि मस्जिद को जमैत-उल–उलका हिन्द को दिया जा सके।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की टिप्पणी की गई है। किसी स्मारक का संरक्षण या असंरक्षण निर्माण तथा आवास मंत्रालय का काम नहीं है। जहां तक मुझे स्मरण है इस स्मारक को बहुत समय से एक संरक्षित स्मारक समझा जाता था, परन्तु कुछ वर्ष हुए मंत्रालय ने यह निर्णय किया कि यह स्मारक इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसको यह विशेषाधिकार दिया जाये और इसलिये इस पर से संरक्षण हटा लिया गया था। ज्यों ही संरक्षण हटा लिया गया भूमि निर्माण तथा आवास मंत्रालय को वापस मिल गई। जिन लोगों को यह मस्जिद बराय नाम किराये पर पट्टे पर दी गई है उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मस्जिद में जो भी मरम्मत और सुधार आदि किया गया है वह संबंधित मंत्रालय के पूरे अनुमोदन के साथ किया गया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि माननीय मंत्री यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि संरक्षण किन परिस्थितियों में हटाया गया तो संबंधित मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये। इस प्रकार जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुटाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अलग सूचना दी जा सकती है।

भावों में वृद्धि

\+

***1255. श्री यशपाल सिंह : श्री हुकम चंद कछवाय :**
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री बड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966–67 का आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् वित्तीय प्रस्ताव का भावों की वृद्धि पर हुए प्रभाव के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह अनुमान क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) चीनी के उत्पादन शुल्क में 8.35 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो वृद्धि की गयी है, चीनी के नियंत्रित मूल्यों में पूरी की पूरी उतनी ही वृद्धि कर दी गयी है। धागे और कपड़े के उत्पादन-शुल्कों में वृद्धि किये जाने के कारण, नियंत्रित मूल्य के कपड़े की कीमतों में, कपड़े की भिन्न-भिन्न किस्मों के अनुसार, 1.5 से 4 प्रतिशत तक वृद्धि होने का अनुमान है; लेकिन कपड़े की कीमतें इससे भी अधिक बढ़ी हैं, क्योंकि कपड़े की लागत के बढ़ जाने से 1 अप्रैल से कीमत में कुछ और वृद्धि किये जाने का अधिकार दे दिया गया है।

लोकप्रिय किस्म के सिगरटों के खुदरा मूल्यों में 10 सिगरटों के प्रत्येक पैकेट पर 3 पैसे से 5 पैसे तक वृद्धि हुई है। डीज़ल तेल के (जिसका अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया) उत्पादन-शुल्क में 60 रुपया

प्रति किलो लिटर की जो वृद्धि की गयी है, डीज़ल तेल के मूल्यों में पूरी की पूरी उतनी ही वृद्धि हो गयी है। जिन अन्य वस्तुओं के उत्पादन-शुल्क में वृद्धि की गयी है, उन पर भी यह बात लागू होती है। अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन-शुल्कों और अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर में हुए परिवर्तनों से मूल्य-स्तर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत बढ़ गया है।

श्री रंगा : आधा प्रतिशत? मिट्टी के तेल और डीजल तेल के संबंध में क्या स्थिति है ?

Shri Yashpal Singh : What has been the rise in price index this year over that of the last year ?

Shri B. R. Bhagat : The whole sale price index as on 26th February, that is, prior to the presentation of the Budget was 159.7 and on 5th March, that is, immediately after the presentation of the Budget it rose to 170.4.

Shri Yashpal Singh : Are Government aware that Kerosene oil is now being sold in villages at the rate of Rs. 2.00 per bottle where as previously it used to be sold at the rate of 4 annas per bottle, if so the steps being taken by Government to bring down its price ?

Shri B. R. Bhagat : It is not wholly due to Budget. There are other reasons also for it.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The practice followed in Western Countries is that if the prices rise due to scarcity, people have to bear it, but if they rise due to deficit financing, the Government has to bear its burden. Do Government propose to follow this practice ?

Shri B. R. Bhagat : When any change is made in the fiscal policy, all these factors are taken into consideration.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये कुछ समय पहले दुकानों पर मूल्यों की सूचियां लटकाने की जो व्यवस्था चालू की गई थी उसे अब छोड़ दिया गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे सूचना चाहिये।

Shri Rameshwaranand : The prices of all the Commodities are rapidly rising and the Government is not taking any steps whatsoever to check them. May I know the steps Government propose to take to bring down the prices, if, not of all the Commodities at least, of the essential Commodities ?

Shri B. R. Bhagat : The main question relates to the rise in prices due to the fiscal policy. So far as the general question of rise in prices is concerned, it is mainly due to shortage of consumer goods. Therefore it is necessary to increase the production to bring down the prices.

Shri Rameshwaranand : Will you be able to do anything ?

Shri B. R. Bhagat : Efforts are being made.

श्री कपूर सिंह : मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसके लिये माननीय वित्त मंत्री और उनका बजट कहां तक ज़िम्मेदार है।

श्री ब० रा० भगत : केवल आधा प्रतिशत।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि थोक तथा खुदरा मूल्यों में इतना अधिक अन्तर है कि एक आम आदमी के लिये अपनी आमदनी पर निर्वाह करना असंभव है? इस अन्तर को कम करने के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

श्री ब० रा० भगत: जहां तक सांख्यिकीय प्रयत्नों का संबंध है हम प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु जहां तक थोक तथा खुदरा मूल्यों का संबध है हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि खुदरा मूल्यों को अधिक से अधिक केन्द्रों से इकट्ठा किया जाये और थोक तथा खुदरा मूल्यो में जो यह संबंध है वह अधिक न्याय-संगत हो।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

पंजा साहब जानेवाले सिख तीर्थ यात्रियों के साथ दुव्यवहार

+

अ०सू०प्र० 21. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दीवान चन्द शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैशाखी के अवसर पर पंजा साहब की तीर्थ यात्रा पर गये सैकड़ों सिख यात्रियों के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : 1966 की वैशाखी के अवसर पर 204 सिख यात्री पंजा साहब की यात्रा पर गए। किंतु पाकिस्तान सरकार ने बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे जैसे;

(1) उन्होंने यात्रियों को सिर्फ़ पंजा साहब ही जाने दिया, लाहौर, रावलपिंडी और ननकाना साहब नहीं, जैसे कि पहले जाने दिया करते थे;

(2) 11 अप्रैल 1966 को यात्री दल को सारे दिन कसूर में रोके रखा गया; और

(3) पंजा साहब में भी यात्री दल को सिर्फ़ गुरुद्वारें में ही जाने दिया गया कहीं ओर नहीं।

इन कठिनाईयों और पाबन्दियों के परिणामस्वरूप, यात्री दल ने अपने कार्यक्रम से एक दिन पहले ही भारत लौटने का निश्चय किया।

भारतीय हाई कमिशन ने इन पाबंदियों और असुविधाओं को दूर कराने की कोशिश की थी लेकिन वह ऐसा करने में सफ़ल नहीं हुआ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पहले यह आश्वासन दिया था कि सिख तीर्थयात्रियों को सभी सुविधाएं दी जायेंगी और यदि हां, तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि पाकिस्तान सरकार ताश्कन्द घोषणा को तोड़ने पर तुली हुई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान सरकार की इस कार्यवाही को ताश्कन्द घोषणा के साथ जोड़ना उचित नहीं है। दोनों देशों द्वारा इस प्रकार का गलत तर्क दिया जाता रहा है। इस वर्ष जो बात हुई वह यह थी कि उन्होंने अपनी अनुमति बहुत देर से दी और एक समय पर तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने कहा था कि चूंकि अनुमति बहुत देर से प्राप्त हुई है वह यात्रियों की इस दल को नहीं भेजेंगे। यह स्पष्ट है कि उन्होंने जिस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये हैं वे पहली बार लगाये हैं। आरम्भ के वर्षों में इन यात्रियों के प्रति उनका रवैया बहुत उदार था।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि पंजाब के सिखों में एक छोटा सा ऐसा वर्ग था अथवा है जिसके हरण में पाकिस्तान सरकार के लिये जगह थी अथवा है जब कि पाकिस्तानी जनता के प्रति ऐसी बात नहीं थी। और यदि हां, तो क्या इस बीच उसको पाकिस्तान सरकार के संबंध में सचाई का पता चल गया है अथवा क्या सरकार ने ऐसा करने में उसकी सहायता की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मौजूदा प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे पाकिस्तान के इस प्रकार के प्रचार से धोखे में न आयें, भारतीय लोगों के विभिन्न वर्गों के संबंध में पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य दिये जाते हैं। सारी सिख जाति तथा भारत की अन्य जातियां देश के प्रति अपने कर्तव्य को जानती हैं और इस संबंध में थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं उन लोगों द्वारा दिये गये वक्तव्यों को पढ़ता रहा हूं जिनमें यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इन सिख यात्रियों के साथ युद्धबन्दियों जैसा व्यवहार किया गया और उनको ऐसी रेलगाड़ियां में ले जाया गया जिनके शटर और खिड़कियां सारा समय बन्द रहे और उनको किसी भी व्यक्ति और किसी भी पाकिस्तानी राष्ट्रजन से बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इन सब बातोंको देखते हुए क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री के लिये ऐसा वक्तव्य देना उचित है। माननीय मंत्री किसी स्तर पर इन शिकायतों का निवारण कराना चाहते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि मेरे वक्तव्य के संबंध में न कह कर उन यात्रियों के साथ जो व्यवहार किया गया उसके संबंध में यह बात कही गई होती तो मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हो सकता था। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य मेरे स्पष्ट वक्तव्य का गलत अर्थ क्यों निकाल रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : मैं केवल एक पहलू की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने बताया कि पाकिस्तान में से यात्रियों को जिन रेल-गाडियो से ले जाया गया उनके शटर बन्द थे और उनमें हवा के जाने का कोई प्रबन्ध नहीं था और इस प्रकार वह गाड़ी एक अन्धेरे कमरे के समान थी; और यदि ऐसा था तो क्या इस जंगली व्यवहार के बारे में भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को कड़ा विरोध पत्र लिखने पर विचार कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे पास जो जानकारी है उसमें रेल गाड़ियों के शटर बन्द करने की बात नहीं है। परन्तु इन यात्रियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया उसके बारे में हम जो महसूस करते हैं वह सब हमने पाकिस्तान को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। यात्रियों के साथ एक अधिकारी था और अधिकारियों के साथ उसका संपर्क था। सामान्यत: उनका यही उत्तर था कि सुरक्षा के लिये सभी उपाय किये जा रहे हैं।

श्री रंगा : पाकिस्तान को इतने अभ्यावेदन भेजे गये; क्या किसी का उत्तर भी आया ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही कह चका हूं कि हमारे उच्चायोग के प्रतिनिधि अधिकारियों से बराबर सम्पर्क में थे।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश पर पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान पाकिस्तान ने सिख जाति के संबंध कुछ बहुत ही सुन्दर बातें कहीं थी, जिनमें से अधिकांश के लिये सिख जाति पात्र है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या हमारी सरकारनें पाकिस्तानी

सूत्रों से यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि पाकिस्तान के रवैये में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ? क्या यह ताश्कन्द घोषणा को रद्दी की टोकरी में डालने की उनकी बड़ी योजना का एक भाग नहीं है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि यह दिखाने के लिये कि जैसे सिख जाति के कुछ वर्गों का झुकाव पाकिस्तान की ओर है पाकिस्तान द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है उससे पंजाब की कोई भी व्यक्ति उसके धोखे में नहीं आने की है..... **(अन्तर्बाधाएं)** जिस प्रकार पाकिस्तान ने यात्रियों के दल के साथ दुर्व्यवहार किया उस से सिद्ध हो जाता है कि पाकिस्तान सिख जाति के लिये कैसी श्रद्धा रखता है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने सिख जाति को एक बहादुर लोगों को जाति कहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसके लिये मुझे पाकिस्तान के किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

*1254. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सीमावर्ती क्षेत्रों पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) सम्पर्क (लिंक) सड़कों तथा नागरिक विकास कार्यों के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क)

सीमावर्ती क्षेत्र	सम्भावित व्यय (1961–66) (करोड़ रुपये)
जम्मू तथा काश्मीर	
लदाख	1.47
पंजाब	
लाहौल तथा स्पिति	1.26
उत्तर प्रदेश	
उत्तरी खण्ड	25.51
हिमाचल प्रदेश	
किन्नौर जिला	0.70

(ख) राज्य सरकारों तथा हिमाचल प्रदेश प्रशासन से सूचना उपलब्ध होने पर वह प्रस्तुत कर दी जायगी ।

नर्मदा नदी परियोजना के संबंध में खोसला समिति का प्रतिवेदन

*1256. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री, 24 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न सं० 185 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी परियोजना के सम्बन्ध में खोसला समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या इसके बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : महाराष्ट्र सरकार के विचार भी प्राप्त हो चुके है और उनका अध्ययन हो रहा है । इस मामले पर सम्बद्ध राज्यों के साथ शीघ्र ही वार्तालाप करने का विचार है ।

सेंट्रल कलकत्ता में मदिरालय पर छापा

*1257. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग की विशेष पुलिस नें सेंट्रल कलकत्ता में एक मदिरालय पर यह संदेह होने पर कि वहां पर विदेशी मद्रा तथा आयातित सामान का अवध लेन-देन होता है, हाल ही में छापा मारा था ,

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में कुछ अन्य स्थानों की भी तलाशी ली गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस छानबीन का क्या परिणाम निकला है और इस के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 8 जून 1965 को फ्री स्कूल स्ट्रीट, कलकत्ता में एक मदिरालय की इस सन्देह पर तलाशी ली कि वहां अवध रूप से आयात किया गया माल छिपाकर रखा गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय जांच विभाग और प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं ।

अमरीका में भारत के बारे में विशेषांक प्रकाशित करने के लिये विदेशी मुद्रा

*1258. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के बिड़ला उद्योग समूह को अमरीका के "न्यूयार्क टाइम्स" के द्वारा भारत के बारे में एक विशेषांक प्रकाशित करवाने के लिये विदेशी मुद्रा मंजूर की थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गयी थी;

(ग) विशेषांक कब प्रकाशित किया गया था; और

(घ) इतनी अधिक विदेशी मुद्रा मंजूर करने का क्या विशेष कारण था जब कि देश में विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक कमी है और विदेशों में प्रचार करने के लिये सरकार का अपना अभिकरण है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) 69,500 डालर।

(ग) 20 मार्च, 1966।

(घ) सरकार की सामान्य नीति है कि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशों में प्रचार करने के लिये और भारत की आर्थिक तथा अन्य बातों का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने के लिए उचित मात्रा में विदेशी मुद्रा दी जाय। ऐसे विशषज्ञों द्वारा जैसा प्रचार किया जाता है वैसा सरकारी अभिकरणों द्वारा सम्भव नहीं है।

काहिरा में एक मस्जिद को दिया गया उपहार

*1259. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दाऊदी बोहराओ के प्रमुख मौलवी को काहिरा में एक मस्जिद को 20 लाख रुपये के मूल्य का उपहार देने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी ;

(ख) इस उपहार में कितना सोना दिया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में उपहार-कर के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार ने इस प्रकार को कोई भी उपहार देने की अनुमति नहीं दी है।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठते।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

*1260. **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्रीमती सावित्री निगम** : **श्री तुलशीदास जाधव** : **श्री दे० शि० पाटिल** :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृद्धावस्था पेन्शन योजना को अन्तिम रुप देने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह मामला इस समय किस अवस्था में है?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) : योजना अभी विचाराधीन है।

योजनाओं सम्बन्धी साहित्य देने की व्यवस्था

*1261. **श्री रा० बरुआ** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालेजो तथा विश्वविद्यालयों की योजना गोष्ठियों (प्लानिंग फोर्म) को योजनाओं सम्बन्धी उपयुक्त साहित्य पर्याप्त मात्रा में तथा तत्काल देने के लिये कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) योजना गोष्ठियों को, योजना आयोग की ओर से प्रकाशित योजना सम्बन्धी प्रकाशन तथा पत्रिकायें निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। योजना आयोग ने सब केन्द्रीय मंत्रालयों से भी निवेदन किया है कि वे अपने योजना सम्बन्धी प्रकाशन उन विभिन्न कालजों तथा विश्वविद्यालयों को भेजे जहां योजना गोष्ठियां काम कर रही है।

(ख) योजना आयोग द्वारा गोष्ठियों को उपलब्ध किये जाने वाले योजना सम्बन्धी जो प्रकाशन तथा पत्रिकायें उपलब्ध की जाती हैं, उनकी सूची सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6115/66।]**

राज्यों द्वारा संसा न जुटाना

*1262. **श्री फिरोडिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह उस है कि राज्य सरकारें चालू वर्ष में विकास योजनाओं के लिये अपेक्षित अपने हिस्से के अतिरिक्त संसाधन जुटाने में असफल रही हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : यह सच है कि राज्य सरकारों साधन जुटाने के लिये अब तक जिन उपायों की घोषणा की है वे चालू वर्ष के अनुमानो की अपेक्षा अपर्याप्त है। लेकिन चूंकि वर्ष अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए इस समय यह बताना कठिन है कि राज्य सरकारे चालू वर्ष में विकास आयोजनाओं के लिये आवश्यक अतिरिक्त साधनों के अपने हिस्से की रकम जुटाने में असफल रही हैं या सफल।

कलकत्ता नैशनल बँक

*1263. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नेशनल बैंक ने, जिसका 1951 में या उस के आसपास परि समापन हुआ था, अपने सभी रुणदाताओं तथा धन जमा कर्ताओं को उनकी देय राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक किये गये भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भुगतान में विलम्ब करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) बैंकने लगभग 2.10 करोड़ रुपये की जमा रकमों सम्बन्धी देनदारियों के मुकाबले, जमाकर्ताओं को 102.98 लाख रुपये अदा कर दिया है या अदा करने की व्यवस्था कर दी है, और इसके अलावा, 22.35 लाख रुपया की रकम में से तरजीही अदायगियां और सुरक्षित लेनदारों को अदायगीया कर दी गयी है।

(ग) जिन परिसम्पत्तियों की रकमै अभी वसूल होनी है वे मुख्यत: ऐसे ऋण है जिनके बारे में डिगरियां दी जा चुकी है पर रकमों की वसूली के रिये डिगरियों को अमल में लाने की कार्रवाइयों में समय लगता ही है। लेकिन इन रकमों की वसूली के लिये यथासम्भव प्रयत्न किये जा रहे है।

श्रमजीवी महिलाओं का होस्टल, नई दिल्ली

*1264. **श्री प्र०चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली में करजन रोड पर स्थित श्रमजीवी महिलाओं के होस्टल में रहने वाली एक श्रमजीवी महिला द्वारा होस्टल के कुप्रबन्ध के विरुद्ध विरोध स्वरूप किये गये सत्याग्रह के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या होस्टल के काम-काज के बारे में जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) उस का क्या परिणाम निकला है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : माननीय सदस्य का ध्यान निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय से संबंधित मांगों के अनुदान पर बहस का उत्तर देते हुए 6 अप्रैल, 1966 को लोक सभा में दिये गये मेरे वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है

गांवों में बिजली लगाना

*1265. श्री कर्णी सिंहजी : श्री जसवन्त मेहता :
श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री बृजराज सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1969 के अन्त तक सम्पूर्ण देश के 20 प्रतिशत गांवों में बिजली की व्यवस्था कर देने के सम्बन्ध में आश्वासन दिया है और यदि हां, तो इस लक्ष्य को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1966-67 में प्रत्येक राज्य के लिये गांवों में बिजली लगाने सम्बन्धी अविलम्बनीय कार्यक्रम के लिये योजना में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई भी वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत के अधिकतर अन्य राज्यों ने राजस्थान की तुलना में अधिक प्रतिशत गांवों में बिजली की व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान को अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री(श्री फखरुद्दीन) : (क) अक्तूबर, 1964 में हुए सिंचाई व बिजली सेमिनार में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी अक्तूबर, 1969 तक एक लाख ग्रामों में बिजली लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नवम्बर, 1965 में हुए राज्यों के सिंचाई व बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस लक्ष्य की पुष्टी की गई थी। इस से देश के लगभग 17.5 प्रतिशत ग्रामों में बिजली लग जाएगी। उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार राज्य अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे शीघ्र ग्राम विद्युतन के लिये सेमिनार में सुझाए गए कई एक पग उठाए। बहुत से राज्यों ने इन सुझावों पर पहले से ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

(ख) ग्राम विद्युतन का क्रैश प्रोग्राम 1964-65 और 1965-66 में चलाया गया था ताकि पम्पों को ऊर्जित करके अनाज की उपज में द्रुत वृद्धि की जा सके और राज्यों को अतिरिक्त धन राशियां प्राप्त हों। चौथी योजना के दौरान ग्राम विद्युतन के सामान्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पम्पों को ऊर्जित करने पर जोर देकर इस उद्देश्य की पूर्ति का आयोजन किया गया है। भविष्य में ग्राम विद्युतन कार्यक्रम ऐसा बनाया जाएगा जिसका सुझाव कृषि उत्पादन की ओर होगा। 1966-67 के वर्ष के दौरान ग्राम विद्युतन के लिये योजना में 44 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है जबकि 1965-66 के दौरान इस के लिये (क्रैश प्रोग्राम के लिये प्रबन्धित राशि को मिला कर) कुल 30 करोड़ रुपये का प्रबन्ध था।

(ग) जी, हां। चौथी योजना के अन्त तक 9.6 प्रतिशत के अखिल भारतीय आंकड़ों के प्रति राजस्थान में ग्राम विद्युतन कार्य के लगभग 4 प्रतिशत का पूरा होने की संभावना है।

(घ) चौथी योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु चौथी योजना के दौरान राजस्थान में 7000 ग्रामों को बिजली देने का अस्थायी लक्ष्य रखा गया है। इस से अन्य राज्यों के साथ बराबरी करने के लिये राजस्थान को सहायता मिलेगी। आवश्यक सामग्री की प्राप्ति के लिये बोर्ड द्वारा अग्रिम आयोजन कर लिया गया है और इसके लिये अंशत: आदेश दे दिये गये हैं। कार्य की बढ़ती हुई गति का मुकाबला करने के लिये उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे को भी स्थापित कर लिया गया है।

राज्यों में बिजली की कमी

*1266. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री तिरुमल राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में अभी भी बिजली की अत्याधिक कमी अनुभव की जा रही है ;

(ख) वर्ष 1965 में इन राज्यों में बिजली की मासिक खपत कितनी थी और अक्तूबर से दिसम्बर, 1965 तक की अवधि में बिजली की खपत उससे पहले वाले महीनों की तुलना में कितनी कम थी ;

(ग) जनवरी से मार्च, 1966 तक इन राज्यों में बिजली की मासिक खपत कितनी थी; और

(घ) बिजली की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जिन राज्यों में बिजली की गम्भीर कमी को अब भी महसूस किया जा रहा है वे हैं पंजाब, मध्य प्रदेश का चम्बल द्वारा सेवित क्षेत्र, मद्रास, केरल, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा ।

(ख) तथा (ग) : 1965 के दौरान और जनवरी-मार्च 1966 की अवधि में मद्रास और पंजाब के राज्यों में बिजली की मासिक खपत के आंकड़ों का विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी 6116/66 ।]**

आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केरल के सम्बन्ध में बिजली की खपत का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और यथाशीघ्र उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) विविध राज्यों में बिजली की कमी को दूर करने के लिये की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6116/66 ।]**

सोने का भाव

*1267. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने विकासशील देशों में पूंजी विनियोजन के लिये अधिक विनियोज्य धन (लिक्विड मनी) की व्यवस्था करने के उपाय के रूप में सोने के भाव में विश्वव्यापी वृद्धि करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) अदृश्य व्यापार और व्यापार सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाली, संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार और विकास सम्मेलन की समिति की एक बैठक में सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के प्रतिनिधि ने सोने का मूल्य बढ़ाने के पक्ष में दलील दी थी।

(ख) और (ग) : सरकार की राय है कि सोने के मूल्य की वृद्धि से केवल उन्हीं कुछ देशों को लाभ पहुंचेगा जहां सोना पर्याप्त मात्रा में निकलता है या सरकार के पास सोने की काफी मात्रा है।

गंगा बेसिन में मिट्टी का कटाव रोकने की योजनायें

*1268. **श्री मधु लिमये** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा बेसिन में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अकेले अकेले अथवा संयुक्त रूप से कोई योजना तैयार की है ;

(ख) क्या ऐसी कोई योजनाएं केन्द्रीय सरकार को भेजी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) गंगा बेसिन में कटाव को रोकने के लिये बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों कोई संयुक्त योजना तैयार नहीं की है। तथापि कटाव को रोकने के लिये कई एक स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित की गई है अथवा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन में ये कार्य सम्मिलित हैं —उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बलिया, कंखल, मिर्जापुर, इत्यादि में और बिहार में बक्सर, सुलतानगंज, मुंघेर, पटना, मनसी में तथा राजेन्द्र पुल के प्रतिस्रोत गंगा के वाम तट पर सुरक्षा कार्य। भविष्य में और कटाव रोक स्कीमों को हाथ में लेने का विचार है।

(ख) तथा (ग) : जब कभी केन्द्रीय सरकार को स्कीमें प्रस्तुत की जाती हैं, उनका तकनीकी तौर पर परीक्षण किया जाता है और संशोधन सुधार आदि के यदि कोई सुझाव हों तो उनको राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है।

Medicine to Counteract Effects of Nuclear Weapons

*1269. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Health Minister in her speech made in Lucknow on the 27th December, 1965 had stated that some medicine should be invented to counteract the effects of the nuclear weapons used in wars ;

(b) if so, the steps taken in this connection ; and

(c) the details thereof ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) In my speech in Lucknow on the 27th December, 1965, I had expressed the hope that some drugs might be developed for the prevention and therapy of atomic hazards before too long.

(b) and (c). The suggestion has been passed on to the Indian Council of Medical Research, the Defence Service Organisation and the Atomic Energy Commission.

भारत सेवक समाज द्वारा भूमि का विकास

*1270. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **निर्माण आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी में भूमि का विकास करने के लिये भारत सेवक समाज को अनुमानित लागत से 22 प्रतिशत अधिक लागत का ठका दिया गया था ;

(ख) क्या ठेके में यह शर्त रखी गई थी कि यदि काम ठेका देने की तारीख से दस महीनों के अन्दर पूरा न हुआ तो काम पूरा होने में देरी होने के कारण मुआवजा ले लिया जायेगा ;

(ग) क्या काम ठेके की शर्तों के अनुसार पूरा हो गया है ;

(घ) यदि नहीं तो क्या मुआवजा ले लिया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो कितना; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) से (च) : कार्य को पूरा करने मे समाज की असफलता पर उनका ठेका रद्द कर दिया गया था तथा शेष कार्य दूसरे ठकदार को दे दिया गया। ठेके की शर्तों के अनुसार समाज से वसूल की जा सकने वाली मुआवजे की राशि, दूसरे ठेकेदार का लेखा अन्तिम रूप से तैयार हो जाने के बाद ही मालूम होगी। समाज कार्य को पूरा क्यों नहीं कर सका यह उसने स्पष्ट कर दिया है तथा अब सरकार उनसे मुआवजा वसूल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

सिन्धु जल सन्धि

*1271. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री फिरोडिया : **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के सिन्धु आयुक्तों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरुप भारत को आगामी ग्रीष्म ऋतु में अधिक पानी मिलेगा ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत पूर्वी नदियों का पानी सिंधु जल सन्धि, 1960 के परिशिष्ट (ज) में बताए गए चरण 2 के विस्तृत उपबन्धों के अनुसार ही वापस लेगा ।

चावल का समाहार करने के लिये उड़ीसा को ऋण

*1272. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चावल का समाहार करने के लिये केन्द्रीय सरकार से 5 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने कितनी राशि का ऋण अथवा सहायता दी है ; और

(ग) यदि पूरी राशि नहीं दी गई तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) चावल की वसूली के लिए, 2 करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए फरवरी 1966 में उड़ीसा सरकार का एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) : राज्य बैंक (स्टट बैंक) ने राज्य सरकार को, अनाज को दृष्टिबन्धक (हाइपोथीकेशन) रख कर, 2 करोड़ रुपये का नगद ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी है। चूंक अतिरिक्त खरीद किये जाने और दृष्टिबन्धक रखने के लिए अनाज उपलब्ध होने पर, राज्य बैंक ऋण की इस सीमा को आवश्यकतानुसार बढ़ा सकता है इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अर्थोपाय अग्रिम देना जरूरी नहीं समझा गया।

कृषि संबंधी प्रगति

*1273. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पहली तीन योजनाओं के दौरान कृषि संबंधी प्रगति की अपनी समीक्षा प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसमें की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

चीनी उद्योग को ऋण की सुविधायें

*1274. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग को उदारतापूर्वक ऋण सुविधायें प्रदान करने की वांछनीयता पर विचार कर लिया गया है जिससे कि वह गन्ना उत्पादकों को बकाया देय-राशि का भुगतान कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ ऐसे कारखानों को छोड़कर, जिनका प्रबन्ध ठीक नहीं है, अन्य कारखानों के लिए वित्त-प्रबन्धक बकों ने गन्ना उत्पादकों को अदायगी करने तथा मिल की अन्य चालू देनदारियों को पूरा करने की आवश्यकता का विचार करके ऋण की सीमाओं की मंजूरी दी है। रिजव बैंक ने राज्य बैंक और दूसरे अनुसूचित बकों को, जिन्होंने अन्न की खरीद के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए रुपया उधार लिया है, यह सूचित कर दिया है कि वे चीनी उद्योग और दूसरे उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक से और भी ऋण ले सकते हैं और इसके लिए उन्हें उन दण्डात्मक दरों (पीनल रेट) से ब्याज नहीं देना पड़ेगा जो अन्न की खरीद के सम्बन्ध में उधार ली गयी अतिरिक्त रकम के कारण उनकी नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति की स्थिति कमजोर हो जाने पर लागू होती हैं। सहकारी चीनी मिलों को ऋण देने के लिए राज्य सहकारी बकों को कुछ अतिरिक्त ऋण देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

द्विपक्षीय सम्बन्धों की स्थापना

*1275. **श्री मधु लिमये :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान की सरकार के साथ हुए संघर्ष के पश्चात् भारत सहायता संघ ने सामूहिक अथवा संयुक्त रूप से आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया था, द्विपक्षीय आधार पर संबंध स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिक स्थायी आधार पर द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) भारत सहायता संघ ने सामूहिक अथवा संयुक्त रूप से आर्थिक सहायता देना बन्द नहीं किया है। इसलिए संघ की मार्फत सहायता प्राप्त करने के स्थान पर पूर्णतः द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

लेखा-बाह्य धन का प्रकटीकरण

*1276. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री रा० बरुआ :**
श्री लीलाधर कटकी : **श्री कन्डप्पन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वेच्छापूर्वक धन प्रकट करने की योजना के अन्तर्गत कितनी लेखा-बाह्य आय बताई गई है ;

(ख) बताई गई राशि पर सरकार को आय-कर के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(ग) क्या कोई अन्य योजना आरम्भ करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1965 की धारा 24 के अन्तर्गत 146.53 करोड़ रुपये की कुल राशि घोषित की गयी है।

(ख) कर की मांग की राशि का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अधिकतर घोषणायें मार्च 1966 में मिली हैं और अभी उनकी छानबीन नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

पिछड़ी जातियां

4104. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या अनसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान के प्रश्न पर विचार करने वाली समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या रोजगार तथा शिक्षा के मामले में उनके लिये स्थान रक्षित करने संबंधी आधार में कोई परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

समाज-कल्याण विभाग म उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का केरल का दौरा

4105. श्री अ० क० गोपालन : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने नवम्बर 1965 में केरल का दौरा किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने यह कहा था कि राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हरिजनों को सांझे कुओं और तालाबों से पानी नहीं लेने दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं ; और

(घ) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) हां।

(ख) नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

त्रिचूर जिले में सिंचाई की योजनायें

4106. श्री अ० क० गोपालन : क्या सिंचाई और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिचुर जिले में कितनी मध्यम तथा उठाऊ (लिफ्ट) सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ;

(ख) क्या 'पाथझा कुंडु' योजना का कार्य रुका पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ये सब योजनाएं नियत समय के अन्दर पूरी हो जायेंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) 6 मध्यम तथा दो उठान सिंचाई स्कीमों पर कार्य प्रगति कर रहा है।

(ख) तथा (ग) : आवश्यक भूमि के अर्जन करने में देरी के कारण इस स्कीम पर अभी काम आरम्भ नहीं हुआ है। अरक्षित भूमियों का अभी हस्तान्तरण नहीं हुआ है और उनको कब्जे में नहीं लिया गया है।

(घ) य स्कीमें अनुसूची के अनुसार पूरी की जाएंगी।

Research Schemes in Maharashtra

4107. Shri Kamble :
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether some research schemes have been approved or will be approved for Maharashtra for the year 1966-67 ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) Yes.

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT/6106/66.]**

S. C. & S. T. Development Blocks in Maharashtra

4108. Shri Kamble :
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Blocks opened so far, district-wise, in Maharashtra with the names of the places and the number of such blocks proposed to be opened, district-wise, during the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : No Development Blocks have been opened for Scheduled Castes. A list, showing the Tribal Development Blocks opened so far and the blocks proposed by the State Government for opening during the Fourth Five Year Plan, is attached. **[Placed in Library. See No. LT/6107/66.]**

Village Industries Projects in Maharashtra

4109. Shri Kamble :
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the areas of Maharashtra selected for implementing the programme of village industries project, planned by the Village Industries Planning Committee of the Planning Commission;

(b) the basis on which selection of these areas has been made; and

(c) the progress made under the scheme so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). Four areas *viz.* Wardha in Wardha District, Sangamner in Ahmednagar District, Latur in Osmanabad District and Vengurla in Ratnagiri District, have been selected for Rural Industries Projects Programme in Maharashtra during 1962-63. No new area has since been selected.

2. The criteria for selection of the areas broadly are :

(i) prevalence of considerable unemployment and under-eployment

(ii) limited possibilities of development for agriculture due to unfavourable conditions; and

(iii) existence of potentials of development for small scale and cottage industries in the areas.

3. Progress reports of the four areas are appended as annexure I. **[Placed in Library. See No. LT/6108/66.]**

Commercial Banks in Villages

4110. Shri Kamble :
Shri D. S. Patil :
Shri Baswant :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open commercial banks in villages on a large scale during the Fourth Five Year Plan period ;

(b) if so, whether commercial banks would be established at each Block Headquarters ; and

(c) if not, the nature of proposed expansion of banking facilities in rural areas ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b). Commercial banks have been advised to draw up branch expansion programmes, keeping the needs of rural and semi-rural areas in view, but there are no specific proposals for covering either villages or the headquarters of development blocks.

(c) It is proposed that, as an experimental measure, one man offices and rural pilot centres should be established by the State Bank of India and its subsidiaries at certain selected centres and also that cooperative central banks and primary credit societies should be encouraged to open offices, to the extent possible, in areas which are not served by commercial banks.

केरल में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

4111. **श्री प० कुन्हन :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के सभी विभिन्न नगरों के कुल कितने क्षेत्र में अब तक गन्दी बस्तियों को हटाने का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि त्रिवेन्द्रम की चांगल चुला बस्ती जहां पांच सौ से अधिक हरिजन परिवार रहते हैं अभी तक नहीं हटाई गई है ; और

(घ) क्या उन क्षेत्रों से गन्दी बस्तियों का उन्मूलन करने तथा उनके लिए अच्छी आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) : गंदी बस्ती सफ़ाई योजना का प्रबंध स्वयं राज्य सरकारें करती हैं। आवश्यक सूचना केरल सरकार से मांगी गयी है तथा जैसे ही वह प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में बेघर तथा भूमिहीन लोगों के बारे में सर्वेक्षण

4113. **श्री प० कुन्हन** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में बेघर तथा भूमिहीन लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) उनको बसाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग ने उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) : इस राज्य में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, परन्तु 1961 की जनगणना से तथा 1965 में किये गये सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षणों के अनुसार इस राज्य में बेघर तथा भूमिहीन लोगों की संख्या क्रमश: 22,834 तथा 26,25,520 है।

(ग) बेघर खेतीहर मजदूरों को बसाने के लिय केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना के अन्तर्गत केन्नोनोर जिले में 16,000 एकड़ भूमि पर 4,000 परिवारों को बसाने के उपाय किये गये हैं तथा आगामी वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत और परिवारों को बसाने का प्रस्ताव हैं। बेघर लोगों के लिये कोई अलग योजना नहीं है।

केरल में मकान बनाने के लिये ऋण का नियतन

4114. **श्री प० कुन्हन** : क्या **निर्माण आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 और 1965-66 के दौरान निम्न आय वर्ग के लिए मकानों के निर्माण के हेतु केरल में कुल कितनी धनराशि नियत की गई थी ;

(ख) कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इस कार्य के लिए जिलेवार कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ; और

(ग) ऐसे मकानों के लिए किस आधार पर धनराशि नियत की जाती है और अन्तिम मंजूरी वाला अधिकारी कौन है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क)

1964-65	14.80 लाख रुपये ।
1965-66	16.00 लाख रुपये ।

(ख) और (ग) : मांगी गयी सूचना केरल सरकार से इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही वह प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शिल्पिकों का प्रशिक्षण

4115. **श्री राम हरख यादव** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिल्पिकों के प्रशिक्षण तथा उससे संबंधित अन्य मामलों के बारे में अस्थायी प्रस्ताव तैयार करने के लिए योजना आयोग के अधीन एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ; और

(घ) उसकी शक्तियां, उसके कार्य तथा उसकी कार्य-प्रणाली क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) : तीसरी योजना के श्रम कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने तथा चौथी योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए, श्रम मंत्रालय में रोजगार तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यकारी दल गठित किया गया था। इसमें, योजना आयोग और श्रम तथा रोजगार, उद्योग, शिक्षा, रक्षा, रेल, इस्पात, खनिज एवं भारी इंजीनियरी मंत्रालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि थे। दल ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, तीसरी योजना के अन्त तक प्राप्त होने वाली प्रशिक्षण क्षमता और चौथी योजना के दौरान शिल्पियों, शिल्प निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों इत्यादि का निर्धारण किया। चौथी योजना के लिए शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायगे, दल की सिफारिशें उनका आधार होंगी।

रामकृष्णपुरम् में भव्य बाजार

4116. श्री राम हरख यादव : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम् की सरकारी बस्ती के लिए एक भव्य बाजार बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बाजार के लिए माडल डिज़ाइन अन्तिम रूप में तैयार कर लिया है ;

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है ; और

(घ) इस परियोजना पर अनुमानत: कितना खर्च आयेगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जी हां। जैसा कि दिल्ली के मास्टर प्लान में परिकल्पित है, पुरस्कार प्राप्त करने वाली डिज़ाइन में थोड़ी सी फेर बदल के बाद उसके आधार पर एक बाज़ार (डिस्ट्रिक्ट शोपिंग सेंटर) बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) : क्षेत्र के विकास के बाद प्लाट गैर सरकारी लोगों को नीलाम किये जायेंगे जो कि सरकार के द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित की गयी डिज़ाइन के अनुसार दुकानें बनायेंगे। क्षेत्र के विकास की लागत जो कि आरंभ में सरकार के द्वारा की जायेंगी, अभी प्राक्कलित नहीं की गयी है। यह कहना संभव नहीं है कि विकास अथवा निर्माण का कार्य कब आरंभ होगा।

त्रिवेंद्रम में नाली व्यवस्था कर्मचारियों की मांगे

4117. श्री वासुदेवन नायर : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल राज्य में त्रिवेन्द्रम के नाली व्यवस्था कर्मचारियों ने उपदान आदि के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : सूचना राज्य सरकार से मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इद्दिकी तथा साबरिगिरि परियोजनायें

4118. **श्री वासुदेवन नायर:**
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय निर्माणाधीन साबरिगिरि तथा इद्दिकी जल विद्युत परियोजनाओं के लिये केरल राज्य बिजली बोर्ड अथवा राज्य सरकार को कोई विदेशी सहायता मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता मिली ; और

(ग) क्या सहायता सम्बन्धी करार की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने साबरिगिरि पन बिजली परियोजना के लिये अपेक्षित संयंत्र और सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिये 202 लाख डालर की ऋण सहायता दी। अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने इस राशि के अतिरिक्त स्थानीय लागत को पूरा करने के लिये 1840 लाख रुपय का ऋण भी दिया।

इद्दिकी पन बिजली परियोजना के सम्बन्ध में कनाडा से ऋण तथा उपदान सहायता पर बातचीत हो रही है और जैसे ही बातचीत पूरी हो जाएगी एक विशेष ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हो जायेंगे। कनाडा अधिकारियों द्वारा परियोजना के लिये अब तक दी गई सहायता का रूप तथा परिमाण निम्नलिखित है :—

लाख डालरों में (कनाडा)

वर्ष	ऋण की राशि	उद्देश्य	उपदान की राशि (कोलम्बो योजना के अन्तर्गत	उद्देश्य
1964-65	50	मुख्य साज-सामान को खरीदने के लिये	(1) 32	इंजीनियरी तथा सलाह सम्बन्धी सेवाओं के लिये
			(2) 23	निर्माण के साज-सामान के लिये
1965-66	30	मुख्य साज-सामान को खरीदने के लिये	..	..

(ग) साबरिगिरि पन-बिजली परियोजना से सम्बन्धित समझौते की प्रतियां पहले से ही संसद पुस्तकालय को दे दी गई हैं। इद्दिकी पन बिजली परियोजना से संबंधित समझौते को अन्तिम रूप मिल जाएगा और उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तो इस की प्रतियां भी पुस्तकालय को दे दी जाएंगी।

मुद्रा में सुधार

4119. **श्री सत्य नारायण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय के रूप में सरकार का विचार मुद्रा में सुधार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी,नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Slum Clearance in Maharashtra

4120. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount allocated to Maharashtra Government during the year 1965-66 for slum clearance and the amount actually utilized ; and

(b) the amount proposed to be allocated to Maharashtra Government for this purpose during 1966-67 ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Rs. 96·00 lakhs.

(b) Rs. 105·00 lakhs.

Primary Health Centres

4121. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the actual amount allocated for Maharashtra Government for setting up primary health centres in the State in 1965-66;

(b) the number of Centres actually set up so far; and

(c) the amount allocated to Maharashtra Government for the year 1966-67 and the number of such centres proposed to be set up in the State ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Rs. 35·60 lakhs, out of which the share of the Central Government, Ministry of Health and Family Planning was estimated at Rs. 26·7 lakhs.

(b) 375.

(c) Rs. 10·00 lakhs, out of which the share of the Central Government, Ministry of Health and Family Planning will be Rs. 7·50 lakhs. This is in addition to the provision available under the schematic budget of the community development blocks. The State Government do not propose to set up any new centre during 1966-67.

मलयेशिया, श्रीलंका तथा सिंगापुर से आयात किये गये सामान पर सीमा शुल्क

4122. श्री वै० तेवर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग मलयेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर देशों में कुछ समय तक रहे थे वे बिना कोई सीमा शुल्क दिये किस प्रकार सामान अपने साथ भारत में ला सकते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : यदि कोई व्यक्ति विदेश से, जिसमें श्रीलंका, मलयेशिया और सिंगापुर शामिल हैं, वहां कम से कम लगातार तीन वर्ष रहने के बाद आता है तो उसे अपना निजी और घरेलू सामान, जिसमें मोटर गाड़ियां, जहाज, हवाई जहाज, गोला-बारूद, मानक चौड़ाई की चलचित्र फिल्में और उपभोग्य सामान शामिल नहीं है, बिना शुल्क दिये आयात करने

की इजाजत है, बशर्ते कि वह सामान विदेश में कम से कम एक वर्ष से उसके पास रहा है और उसके काम में आता रहा है और वह व्यक्ति भारत में कम से कम एक वर्ष ठहरेगा।

विदेश में तीन वर्ष से कम समय रहने के बाद आने वाले व्यक्तियों पर असबाब सम्बन्धी सामान्य नियम लागू होते हैं।

श्रीलंका से वास्तविक रूप में लौट आने वाले व्यक्ति को अपना सारा निजी और घरेलू सामान बिना शुल्क दिये आयात करने की इजाजत है। प्रत्येक परिवार पीछे एक रेफ्रिजरेटर, एक रेडियो सेट, एक साइकिल, सिलाई की एक मशीन, एक टाइपराइटर और एक टेप-रेकार्डर लाने की इजाजत है, बशर्ते कि यह सामान लौट आने वाले के इस्तेमाल में कम से कम तीन महीने से रहा है। लौट आने वाले प्रत्यक परिवार को बिना शुल्क दिए एक मोटरकार लाने की भी इजाजत है बशर्तेकि लौट आने वाल व्यक्ति के पास मोटरकार 1 जनवरी 1963 से रही है और उसका आयात लाइसेंस पेश किया गया है।

Food Adulteration

4123. Shri Kamble :
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that new diseases are appearing due to increase in food adulteration ;

(b) whether any scheme has been formulated to get the adulterated food-stuffs tested with a view to prevent diseases ;

(c) if so, the details of the scheme; and

(d) the results achieved as a result thereof ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Government are not aware of the appearance of any new diseases due to adulteration of foodstuff.

(b), (c) & (d). Do not arise. The Prevention of Food Adulteration Act is however being enforced all over the country.

हाइपरबेरिक चैम्बर्स

4124. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 अप्रैल, 1966 के टाइम्स आफ इंडिया (नगर संस्करण) में श्री वाल्टर फ.उलर द्वारा "हाउ ए लाइफ वाज़ सेव्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार भारत में हाइपरबेरिक चैम्बर्स एकक स्थापित करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) चिकित्सा विज्ञान बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है और सरकार अन्य दे ों में हुए प्रयोगों से लाभ उठाने तथा मानवता के हित में उन्हें अपनाने के लिये सदैव तत्पर है। हाइपरबेरिक चिकित्सा अपेक्षतया नया प्रयोग है और हाइपरबरिक चम्बर्स बहुत खर्चीले हैं। विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिन स्थिति के कारण इन मशीनों के बड़े पैमाने पर आयात को व्यावहारिक बनाने में अभी कुछ समय लगेगा।

कैंसर

4125. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1966 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित "हैल्द पुआएजनिंग बैक्टीरिया कैन कन्ट्रोल कैंसर" रक्त को विषाक्त करने वाले कीटाणु कैंसर को रोक सकते हैं शीर्षक वाले समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में कैंसर को रोकने के लिये इस नये तरीके का प्रयोग करने का है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : यह प्रारम्भिक रिपोर्ट है जिसके लिये अभी पुष्टि और आम स्वीकृति जरूरी है अत: इसके प्रयोग का प्रश्न तभी उठेगा जब इससे संबंधित प्रयोगात्मक कार्य से इसकी प्रभावकारिता सिद्ध हो जायेगी।

केरल की वेत्तुवा जाति

4126. **श्री बागड़ी** :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामसेवक यादव :
श्री उटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री 7 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1933 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल के मालाबार क्षेत्र की वेतुवा जाति को अनुचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने का इस बीच निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) से (ग) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का समूचा प्रश्न अभी तक विचाराधीन है और आशा की जाती है कि बहुत शीघ्र इस विषय पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

Urban Community Development Programme

4127. **Shri M. L. Dwivedi** :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the amount allocated for the Urban Community Development Programme during the current financial year ;

(b) the amount to be allocated during the next financial year ; and

(c) the progress made so far in the implementation of the programme ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). The budget provisions for this scheme made for the year 1965-66 and proposed for 1966-67 are as under :—

Items	Budget Estimates 1965-66	Revised Estimates 1965-66	Budget Estimates 1966-67
1. Grants to States/Union Territories for setting up the projects	9,00,000	50,000	4,50,000
2. Grants to Institutions for training Urban Community Development personnel	3,00,000	1,00,000	25,000
3. Allowances to trainees			50,000
4. Research and Evaluation			15,000
5. Central Cell establishment of			40,000
6. Expenditure on Co-ordination Committee			5,000
7. Training of non-officials, voluntary workers and others			15,000

(c) It was proposed to start 20 pilot projects on an experimental basis. On the basis of requests received from the State Governments/Union Territories, 18½ projects have so far been allotted. Out of these, 8½ projects have actually been started after training the project personnel at short term orientation courses for two months. The training of personnel of 5 other projects was completed on the 17th April, 1966, and it is expected that these projects would be started very soon. The Government of Bihar who were allotted a project at Patna do not propose to take up the scheme as the Central Government would provide financial assistance to the extent of 50% only. The project personnel of the remaining 4 projects (Kerala, Mysore, Andhra Pradesh and Orissa) have not so far been selected by the concerned State Governments who are being reminded from time to time.

The allotment of remaining 2½ projects (including one project allotted to Bihar, but not availed of) will be decided on receipt of the final replies of the States who have not been allotted any project so far.

A *Co-ordination* Committee has been set up, as suggested in the scheme, to review and guide the programme from time to time. This Committee has already met once.

Money Recovered During Raids by Income-Tax Department

4128. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount recovered during the raids organised against persons violating the Income-Tax and Foreign Exchange Rules during 1964-65 and 1965-66 ;

(b) the amount of assessment of their income for which they were to pay taxes ; and

(c) the number of persons prosecuted and sentenced ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b). The information is being collected and it will be placed on the Table of the Lok Sabha as early as possible.

(c) The number of persons prosecuted and sentenced is as follows :—

	During 1964-65	During 1965-66 (upto 28-2-66)
No. of persons prosecuted	19	14
No. of persons convicted	9	7
No. of persons acquitted	7	Nil
No. of cases pending trial	3	7

The above figures are in respect of the prosecutions launched by the Enforcement Directorate for violation of Foreign Exchange Rules. No prosecution was launched during the above period by the Income-tax Department in respect of the raids conducted by them.

आनन्दपुर बांध योजना

4129. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2196 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने इस बीच आनन्दपुर बांध योजना के बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और वह केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अभी परियोजना रिपोर्ट को तयार कर रही है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में छापे

4130. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 दिसम्बर, 1965 को आयकर विभाग के कर्मचारियों ने कलकत्ता नगर एक के व्यापारी के घर से लगभग 6 लाख रुपये के मुल्य के लेखा-बाह्य जेवरात पकड़े ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सचिन्द्र चौधरी) : (क) 12-12-1965 को कोई तलाशी नहीं ली गयी परन्तु 10-12-1965 को तलाशी ली गयी थी। तलाशी लेते समय 3 लाख रुपये मूल्य के जवाहरात पाए गये और 35 लाख रुपये मूल्य के जवाहरत बैंक लाकरों में पाए गये जिन्हें बाद में खोला गया था। 9-12-1965 को एक अन्य मामले में एक और तलाशी ली गयी गयी थी जिसमें 2 लाख रुपये मूल्य के जवाहरत पाए गये और कब्जे में ले लिये गये।

(ख) जांच-पड़ताल चल रही है।

निर्धन खेतिहर मजदूरों को नि:शुल्क कानूनी सहायता

4131. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देहाती क्षेत्रों में निर्धन खेतिहर मजदूरों तथा किसानों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता कब से मिलनी प्रारम्भ हो जायेगी तथा योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर): (क) और (ख) : पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये वर्तमान कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सभी लोगों को, जिन में इन जातियों के खेतिहर मजदूर तथा किसान भी शामिल हैं, पहले से ही कानूनी सहायता मिल सकती है।

बम्बई में तस्कर व्यापार

4132. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 नवम्बर, 1965 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, बम्बई के समुद्री एवं निवारक विभाग ने बम्बई से लगभग 50 मील दूर अलीबाग के निकट बम्बई-कोंकण सड़क पर एक ट्रक से 40 लाख रुपये से अधिक मूल्य का लगभग 25,000 तोला सोना पकड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 28 नवम्बर, 1965 को, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय बम्बई के समुद्री और निरोधक प्रभाग के अधिकारियों ने अलीबाग के निकट एक ट्रक को घेर लिया और तलाशी लेने पर उसमें से विदेशी मार्कों का 25,000 तोला सोना, 19317 रुपये की भारतीय मुद्रा तथा कुछ सिगरेटें पकड़ी। ट्रक भी पकड़ लिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय दर पर सोने का मूल्य 15,62,500 रुपये है।

(ख) ट्रक में सफर कर रहे ड्राइवर समेत चार आदमियों को पकड़ लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। विभागीय कार्यवाही चल रही है और उस के समाप्त होने के पश्चात् उन लोगों पर अदालत में मुकदमा चलाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

राजस्थान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से वसूल किया गया राजस्व

4133. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 में राजस्थान राज्य से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से कितनी राशि का राजस्व वसूल किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : 1965-66 के लिए मांगी गई सूचना (केवल फरवरी 1966 तक) नीचे दी गई है :—

राजस्थान राज्य

फरवरी 1966 तक वसूल किया गया राजस्व

(हजार रुपयों में)

सकल	6,42,57
वापसी	18,23
शुद्ध	6,24,34

2. मार्च 1966 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

उड़ीसा में बिजली का उत्पादन

4134. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बिजली पैदा करने की वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या 1966-67 में उस राज्य में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) उड़ीसा की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 319.75 मैगावाट है।

(ख) तथा (ग) : जी, हां। तालचेर ताप केन्द्र के 62.65—62.5 मैगावाट के दो उत्पादन यूनिटों के 1966-67 के दौरान चालू होने की संभावना है।

उड़ीसा में मलेरिया और फाइलेरिया

4135. श्री रासचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक उड़ीसा राज्य को राज्य में मलेरिया और फाइलेरिया का उन्मूलन करने के लिये कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या वह राशि पूर्णतः प्रयोग में लाई गई है ; और

(ग) इन रोगों के उन्मूलन के लिये अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की संचालन योजना के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को निर्धारित मात्रा के अनुसार डी० डी० टी०, मलेरिया निरोधी औषधियां, सूक्ष्मदर्शी यंत्र और सूक्ष्मदर्शी स्लाइड जैसी सामग्री और उपकरण तथा आयातित सामग्री के सीमा शुल्क के लिए सहाय्यानुदान देना स्वीकार किया है। 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 और

1965-66 में सामग्री और उपकरणों के रूप में जिसमें आयातित सीमा शुल्क भी सम्मिलित है, उड़ीसा सरकार को 200.86 लाख रुपये की सहायता दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार आपरेशनल स्टाफ पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत तथा ऐसे अन्य आकस्मिक खर्च, जो इन क्षत्रों में राज्य सरकारों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर होने वाले खर्च के अतिरिक्त करना पड़ता है, वहन करने के लिए राजी हो गई है। निर्धारित लेखा पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों को इस हिसाब में नकद सहायता अलग-अलग योजनाओं के लिए नहीं अपितु योजनाओं के एक वर्ग के लिए दी जा रही है। इसलिए उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अर्थोपाय ऋणों के रूप में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अब तक ठीक ठीक कितनी नकद सहायता प्राप्त की इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार द्वारा दी गयी नकद सहायता में से 1963-66 तक 55.13 लाख रुपये एडजस्ट कर लिये हैं।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उड़ीसा में 1958 से चल रहा है। उड़ीसा में 15 एकक कार्य कर रहे हैं जो इस प्रकार गठित किये गये हैं कि प्रत्येक के अन्तर्गत दस लाख जन संख्या आ जाये। मलेरिया की अनुपाती रोगी दर अर्थात् कुल रोगों में मलेरिया का प्रतिशत जो 1953-54 में 14.4 प्रतिशत बतलाई गई थी 1964-65 में घट कर 1.15 प्रतिशत हो गई है।

फाइलेरिया उन्मूलन के लिए उड़ीसा में कोई योजना नहीं चल रही तथापि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को मच्छर लार्वा नाशी तेल मुफ्त देने के रूप में लगभग 9.99 लाख रुपये तक की सहायता दी गई है।

उड़ीसा से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के रूप में वसूली गई राशि

4136. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 1965-66 में उड़ीसा से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी राशि का राजस्व वसूल किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : 1965-66 के बारे में मांगी गयी सूचना (केवल फरवरी 1966 तक) नीचे दी गई है :—

उड़ीसा राज्य

फरवरी 1966 तक वसूल किया गया राजस्व

	(हजार रुपयों में)
सकल	21,34,18
वापसी	4,99
शुद्ध	21,29,19

2. मार्च 1966 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में भिखारी

4137. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री म० ना० स्वामी :**

श्री कोल्ला वेंकैया : **श्री लक्ष्मी दास :**

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में भिखारियों की समस्या का अध्ययन करने और उसे दूर करने के तरीके सुझाने के लिये एक समिति बनाई है ;

(ख) क्या ऐसा अध्ययन पहले दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क द्वारा किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये क्या कार्यवाही की गई थी ; और

(घ) दिल्ली में भिखारी समस्या बने रहने के कारण विदेशों से आने वाले पर्यटकों को निरन्तर कठिनाई होने से पर्यटक व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा है?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां। इस समस्या पर विचार करने के लिये एक अन्तर्विभागीय समिति बनाई गई है।

(ख) और (ग) : योजना आयोग के कहने से सामाजिक कार्य के दिल्ली स्कूल ने 1955-56 में दिल्ली नगर क्षेत्र में भिखारी समस्या के बारे में एक अध्ययन किया था। 1959 में प्रकाशित मूल्य पर मिलने वाले एक प्रकाशन में इस अध्ययन के परिणाम दिय गय हैं। यह रिपोर्ट सरकार द्वारा कार्रवाई किये जाने के लिये नहीं रखी गई।

(घ) अब तक इस विषय पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

बम्बई में मुद्रा का पकड़ा जाना

4138. श्री राम सेवक यादव:
श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 जनवरी, 1966 को बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक जहाज से 25,000 रुपये की भारतीय मुद्रा और 200 रुपये की विदेशी मुद्रा तथा बैंक ड्राफ्ट पकड़े ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 18 जनवरी 1966 को तो इस प्रकार की कोई चीजें नहीं पकड़ी गई लेकिन 16 और 17 जनवरी 1966 को बम्बई के सीमा शल्क प्राधिकारियों ने बम्बई में एक जहाज की खाना तलाशी लेते समय निम्नलिखित लावारिस माल पकड़ा :—

16-1-1966 को—

2,220 रुपये (भारतीय सिक्के)

17-1-1966 को—

24,700 (भारतीय करेन्सी नोट)

2,923-31 (अमरीकी डालर)

837 पौं० 8 शि० 11 पें० (स्टर्लिंग पौंड)

5 पौं० (दक्षिण अफ्रीकी पौंड)

(ख) चूंकि अभी मालिक का पता नहीं लगा है, इसलिए फिलहाल किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

छिपा धन

4139. श्री शिवचरण गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक राज्य में काले धन का पता लगाने के लिये जनवरी, 1966 तक कितने छापे मारे गये हैं ;

(ख) अब तक कितने मामलों का फैसला हो चुका है और कितने अभी अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) इन मामलों में आय के कितने भाग को आय-कर माना गया तथा कितना आय-कर वसूल किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) अलग अलग राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। किन्तु विभिन्न आयकर आयुक्तों के कार्यक्षेत्र के बारे में सूचना अनुबन्ध में दी जा रही है। **[पुस्तकालयमें रखा गया। देखिये संख्या एल० टी ०6109/66 ।]**

(ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

शेयरों के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति

4140. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम और एक्क प्रन्यास ने हाल के महीनों में शेयरों के मूल्यों में होने वाली गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री० सचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट, जब भी सम्भव होता है, उचित मूल्यों पर, प्राप्त करने योग्य शेयरों में पैसा लगाने के अवसरों से लाभ उठाते हैं। वे शेयरों के मूल्यों की किसी प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से ऐसा नहीं करते।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

4141. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि

(क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी को 1965-66 मे कुल कितना लाभ हुआ ; और

(ख) उसके लिये निर्धारित लक्ष्य क्या थे और ये लक्ष्य कहां तक पूरे किये गये ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 1965-66 का वार्षिक लेखा अभी तक अंन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है। फिर भी, अपरीक्षित लेखा से पता चलता है कि फैक्टरी संभवत: लगभग 12 लाख रुपये का लाभ अर्जित करेगी।

(ख) उत्पादन तथा स्थानिक निर्माण का लक्ष्य क्रमश: 124 लाख रुपये तथा 45 लाख रुपये निर्धारित हुआ था जिसके स्थान पर क्रमश: 134 लाख रुपये तथा 18 लाख रुपये की उपलब्धि की संभावना है।

राष्ट्रीय रक्षा पत्र

4142. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राष्ट्रीय रक्षापत्रों में राज्यवार कितना धन लगाया गया है ; और

(ख) क्या इस योजना में आशानुकूल धन लगाया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) दो ऋणों की प्राप्ति का राज्यवार ब्यौरा, जिन्हें 31 मार्च, 1966 को बन्द किया गया था, संलग्न विवरण में दिया गया है । **[पुस्तकालयमें रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6110/66 ।]**

(ख) धन लगाये जाने की जनता की प्रतिक्रिया आम तौर पर संतोषजनक थी ।

अन्धे व्यक्तियों को रोजगार

4143. **श्री मुहमद कोया** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून की संस्था से कितने अन्धे व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ;

(ख) उनमे से कितनों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला;

(ग) किन किन संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियो को रोजगार मिल सकता है; और

(घ) जिनको रोजगार नहीं मिल पाया उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) 1120 ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 398 प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार मिल गया है । सभी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में नौकरी मिल सकती है । उन संस्थानों की, जो उन्हे रोजगार देते है, सूची संकलित करना सम्भव नहीं है ।

(घ) विकलांग व्यक्तियों के लिये 9 विशेष रोजगार कार्यालय खोले गये है । इन कार्यालयों का एक काम देहरादून में स्थित व्यस्क अन्धो के लिये प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की चेष्टा करना भी है ।

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण कार्य

4144. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 17 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न सं० 321 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति की विभिन्न सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय कर लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के वित्तीय तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व क्या है;

(घ) क्या नागार्जुन सागर परियोजना को ध्यान में रखते हुए वासतला, ओंगोल और रेपाल तालुकों में बाढ़ के परिणामस्वरूप संभावित तबाही को रोकने के लिये समिति ने कोई निर्माण-कार्य आरम्भ करने की सिफारिश की है,

(ङ) यदि हां तो वे कार्य क्या है ; और

(च) उन पर कितनी लागत आयेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : आन्ध्र प्रदेश के तटीय डेल्टा वाले क्षत्रों की बाढ़ समस्या के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट पर सम्बध्द केन्द्रीय मंत्रालयों और आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक में हाल ही में विचार किया गया था और यह फैसला किया गया था कि राज्य सरकार को शीघ्र समिति की सिफारिशों के आधार पर और पहले से हो चुके माडल तजरबों और सुझाए गए कुछ अन्य तजरबों का समाकलन करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये। तदनुसार कार्यवाही हो रही है ।

(ग) वित्तीय तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। अपेक्षित केन्द्रीय सहायता किस प्रकार की अथवा कितनी होनी चाहिये इस प्रश्न पर विचार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलन के तयार हो जाने पर किया जाएगा ।

(घ) समिति ने गनतुर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में नागार्जूनसागर परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई के शुरू करने के प्रभाव के सम्बन्ध में प्रकट की गई आम आशंकाओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। समिति ने महसूस किया है कि सिंचाई के शरू करने से भूमि को सीढ़ीदार बनाया जाएगा और इसलिये अब की अपेक्षा वर्षा का पानी अधिक रुकेगा। यद्यपि इससे सर्व ऋतु स्रवण में वृद्धि होगी परन्तु इसकी मात्रा कम्मामूर नहर को पार करने वाले निकास नाले के निर्गम द्वारों, जिनमें सुधार लाने का प्रस्ताव है, की वहन क्षमता से कम होगी। इन पहाड़ी क्षत्रों में डीटेंशन बेसिनों के प्रबन्ध की भी सिफारिश की गई है ।

(ङ) तथा (च): ऊपर के भाग (घ) के प्रति बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनका प्रश्न नहीं उठता ।

चुनीन्दा क्षेत्रों में भूमि सुधार

4145. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में भूमि सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक आधार पर चुनीन्दा क्षेत्रों में भूमि सुधार लागू करने की कोई योजना तैयार कर रही है ताकि कृषि उत्पादिता में होने वाली वृद्धि का पता लगाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : भूमि सुधार के सम्बन्ध में व्यापक राष्ट्रीय नीति पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित की गई है। स्थानीय दशाओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य को इस नीति को अपनाना तथा उसका कार्यान्वयन करना है ।

राज्यों में गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी योजनायें

4146. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी योजनाओं के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय राज सहायता में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा प्रस्तुत ऐसी योजनाओं पर कितना खर्च आयेगा; और

(घ) उनकी क्रियान्विति के लिए केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि दी जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) और (ख) : आर्थिक सहायता के तत्व यथापूर्व है किन्तु केन्द्रीय सहायता की राशि गंदी बस्ती सफाई योजना की अनुमोदित लागत के 75 प्रतिशत ($37\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण के रूप में तथा $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत सहायता के रूप में) से $87\frac{1}{2}$ प्रतिशत (50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत सहायता के रूप में) बढ़ा दी गयी है। अब राज्य सरकारें/स्थानीय निकाय पहले की 25 प्रतिशत व्यवस्था के स्थान पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत सहायता को व्यवस्था करेंगी । सहायता को पुनरीक्षित पद्धति 1 अप्रल, 1966 के पश्चात स्वीकृत हुई नयी परियोजनाओं पर लागू होंगी ।

(ग) और (घ) : 1966-67 में सभी राज्यों के लिए अनुमोदित खर्चा संलग्न विवरण में दिया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6111/66]** राज्य सरकारों के द्वारा पुरानी और नयी परियोजनाओं पर किये गये वास्तविक खर्च पर केन्द्रीय सहायता निर्भर करेगी ।

दिल्ली में क्षय रोग

4147. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षय रोग दिल्ली की मुख्य समस्या बना हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका उन्मूलन करने के लिए गत वर्ष क्या कार्यवाही की गई तथा प्रत्येक योजना पर कितना खर्च हुआ; और

(ग) राजधानी में बी० सी० जी० के टीके लगाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा यह क्षय रोग को रोकने में कहां तक प्रभावकारी सिद्ध हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली में क्षय रोग के सब मामलों का इलाज करने के लिये एक व्यापक योजना आरम्भ की गई है । यह योजना बहुत अच्छी प्रगति कर रही है । इस योजना के उद्देश्य ये हैं :

(एक) क्षय रोग क्लीनिकों द्वारा गृहोपचर्या को गहन बनाना और (दो) संस्पर्ष से प्रभावी लोगों में रोग के पता लगाने के कार्यक्रम तथा सार्वजनिक अस्पतालों में आने वाले रोगियों में रोग के चिन्हों का पता लगाने के कार्यक्रम को गहन बनाना । क्षय रोगयों को क्षय रोगविरोधी औषधियां मुफ्त देने का भी उपबन्ध किया गया है । क्षय रोग से बचाव के लिये 20 वर्ष से कम आयु के लोगों के बी० सी० जी० के टीके लगाने की भी व्यवस्था की गई है ।

इन योजनाओं की लागत के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) द्वार से द्वार आन्दोलन तथा विभिन्न क्लीनिकों और प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्रों द्वारा भी बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके लगाये गये। जिन लोगों को बचाव हेतु बी० सी० जी० के टीके लगाये गये थे उनमें फेफड़े के क्षय रोगी कितनी संख्या में हैं इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि मिलिएरी मेन्जीन्जीयल क्षयरोग के रोगियों की संख्या घटी है।

Funds for Rural Housing Schemes in U. P.

4148. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount spent on Rural Housing Schemes in the Third Five Year Plan upto the 31st January, 1966 ;

(b) the funds sanctioned to Uttar Pradesh Government during the above period ;

(c) whether the U.P. Government have requested the Centre for the allocation of more funds for Rural Housing Schemes in order to rehabilitate new immigrants; and

(d) if so, the reaction of the Central Government thereto. ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) The exact amount spent is not available, but it is expected that the utilisation in the Third Five Year Plan period will be Rs. 441·51 lakhs.

(b) Rs. 27·94 lakhs.

(c) No.

(d) Does not arise.

विश्वविद्यालयों में आन्तरिक अर्हापण

4149. श्री किशन पटनायक :

श्री मधु लिमये :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों से ब्रिटिश तथा भारतीय चिकित्सा परिषदों की सलाह के अनुसार आन्तरिक अर्हापण प्रणाली आरम्भ करने के लिए कहा है ;

(ख) क्या गजरात तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों ने इस प्रणाली का कड़ा विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सरकार ने विश्वविद्यालयों से यह प्रणाली आरम्भ करने के लिये नहीं कहा है।

(ख) ऐसा जान पड़ता है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने यह प्रणालीय भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों के अनुसार आरम्भ की है। गुजरात विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सा कालेजों के विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया था और उन्होंने हड़ताल की थी अब उन्होंने वह हड़ताल समाप्त कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण

4150. **श्री बालकृष्णन :**

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री 4 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1616 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन प्रशिक्षणार्थियों के बारे में, जो बंगलौर संस्था में प्रशिक्षित किये गये थे परन्तु जो परीक्षा तथा साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिये अन्तिम रुप से नहीं चुने जा सके थे, क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या प्रशिक्षण में त्रुटियों के कारण वे अन्तिम चुनाव (फाइनल सैलेक्शन) में नहीं लिये जा सके थे ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें इलाहाबाद संस्था में अथवा अन्य स्थानों पर आगे प्रशिक्षण देने तथा उन्हें भविष्य में, चाहे आयु सम्बन्धी प्रतिबन्ध कुछ भी हो, परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का है ; और

(घ) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो सरकार का उनको समान पदों पर किस प्रकार लगाने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) चूंकि संघ लोक सेवा आयोग ने उन्हें नहीं चुना था, इसलिये उन्हें नियुक्त नहीं किया गया ।

(ख) नहीं ।

(ग) परीक्षा-पूर्व केन्द्रों में स्थानों की संख्या सीमित होने के कारण प्रशिक्षण सम्बन्धी सविधायें केवल एक बार दी जाती हैं । जो उम्मीदवार आयु की तथा अन्य शर्तें पूरी करते है, वे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में फिर से बैठे सकते हैं ।

(घ) प्रशिक्षण सुविधायें इसलिये दी जाती है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार ऊंचा स्तर प्राप्त कर सकें । उन्हें नियुक्त किये जाने की गारंटी देना सम्भव नहीं है ।

ईसाई तथा गैर-ईसाई आदिवासी

4151. **श्री ह० च० सोय** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईसाई तथा गैर-ईसाई आदिवासियों के बीच शिक्षा तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी विषमता को ठीक करने के लिये श्री कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन में दी हुई मंत्रणा के अनुसार किस सीमा तक कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशखर) : अनुसूचित जातियों के विभिन्न वर्गों में कोई भेद भाव नही किया जाता । अनुसूचित आदिम जातियों के (ईसाई तथा गैर ईसाई दोनों ही) शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक विकास के लिये बड़े कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है । इन कार्यक्रमों के कारण गैर-ईसाई अनुसूचित आदिम जातियों की दशा में भी सुधार हुआ है, पर अभी काफी सुधार किया जाना बाकी है । पिछड़े वर्ग आयोग ने विषमता का उल्लेख तो अवश्य किया था, पर उसने इस बारे में कोई ठोस सुझाव नहीं दिये थें ।

बीर होरस तथा ईसाई आदिवासी

4152. **श्री ह० च० सोय :** क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा सम्बन्धी उन्नती के मामले में बीर होरस तथा ईसाई आदिवासियों में बहुत अधिक असमानता है और ईसाई आदिवासियों को प्रति वर्ष बहुत बड़ी राशि मिलती रहती है जब कि बीर होरस तथा होस आदिवासियों की सर्वथा उपेक्षा की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षा के संतुलित विकास के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र में अनसूचित जातियों का कल्याण

4153. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के कल्याण पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है; और

(ख) यह राशि किन किन कार्यों पर खर्च की जायेगी ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) 71.49 लाख रुपये ।

(ख) एक सूची संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6112/66** ।]

Violation of Untouchability (Offences) Act, 1955 in Delhi

4154. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state the number of prosecutions launched for the violation of Untouchability (Offences) Act, 1955, in Delhi ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : 20.

Smuggled Goods Recovered from Persons Coming from Pakistan

4155. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 6th March, 1966, the Customs Officers of Ferozepur recovered smuggled goods from the Muslims coming to India from Pakistan ;

(b) if so, the details of the goods recovered and the value thereof ; and

(c) whether it is also a fact that the said goods were of Chinese make ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b). On 5th March, 1966 two passengers coming from Pakistan through the Hussainiwala border were searched by the customs authorities and the following goods which had not been declared by the passengers were seized :—

(i) 24 glass cutters ;

(ii) 3 feeder bottles ;

(iii) 24 neckties ;

(iv) 48 packets of rubber contraceptives ;

(v) one ladies wrist watch ;

(vi) two sets of pens & pencils ; and

(vii) about 4 kgs. of asafoetida.

The total value of the seizure is about Rs. 750.

(c) Only the 48 packets of contraceptives mentioned in serial No. (iv) above were of Chinese origin.

Meeting of Indian Surgeons

4156. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that meetings of Association of Surgeons of India were held from 11th to 14th March, 1966 in India Medical Association House, Delhi ;

(b) if so, the topics discussed and recommendations made therein; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Health and Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) The meeting was a purely Scientific one in which scientific papers were read. No resolutions were passed nor recommendations made at this meeting.

(c) Does not arise.

केरल राज्य बिजली बोर्ड

4157. श्री वासुदेवन नायर : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या केरल राज्य बिजली बोर्ड ने अपना निजी लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड के अनुसचिवीय कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा तथा उनकी वरिष्ठता पर इस निर्णय का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या इस विषय में अनुसचिवीय कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) केरल राज्य बिजली बोर्ड ने 1 मार्च, 1966 से एक पृथक लेखा तथा लेखा परीक्षा स्कन्ध खोला है। परन्तु भारत का नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति इन लेखों की परीक्षा करता है ।

(ख) बोर्ड ने सूचना दी है कि मंत्रालयी कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा । लेखा कक्ष के लिये कर्मचारियों के चयनार्थ प्रवरता एक मापदंड था । लेखा कक्ष के बन जाने से मंत्रालयी कर्मचारियों की प्रवरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

(ग) केरल राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ ने लेखा तथा लेखा-परिक्षा कक्ष की स्थापना के खिलाफ राज्य बिजली बोर्ड को एक ज्ञापन दिया है। बोर्ड इस आवेदन-पत्र पर विचार कर रहा है ।

पंजाब से मलेरिया तथा फाइलेरिया का उन्मूलन

4158. **श्री दलजीत सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य से मलेरिया तथा फाईलेरिया का उन्मूलन करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या पूरी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) इन बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ।

स्वाथ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की संचालन योजना के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को निर्धारित मात्रा के अनुसार निःशुल्क डी० डी० टी०, मलेरिया निरोधी औषधियां, सूक्ष्मदर्शी यंत्र और सूक्ष्मदर्शी स्लाइड जैसी सामग्री और उपकरण तथा आयातित सामग्री के सीमा शुल्क के लिए सहाय्यानुदान देना स्वीकार किया है । 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65 और 1965–66 में सामग्री और उपकरणों के रूप में, जिसमें आयातित सीमा शुल्क भी सम्मिलित है, पंजाब सरकार को 122.62 लाख रुपये की सहायता दी गई है ।

इसके अलावा भारत सरकार आपरेशनल स्टाफ पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत तथा ऐसे अन्य आकस्मिक खर्च, जो इन क्षेत्रों में राज्य सरकारों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर होने वाले खर्च के अतिरिक्त करना पड़ता है, को वहन करने के लिए राजी हो गई है । निर्धारित लेखा पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों को इस हिसाब में नकद सहायता अलग अलग योजनाओं के लिए नहीं अपितु योजनाओं के एक वर्ग के लिए दी जा रही है । इसलिए पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अर्थोपाय ऋणों के रूप में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अब तक ठीक ठीक कितनी नगद सहायता प्राप्त की इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब में 18 एकक कार्य कर रहे हैं जो इस प्रकार गठित किये गये हैं कि प्रत्येक के अन्तर्गत् 12 लाख जन संख्या आ जाये। मलेरिया की अनुपाती रोगी दर अर्थात् कुल रोगों में मलेरिया का प्रतिशत जो 1953–54 में 7.7 प्रतिशत बतलाई गई थी, 1964–65 में घटकर .001 प्रतिशत हो गई है ।

फाइलेरिया उन्मूलन के लिए पंजाब में कोई योजना नहीं चल रही है ।

पंजाब में तपेदिक की रोक-थाम के उपाय

4159. **श्री दलजीत सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तपेदिक की रोक-थाम के उपायों के लिए पंजाब राज्य को अब तक कितनी धनराशी दी गई है ; और

(ख) यह राशि किन-किन मदों पर खर्च की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार राज्य सरकारों को निम्नलिखित क्षय-रोग निरोधी योजनाओं के लिये सहायता दे रही है :

1. बी० सी० जी० टीका अभियान,
2. क्षय रोग क्लीनिकों की स्थापना,
3. क्षय-रोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना,

4. सचल एक्स-रे एककों की स्थापना,

5. क्षय रोग पृथक्करण पलंगों की व्यवस्था, और

6. क्षय रोग निरोधी औषधियां देना ।

उपर्युक्त योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अनावर्ती खर्च का 75 प्रतिशत और आवर्ती खर्च का 50 प्रतिशत के हिसाब से केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

भवनों के लिए केन्द्र का हिस्सा निम्नलिखित सीलिंग के 75 प्रतिशत तक सीमित है ।

(क) क्षय रोग क्लीनिक . . . 95,000 रु० प्रति क्लीनिक

(ख) क्षय रोग प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र . 2,25,000 रु. प्रति केन्द्र

चूंकि केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता योजनाओं के एक समूचे वर्ग के लिये अर्थोपाय ऋण के रूप में दी जाती है, इसलिए तीसरी योजना में पंजाब सरकार ने क्षय निरोधी योजनाओं के लिए, इस प्रकार कितनी नकद राशि ली है, इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब राज्य के क्षय रोग क्लीनिकों को 2,66,745 रुपये के मूल्य की क्षय रोग निरोधी औषधियां दी गई है ।

पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सहायता को किन-किन मदों पर खर्च किया है इस के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । किन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने क्षय रोग निरोधी योजनाओं के लिए 25.20 लाख रुपये की व्यवस्था की थी और इस राशि में से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग 19.00 लाख रुपये क्षय रोग निरोधी योजनाओं पर खर्च किये गये ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

4160. श्री मौर्य :

श्री किशन पटनायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक को जयन्ती शिपिंग कम्पनी में कुप्रबन्ध तथा उसके द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के कथित उल्लंघन के बारे में मौखिक अथवा लिखित (गुप्त अथवा अन्यथा) शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रिजर्व बैंक का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है अथवा उसने की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : फरवरी, 1965 में भारत के रक्षित बैंक द्वारा जयन्ती शिपिंग कम्पनी के कार्य के सम्बन्ध में कुछ गुमनाम शिकायतें प्राप्त हुई थीं । वह बैंक उनकी जाच कर रहा है ।

राजस्थान में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग

4161. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के कितने कार्यालय इस समय किराये की इमारतों में चल रहे हैं; और

(ख) राजस्थान राज्य में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के कार्यालयों के लिए स्थायी इमारतें बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(ख) आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों के लिए संयुक्त कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए अजमेर, कोटा, धपुर और जयपुर में जमीनें खरीद ली गयी हैं । योजनाओं, अनुमानों आदि की स्वीकृति के लिए प्रारंभिक कदम उठाये ही जा रहे थे कि 1962 में संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई । असैनिक व्यय में किफायत की जरूरत और पाकिस्तानी आक्रमण के कारण, निर्माण-कार्य तब से आगे नहीं बढ़ सका । जैसे ही बजट-स्थिति अनुकूल पाई जायेगी, भवन निर्माण का काम हाथ में ले लिया जायेगा ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, उडीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

4162. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री मोहन नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी की सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, उड़ीसा

4163. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

श्री मोहन नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 और 1965–66 में उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग को प्रति वर्ष कितनी आय हुई थी ; और

(ख) उक्त अवधि में कर्मचारियों पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का संग्रह—

	1964–65	1965–66 (28–2–66 तक)
	रुपये (000)	रुपये (000)
शुल्क संग्रह	1,61,245	2,13,418
वापसी	798	499
शुद्ध	1,60,447	2,12,919

(ख) उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर व्यय

	रुपये
1964–65	8,28,100
1965–66	9,24,200

रायगाड़ा (उड़ीसा) में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग का कार्यालय

4164. श्री मोहन नायक :

श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगाडा, जिला कोरापुट (उड़ीसा) में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का कार्यालय किराये की इमारत में काम कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग ने 1958 से प्रति वर्ष किराये के रूप में कुल कितनी राशि दी है ; और

(ग) रायगाडा (उड़ीसा) में स्थायी विभागीय इमारत बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(ग) रायगाडा में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क भवन के निर्माण के लिए भूमि खरीद ली गई है । परन्तु 1962 से, आपत्काल के कारण, असैनिक खर्च में बचत करने की सख्त जरूरत होने से निर्माण-कार्य स्थगित रखना पड़ा । बजट सम्बन्धी अनुकूलता होते ही यह कार्य शुरू कर दिया जायगा ।

उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग

4165. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये कितने पद आरक्षित रखे गये ; और

(ख) उक्त अवधि में ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति द्वारा कितने पद भरे गये ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होमियोपैथिक औषधालय

4166. श्री मोहन नायक : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी तथा उनके निकटतम सम्बन्धी होमियोपथी का इलाज करवाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस आशय के अनेक अभ्यावेदन दिये गये हैं कि उनके लिये केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होमियोपथिक औषधालय भी खोले जाए ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग): जबकि सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि कितने सरकारी कर्मचारी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत उपचार कराते हैं, इस पद्धति के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएं देने के लिये समय समय पर प्रार्थना यें प्राप्त हुई हैं । अतः सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक होम्योपैथिक औषधालय खोलने पर विचार कर रही है ।

राज्य होमियोपैथिक बोर्ड

4167. **श्री मोहन नायक** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश राज्य होमियोपैथिक बोर्डों के अधिकांश सदस्य होमियोपैथी में अर्हता प्राप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों के मार्गदर्शन के लिये मुख्य रूपरेखा निर्धारित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके आधार पर होमियोपैथिक बोर्डों अथवा संकायों में सदस्य नामजद किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सरकार को जो सूचना प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि राज्य होम्योपैथिक बोर्डों/परिषदों में कुछ बिना अर्हता प्राप्त होम्योपैथिक हैं ।

(ख) इस विषय को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के सामने रखा जायेगा ।

आयुर्वेद का विकास

4168. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) विभिन्न राज्यों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के लिये कितनी राशि नियत की गई थी ; और

(ख) उसमें से कितनी राशि तीसरी योजना में आयुर्वेद के विकास के लिये नियत की गई थी और उस में से कितनी राशि खर्च की गई थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 296.80 करोड़ रुपये ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6113/66 ।] आयुर्वेद के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है ।

बिहार के सारन जिले की अनुसूचित आदिम जातियां

4169. **श्री बाडीवा** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के सारन (छपरा) जिले की 'गोंड' अनुसूचित आदिम जातियों को उस राज्य में अन्य आदिम जातियों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) : इस विषय में पूछताछ की जा रही है तथा तथ्य यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

नगरों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण

4170. श्री तन सिंह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री बड़े नगरों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण से सम्बन्धित 7 अगस्त, 1962 के अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : इस विषय पर स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद की आठवीं बठक, नगर एवं ग्राम आयोजन के राज्य मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन और नगर निगमों के तीसरे सम्मेलन में विचार किया गया था । उनकी सिफारिशों के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति (ग्राम नगर सम्बन्ध समिति) बनाई गई है और वह इस प्रश्न पर विचार कर रही है । इस समिति की रिपोर्ट सम्भवतया जून 1966 तक मिल जायेगी और इसके उपलब्ध हो जाने पर सरकार इस पर विचार करेगी ।

राजस्थान जल सम्भरण कार्यक्रम

4171. श्री तन सिंह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण तथा नगरीय जल संभरण योजनाओं के लिए राजस्थान को कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) इन वर्षों में वस्तुतः कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) धन का पूर्ण उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राजस्थान सरकार को तीसरी पंचवर्षीय योजना में नगर जल पूर्ति एवं नाली योजनाओं के लिये 349.52 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये गये ।

स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत सभी केन्द्र सहाय्यित योजनाओं के लिये, जिनमें ग्राम जल पूर्ति योजनायें भी सम्मिलित हैं, राजस्थान सरकार को तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 387.72 लाख रुपये की राशि सहाय्यानुदान के रूप में दी गई ।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आय-कर अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

4172. श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किलाचन्द ग्रुप के/या उस ग्रुप से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को बम्बई में कुछ वर्ष पहले सट्टे में हुई बहुत अधिक हानि की राशि को आय-कर निर्धारण से छोड़े देने के अपराध में आय-कर विभाग के एक अधिकारी के विरुद्ध अभियोग चलाया गया था/या उसे मुअत्तिल कर दिया गया था ;

(ख) इस प्रकार कितनी राशि की हानि को आय-कर निर्धारण से छोड़ दिया गया था;

(ग) क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध अभियोग अथवा कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) किलाचन्द देवीचन्द ऐंड कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1949-50 में "कपास के सट्टा बाजार" के खाते में 56.66 लाख रुपये के घाटे का दावा किया। आय-कर अधिकारी ने निर्धारण पूरा करते समय इसको सच मान लिया। प्रारम्भिक जांच से यह विदित हुआ कि आय-कर अधिकारी की यह कार्यवाही संशयात्मक थी। उस समय वह अधिकारी निवृत्ति-पूर्व अवकाश पर था। उसे पुनः ड्यूटी पर बुलाया गया और निलम्बन पर रखा गया।

(ख) आय-कर अधिकारी द्वारा अनुमति दिये गये घाटे की राशि 56,66,754 रुपये थी।

(ग) मुकदमे के फैसले में उस अधिकारी को उपेक्षाकारी ठहराया गया। चूंकि उस अधिकारी ने पहले ही वार्धक्यता प्राप्त कर ली थी, इस लिये उसे तुरन्त निवृत्त होने दिया गया। निलम्बन की अवधि में उसको जो वेतन और भत्ता देय था उसे घटा कर पहले लिये गये निर्वाह भत्ते के समान कर दिया गया था और पेंशन प्रयोजनों के लिये निलम्बन अवधि को नहीं गिना गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में पुस्तकालयों द्वारा बिजली की खपत

4173. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा किये जाने वाले बिजली के प्रयोग पर उसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, जिस प्रकार औद्योगिक उपक्रमों पर लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लक्कादीव द्वीपसमूह को बिजली की सप्लाई

4174. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में लक्कादीव द्वीपसमूह को बिजली की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) तथा (ख) : जी, हां। चौथी योजना के दौरान करावत्ती, मिनिकाय आमिनी और अन्द्रोथ द्वीपों के विद्युतन के शेष काम को पूरा करने के अतिरिक्त 6 नए द्वीपों नामशः (1) कलपेनी, (2) आगाथी, (3) कदामत, (4) किलतन, (5) चेतलत, और (6) बित्रा में बिजली लगाने का विचार है। 6 नए द्वीपों के विद्युतन की स्कीमें केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा बनाई जा रही हैं। घरेलू सेवाओं और गलियों की रोशनी के अतिरिक्त बर्फखाना, मत्स्यागार, डिब्बाबन्दी, होजरी जैसे छोटे छोटे उद्योगों को पावर देने के लिये 9 किलोवाट से 48 किलोवाट के बीच भिन्न भिन्न क्षमता के डीज़ल उत्पादन सैटों का प्रतिष्ठापन इन स्कीमों में परिकल्पित है। इन 6 ग्रामों के विद्युतन से लक्काडाइव द्वीप के सभी आबाद ग्रामों को बिजली मिल जाएगी।

केरल में गूंगों और बहरों का स्कूल

4175. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने कुन्नमकुलम, केरल राज्य में गूंगों और बहरों का स्कूल बन्द करने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा जैसे ही यह प्राप्त होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

शोलायर परियोजना

4176. श्री वारियर : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वासुदेवन नायर : **डा० महादेव प्रसाद :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शोलायर परियोजना में जनित्र (जेनरेटर) की कुण्डली (कोइल) जल गई थी और मई, 1966 तक विद्युत-जनन स्थगित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां। जनित्र कायल उच्च वोल्टता परीक्षण में असफल रही। इसलिये इस को तब्दील कर दिया गया। अब इस उत्पादन यूनिट के अप्रैल के अन्त तक अथवा मई, 1966 के आरम्भ में चालू होने की सम्भावना है।

(ख) इसका मूल्यांकन केरल सरकार कर रही है।

(ग) केरल सरकार बीमा कम्पनी को आवश्यक दावा भेज रही है।

आदिम जातीय कल्याण योजनाएं

4177. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में वर्षवार आदिम जातीय कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी राशि नियत की गई ;

(ख) यदि खर्च में कमी रही है, तो कितनी ;

(ग) वास्तव में कितना लक्ष्य पूरा किया गया ; और

(घ) आदिम जातीय कल्याण निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है : —

(क)

वर्ष	नियतन (रुपये लाख की राशियों में)
1961–62	839.90
1962–63	921.77
1963–64	1015.23
1964–65	1383.68
1965–66	1625.98
जोड़	5786.56

(ख) और (ग) : तृतीय पंचवर्षीय योजना 31-3-1966 को समाप्त हो गई थी । 31-3-1966 को समाप्त होने वाले वर्ष के बारे में प्रगति रिपोर्ट जून, 1966 में प्राप्त होनी है। इसलिये खर्च में कमी तथा भौतिक लक्ष्यों इत्यादि के बारे में अपेक्षित सूचना, जून 1966 के बाद ही प्राप्त होगी ।

(घ) यह योजनाएं विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है । समाज कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के दर्जे के एक विशेष अधिकारी अर्थात् निदेशक (पिछडे वर्गों का कल्याण) की नियुक्ति की गई है । उस पर योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिये राज्य सरकारों से घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखने का उत्तरदायित्व है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का संगठन भी है, जिसके सभी राज्यों में क्षेत्रीय उप-आयुक्त है । पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनायों की ठीक कार्यान्विति सुनिश्चित करने के लिये एक और एजेंसी स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

केरल में हैजा

4178. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल राज्य के तालीपारम्बा तालुक में मार्च, 1966 में हैजा फैल गया था ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : हां, केरल राज्य के तालीपारम्बा तालुक के दो गांवों में हैजा फैल गया था और इस रोग की आशंका वाले मामलों की पहली सूचना 27 फरवरी, 1966 को प्राप्त हुई थी। 7 मार्च तक ऐसे 118 रोगियों की सूचना प्राप्त हुई थी और तदुपरान्त 31 मार्च, 1966 तक केवल 15 की ही सूचना मिली। पाजिटिव घोषित 6 रोगियों में से 5 घातक सिद्ध हुए।

पिछड़े क्षेत्र

4179. **श्री उमानाथ** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े क्षेत्र निर्धारित करने के बारे में योजना आयोग द्वारा राज्यों को भेजे गये पत्रों के अनुसार राज्यों को पिछड़े क्षेत्र निर्धारित करने का अधिकार नहीं रहता, यदि वे क्षेत्र एक जिले में साथ-साथ लगते हुए तालुकों में होते हैं और ये आदेश केवल उन्हीं मामलों में लागू होते हैं जहां समूचा जिला पिछड़ा क्षेत्र होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की हालत का अध्ययन करने वाले अध्ययन दल द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में की गई सामान्य सिफारिशें तथा 29 सितम्बर, 1964 को पिछड़े क्षेत्रों पर हुई आधे घंटे की चर्चा के दौरान निर्दिष्ट प्रक्रियाएं तभी लागू होंगी यदि समूचा जिला पिछड़ा क्षेत्र हो और अन्यथा नहीं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के शीघ्र विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की शर्त यह है कि पिछड़ा क्षेत्र समूचा जिला हो और यदि पिछड़ा क्षेत्र जिलों का केवल एक भाग ही हो, तब नहीं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकारों को सम्बोधित योजना आयोग के जनवरी, 1965 के पत्र के साथ जो विशिष्ट सूचकों की सूची थी उनके बारे में अधिकांश सांख्यिकी आंकड़े जिला-वार उपलब्ध हैं। यह सुझाव दिया गया था कि प्रशासनिक जिलों के अनुसार पिछड़े जिलों की पहचान की जाय। परन्तु इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं मिला है, कि यदि पहचान क्षेत्रीय विकास से सम्बद्ध सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित हों तो छोटे एककों के अनुसार एक राज्य के अन्दर पिछड़े क्षेत्रों की पहचान नहीं की जा सकती।

मद्रास राज्य के पिछड़े क्षेत्र

4180. **श्री उमानाथ** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्र को इस आशय के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ताकि वह किसी जिले के तालुकों में पिछड़े क्षेत्र निर्धारित कर सके ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) ये प्रस्ताव किस तारीख को भेजे गये थे ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या मद्रास सरकार ने मद्रास राज्य में पिछड़े क्षेत्र निर्धारित करने के बारे में कोई दूसरे प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ) : जिस प्रशासनिक इकाई के आधार पर राज्य के पिछड़े क्षत्रों का निर्धारण करना है, उसके बारे में योजना आयोग तथा मद्रास राज्य में कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है। मद्रास सरकार, सांख्यिकीय आंकड़ों का जिलावार विश्लेषण करने तथा क्षेत्रीय विकास के विशिष्ट सूचकों के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण के विषय में योजना आयोग के जनवरी, 1965 के पत्र में मांगी गई सूचना उपलब्ध करने के लिए रजामंद हो गई है।

विदेशों से सहायता

4181. **श्री फिरोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरोप, एशिया तथा लातीनी अमरीका के छोटे देशों से वित्तीय सहायता की कोई पेशकश प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किस विशिष्ट उद्योग में उपयोग में लाई जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) हाल में इन देशों ने वित्तीय सहायता देने की बात कही है :

(1) हंगरी ;

(2) यूगोस्लाविया और

(3) स्वीडन

(ख) अलग-अलग उद्योग-धन्धों के लिए इस सहायता के इस्तेमाल के बारे में अभी छानबीन की जा रही है।

जनसंख्या में वृद्धि

4182. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल में प्रकाशित एक सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दो दशाब्दी की अवधि में दिल्ली की जनसंख्या दुगुनी और बम्बई की तिगुनी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो भारत के अन्य प्रमुख शहरों/कस्बों की जनसंख्या में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) तो सरकार की जानकारी इस के साथ कहां तक मेल खाती है ; और

(घ) पाकिस्तान तथा अन्य स्थानों से भारी संख्या में आने वाले लोगों के कारण इस जन संख्या में कहां तक वृद्धि हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। भारत सरकार को केवल एक प्रेस विज्ञप्ति की जानकारी है जो 7 अप्रैल, 1966 को मनाये गये विश्व स्वास्थ्य दिवस के सम्बन्ध में विश्वस्वास्थ्य संगठन के रीजनल आफिस फार साउथ ईस्ट एशिया नई दिल्ली के कार्यालय से 1 अप्रैल, 1966 को प्रकाशित हुई थी। इसमें बतलाया गया था कि 1940 से 1960 के बीच दिल्ली की जन संख्या दुगुनी और बम्बई की तिगुनी हो गई है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस विज्ञप्ति में भारत के अन्य प्रमुख शहरों अथवा नगरों की जन-संख्या में वृद्धि होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) भारतीय जन गणना के आंकड़े विश्वस्वास्थ्य संगठन की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित आंकड़ों से मेल नहीं खाते। इस जन गणना के अनुसार 1961 में बृहत्तर बम्बई की जन संख्या 1941 की जनसंख्या

का 2.46 गुना हो गई थी। 1961 में दिल्ली की जनसंख्या (दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली और दिल्ली छावनी) 1941 की जन संख्या का 3.39 गुना हो गई थी।

(घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बाहर से आकर बसने वालों में बृहत्तर बम्बई में 8.4 प्रतिशत तथा दिल्ली में 34.1 प्रतिशत भारतीयेतर (पाकिस्तान सहित) है।

Fire in Jhuggis in Moti Nagar, Delhi

4184. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Bade :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fire broke out in jhuggis in Moti Nagar, Delhi on the 29th March, 1966 resulting in a loss amounting to Rs. 30 thousand ;

(b) the number of jhuggis which were gutted in this fire ;

(c) whether any relief has been provided to them by Government ; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes; the fire broke out between the night of the 28th-29th March 1966. The loss has not been assessed.

(b) 22 jhuggis including six partially damaged.

(c) and (d). The Municipal Corporation of Delhi paid a sum of Rs. 25 as immediate relief to each family affected by the fire.

गौहाटी ताप बिजली घर परियोजना

4185. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से मिलने वाली चौथे "येन" ऋण के अन्तर्गत गोहाटी ताप बिजली घर परियोजना स्थापित करने के लिये व्यवस्था कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यह कार्य कब पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : (क) जी, हां। गोहाटी ताप बिजली परियोजना के लिये चौथे येन ऋण के अधीन 18.85 लाख डालर (89.75 लाख रुपये) का प्रबन्ध किया गया है।

(ख) और (ग) : जापानी संभरकों को साज सामान के लिये आदेश दे दिये गये हैं। बिजली घर का स्थल गोहाटी के निकट चन्द्रपुर में चुन लिया गया है और भूमि अर्जन का काम तथा अन्य प्राथमिक काम प्रगति कर रहे हैं।

Fake Currency Notes

4186. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many gangs are active all over the country in printing fake currency notes and selling them;

(b) if so, the measures adopted to unearth them;

(c) the number of cases relating to fake notes detected by Government during the last year; and

(d) the action taken against the persons concerned ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) to (d). Forging of Currency and Bank notes is an offence under Section 489A of the Indian Penal Code and prosecutions for such offences are launched by the State Governments concerned. According to information available, 1268 cases of forgeries were detected during 1965. Government have, however, no information to suggest that gangs are active all over the country in printing and selling forged currency notes.

Five-Year Holiday From Babies

4187. Shri Onker Lal Berwa : **Shri R. Barua :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri N. R. Laskar :**
Shri R. S. Pandey : **Shri Liladhar Kotoki :**

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that she has recently initiated a new slogan of "A Five-Year Holiday from babies" in the country;

(b) whether this forms a part of the policy of Government in respect of Family Planning; and

(c) the scheme formulated by Government to give publicity to this slogan ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) to (c). I have expressed the view that it will be good to concentrate on food production for 5 years and stop producing babies for that time. Such ideas are given publicity through mass motivation programme for Family Planning.

New Water Plant in Delhi

4188. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new plant with a capacity of 40 million gallons of water has been installed by the Water Supply and Sewage Disposal Committee at Wazirabad in Delhi; and

(b) if so, the particulars of the areas to which water will be supplied therefrom ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) The areas which will get additional water supplies will be:—

(a) parts of Old City Area.

(b) Parts of South Delhi and Cantonment Area.

(c) Parts of West Delhi Area.

Government Hospitals in Delhi

4189. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the total number of beds provided in all the Government Hospitals in Delhi;

(b) whether it is a fact that patients keep lying on the floor due to the shortage of beds;

(c) whether it is also a fact that the patients sleeping on the floor are not given bed cushions; and

(d) if so, the measures being taken by Government to meet this shortage ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) There are 3,068 beds in the four Government Hospitals in Delhi-Safdarjang Hospital (1,142), Willingdon Hospital (600), Irwin Hospital (1,068) and G.B. Pant Hospital (258). In addition, 567 beds in the Lady Hardinge Medical College and Hospital, 158 in the Kalavati Saran Children's Hospital and 555 beds in the Hospital attached to the All-India Institute of Medical Sciences are also financed by Government.

(b) & (c). Normally there is overcrowding to the extent of 20% except in the G.B. Pant Hospital. These extra patients are provided beds and linen as far as possible but some of them are given blankets and coir mattresses.

(d) The demand for hospital beds in Delhi is increasing. The question of providing additional beds is constantly under consideration of the Government.

पंचवर्षीय योजनाओं में महाराष्ट्र के लिये सिंचाई और बिजली के लिये धन नियतन

4190. श्री दे० शि० पाटिल

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में सिंचाई की प्रतिशतता भारत में सबसे कम होने के बावजूद भी तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई और विद्युत के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए बहुत कम धन नियत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक धन नियत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना०मिश्र): (क) और (ख) : सिंचाई तथा बिजली के लिए योजना व्यय-व्यवस्था का नियतन, सिंचाई के सम्बन्ध में अन्वेषित परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और बिजली की परियोजनाओं के लिए बिजली की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। भूतपूर्व बम्बई राज्य और वर्तमान महाराष्ट्र राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उपलब्ध साधनों के आधार पर पिछली तीन योजनाओं में सिंचाई तथा बिजली के लिए अधिकतम सम्भव नियतन करने का प्रयत्न किया गया। भूतपूर्व बम्बई राज्य के लिए पहली योजना में सिंचाई तथा बिजली के लिए कुल व्यय-व्यवस्था 38 करोड़ रुपये थी, जबकि सब राज्यों के लिए 523 करोड़ रुपये थी। पुनर्गठित बम्बई राज्य के लिए दूसरी योजना में व्यय-व्यवस्था 131 करोड़ रुपये थी जबकि सब राज्यों के लिए 806 करोड़ रुपये थी। तीसरी योजना में महाराष्ट्र के लिए व्यय-व्यवस्था 162 करोड़ रुपये थी इसके विपरीत सब राज्यों के लिए 1699 करोड़ रुपये थी।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के नियतन के विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

School Health Service Scheme

4191. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) the names of the States in which School Health Service Scheme has been implemented; and

(b) the number of districts, Statewise, in which School Health Centres have been opened ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) The School Health Service Scheme has been started in all States except Jammu & Kashmir and Nagaland.

(b) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Houses for Landless Agricultural Labourers

4192. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether there is any housing scheme for landless agricultural labourers;

(b) if so, the details of the scheme;

(c) the number of houses constructed State-wise under the scheme for landless agricultural labourers during 1965-66; and

(d) the amount paid by the Centre to the States for the scheme during the year 1965-66 ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). Yes. The Village Housing Projects Scheme of this Ministry envisages the grant of house-sites to landless agricultural labourers. The Central Government is giving grants to the State Governments for meeting the expenditure on this programme. The latter can utilise for this purpose 1/3rd of the funds allocated to them under the Scheme.

(c) and (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भारत को कनाडा का ऋण

4193. **श्री धर्मलिंगम :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा ने भारत को भारतीय ऋण दायित्व की समाप्ति के बारे में सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि देनी थी ; और

(ग) उक्त ऋण समाप्ति के सम्बन्ध में क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख) : कनाडा सरकार द्वारा भारत सरकार को गेहूं की खरीद के लिए 1958 में कुल 338 लाख कनाडियन डालर (14.88 करोड़ रुपये) के जो दो ऋण दिये गये थे उनके बारे में कनाडा सरकार ने अब घोषणा की है कि बकाया रकम और उसके ब्याज की रकम, जिनका कुल ज़ोड़ 100 लाख कनाडियन डालर (4.4 करोड़ रुपया) है, वसूल नहीं की जायगी।

(ग) कोई शर्त नहीं लगायी गयी है।

विदेशी मुद्रा का तस्कर व्यापार

4194. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अप्रैल, 1966 को बम्बई के फोर्ट क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क बम्बई कलेक्टोरेट के कर्मचारियों ने एक व्यक्ति की तलाशी ली और उससे बड़ी मात्रा में 5,000 पौंड मूल्य की विदेशी मुद्रा पकड़ी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 4 अप्रैल, 1966 को बम्बई के फोर्ट क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अफसरों ने एक व्यक्ति की तलाशी ली थी, और 1426 पौंड का एक डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा पांच-पांच पौंड के 714 ब्रिटिश पोस्टल आर्डर उसके पास से पकड़े गये।

(ख) वह व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में ज़मानत पर छोड़ दिया गया। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

लावारिस कुत्ते

4195. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या लावारिस कुत्तों को पकड़ने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा पुरस्कार देने की योजना की घोषणा से देश में पशु-प्रेमियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा

4196. **श्री फिरोदिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि राज्य की मुख्य बिजली परियोजनाओं के लिए कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण लेने और विदेशी सलाहकारों को देश में बुलाने के लिये विदेशी मुद्रा दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रार्थना पर विचार कर लिया है तथा उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या ऐसी प्रार्थना पर केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों को भी विदेशी मुद्रा दी है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार कितनी राशि दी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) ताप केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए 13 इन्जीनियरों को भेजने के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। इसमें 2,00,323 रुपये विदेशी मुद्रा का व्यय निहित है।

यमुना पन बिजली स्कीम के सलाहकार बोर्ड के लिये 2 विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश को 1,22,094 रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई है। रूस में उत्तर प्रदेश के इन्जीनियरों के एक दल के प्रशिक्षण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) जी, हां।

(घ) अन्य राज्यों को गत वर्ष दी गई राशियां निम्नलिखित हैं :—

राज्य का नाम	विदेशों में व्यक्तियों के प्रशिक्षणार्थ विदेशी मुद्रा	विदेशी सलाहकारों को बुलाने के लिये विदेशी मुद्रा
आन्ध्र प्रदेश . . .	500 रुपये	
बिहार . . .	कुछ नहीं	..
महाराष्ट्र . .	1,000 रुपये	
उड़ीसा	2.02 लाख रुपये	..

दिल्ली में जल संयंत्र

4197. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 4 करोड़ गैलन दैनिक क्षमता वाले नये जल संयंत्र के आरम्भ हो जाने के बाद भी दक्षिणी दिल्ली की बस्तियों में जल संभरण की स्थिति में तनिक भी सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन 4 अप्रैल, 1966 को हुआ था। इस संयंत्र से पानी दक्षिण दिल्ली तथा विभिन्न अन्य स्थानों को पानी पहुंचाने के लिये बिछाये गये संचरण नलों को साफ तथा विसंक्रित करने के लिये छोड़ा गया है। दक्षिण दिल्ली मुख्य नल का तिलक ब्रिज से लाजपत नगर तक का भाग विसंक्रमित कर दिया गया है और पानी के नमूनों की प्रयोग-शाला में परीक्षा की जा रही है। इन नमूनों के उपयुक्त घोषित होते ही इन नलों से पानी दिया जाने लगेगा।

मैसूर के लिये पेय जल योजनायें

4198. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने पेय जल की व्यवस्था करने के लिये 24 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना हाल ही में स्वीकृति के लिये भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

Tribal Development Blocks

4199. **Shri Rattan Lal** : Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Tribal Development Blocks in various States and the expenditure incurred on them so far;

(b) the number of Tribal Development Blocks proposed to be set up during the first year of the Fourth Five Year Plan; and

(c) the major schemes being implemented in these Blocks with a view to grow more food ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (a) (i) Number of Blocks started—458.

(ii) Expenditure out of the additional funds allotted under the Backward Classes Sector is Rs. 1356.46 lakhs upto the end of 1964-65.

(b) 40 Blocks.

(c) The major schemes are :—

(i) Distribution of improved seeds.
(ii) Distribution of fertilizers and manures.
(iii) Distribution of improved implements.
(iv) Agricultural Demonstrations.
(v) Distribution of chemical pesticides.
(vi) Digging of compost pits.
(vii) Minor irrigation.
(viii) Land reclamation and improvements.

प्रवर्तन निदेशालय में कर्मचारी

4200. श्री बासप्पा : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्रीमती सावित्री निगम : **श्री भागवत झा आजाद :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों की पदोन्नति तथा स्थायीकरण वरिष्ठता के अनुसार किया जाता है;

(ख) क्या प्रवर्तन निदेशालय में सभी कर्मचारियों की सामान्य वरिष्ठता की सूची रखी जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में निदेशालय के मद्रास प्रादेशिक कार्यालय के कुछ कर्मचारी स्थायी किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें वरिष्ठता के आधार पर ही स्थायी किया गया था; और

(ङ) क्या पिछले निर्णयों के पुनरीक्षण के लिये कोई विभागीय पदोन्नति समिति नियुक्त की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) प्रवर्तन निदेशालय में, प्रवरता तथा योग्यता का उचित विचार करके और गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गय सामान्य अनुदशों के अनुसार ही तरक्की और मुस्तकिली की जाती है।

(ख) निदेशालय में विभिन्न ग्रेडों के लिए प्रवरता सूचियां रखी जाती हें; और समय समय पर इनका पुनरावलोकन किया जाता है ।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धान्तों के अनुसार ही कर्मचारियों को मुस्तकिल किया गया था।

(ङ) पहले की गई कुछ तरक्की और मुस्तकिली के मामलों की समीक्षा करने के लिये एक विभागीय पदोन्नति समिति को कहा गया है, अगर कोई अनियमितता पाई जायगी तो सरकार निःसंदेह उचित कदम उठायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मिजो विद्रोहियों द्वारा चाय बागान आदि पर धावे

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : श्रीमान्‌जी, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"मिज़ो विद्रोहियों द्वारा रंगपुर के वन कार्यालय तथा कछार में मोहीरवाल चाय बागान पर हाल में किये गये धावे ।"

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्रीमान्‌जी, गृह मंत्री ने अपने एक पहले वक्तव्य में संक्षेप में यह बताया था कि सुरक्षा सेना की कार्यवाही के फलस्वरूप आसाम के मिज़ो पहाड़ियाँ ज़िले में स्थिति सुधर गई है। यह स्वाभाविक है कि माननीय सदस्य कुछ मिज़ो गिरोहों द्वारा शत्रुता-पूर्ण कार्यों को जारी रखने के समाचारों से चिन्तित हैं।

2. सरकार को यह सूचना मिली है कि सशस्त्र मिज़ो विद्रोहियों के एक दल ने कछार ज़िले में जो कि मिज़ो पहाड़ियों पर स्थित है 17 अप्रैल को एक चाय बागान मौनियर खेल के मैनेजर के बंगले पर हमला किया। उन्होंने बंगले के चौकीदार को पकड़ लिया, कुछ गोलियां चलाईं और एक बन्दूक, कुछ नक़दी और आभूषण लेकर भाग गये। लौटते हुए उन्होंने अपने साथ कुछ दूरी तक मैनेजर को भी घसीटा, परन्तु उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। यह समाचार मिला है कि मिज़ो विद्रोहियों के कुछ गिरोह मिज़ो पहाड़ियों के भरवी क्षेत्र से कछार ज़िले में चले गये हैं और गाँव वालों से ज़बरदस्ती धन वसूल कर रहे हैं, जिसे कि वे कर कहते हैं। उन्होंने भैरवी के सीमावर्ती कछार ज़िले में गाँव में रहने वाले रियाँग आदिम जाति के लोगों को तंग किया। हाल ही में उन्होंने फकुआ, एकता चेरा, रियांग बस्ती में एक साधु को मार दिया जो एक धार्मिक व्याख्यान दे रहा था। मिज़ो विद्रोहियों के एक दल ने रंगपुर में वन-गृह (Forest House) पर हमला किया, जंगलात के अधिकारी (Forester) को धमकी दी और कुछ रुपया-पैसा ले कर चम्पत हो गये।

3. तोड़-फोड़ की इन इक्का-दुक्का वारदातों को रोकने में कुछ समय लगेगा। असैनिक प्रशासन को मज़बूत बनाया जा रहा है और सफ़ाया करने का काम जारी है। कुछ विद्रोहियों को पकड़ा गया है। हथियार और गोला-बारूद उनसे बरामद हुए हैं। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती सरकार अपने प्रयत्नों में कोई शिथिलता नहीं आने देगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : मिज़ो ज़िला पाकिस्तान और बर्मा के निकट है। यह कछार जिले से मिला हुआ है। क्या सरकार इन लोगों की कार्यवाहियों से यह नहीं समझ पायी है कि इन लोगों का इरादा भारत से सम्बन्ध समाप्त करके भारत से अलग होने का है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो केवल कुछ निराशावादी लोगों का काम है। मिज़ो विद्रोहीं वहां से धन एकत्र करने के लिये धावे मारते हैं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know whether it is a fact that more than 100 Mizo people are staying in Burma and are getting training? Are there any rebels in Pakistan also ? What is the number of our officers who are in the castody of rebels and what efforts are being made to free them?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : No Mizo rebels are in Burma. There are, of course, some Mizo rebels in Pakistan and they are getting training there. About 7 or 8 officers are in their custody. We are trying to find them out.

Shri Vishram Prasad (Lalganj) : It is clear from the ammunition seized from these rebels that that Pakistan is helping them. What action is being taken by Government in this regard ?

Shri Swaran Singh : It may be that Pakistan is helping them, because the weapons seized from them give some such indication.

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : (कचार) कछार ज़िले में सुरक्षा तथा मिज़ो विद्रोहियों को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वे लोग आये नहीं है। उन्होंने केवल कुछ छापे मारे हैं। ऐसे छापों को बन्द करने के लिये सीमा क्षेत्रों में गश्त बढा दी गई है।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिज़ो लोगों को हथियार पाकिस्तान से मिल रहे है, उनको वहां पर प्रशिक्षण मिल रहा है, उनको अब पाकिस्तान में कैम्पों सम्बन्धी सुविधाएं भी मिल रहीं हैं और ढाका में तथाकथित मिज़ोलैंड की सरकार का अस्थायी कार्यालय भी बन गया है,

[श्री हेम बरुआ]

इससे यह सिद्ध होता है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि भारत इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता और यदि आवश्यक हुआ तो भारत कड़ी चोट लगायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने अपने विचारों को पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को सभी सुविधाएं न मिलें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार को गुप्तचर विभाग या अन्य स्रोतों से जानकारी मिली है कि मिज़ो विद्रोहियों को पाकिस्तान में वहां की सरकार की जानकारी में चीनी तकनीशन प्रशिक्षण दे रहे हैं? यदि हां तो क्या यह पाकिस्तान का कार्य ताश्कन्द समझौते की भावना के विरुद्ध नहीं है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमे ऐसे समाचार नहीं मिले कि चीनी लोग पाकिस्तान में मिज़ो लोगों प्रशिक्षण दे रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): क्या मिज़ो लोगों से कुछ ऐसे रजिस्टर भी मिले है जिन से उनकी सेना की संख्या आदि का ब्यौरा मिलता है ? क्या यह रजिस्टर नष्ट कर दिया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हां एक रजिस्टर पकड़ा गया था। जब उसके मिज़ो लोगों के पास जाने की शंका थी तो उसे भी अन्य दस्तावेजों के साथ नष्ट कर दिया गया था।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of persons who have been arrested and whether Government have prepared list of those who are yet to be arrested ?

Shri Vidya Charan Shukla : Some of our persons were killed and some arrested. About the weapon we already placed list on the table of the House.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the name of the country, where those weapons were manufactured ?

Shri Vidya Charan Shukla : Nothing can be said about that, because those weapons bore no markings.

Shri R. S. Pandey : Have Government taken any step to pacify those people and help them ?

Shri Vidya Charan Shukla : We have taken necessary steps for their security and now after this further action would be taken for their welfare.

श्री हेम बरुआ : हमारी सुरक्षा सेना के एक ब्रिगेडियर ने, जो इस समय मिज़ो जिले में है, कहा है कि ये हथियार पाकिस्तान से आये हुए हथियार हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने केवल यही कहा है कि उन पर कोई निशान नहीं है। हमारा अनुमान है कि पाकिस्तान से आये होंगे।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : क्या पहले कभी केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्री मिज़ो पहाड़ी क्षेत्रों का स्थिति तथा वहां के लोगों की आवश्यकताओं का पता लगाने गये हैं और क्या योजना आयोग के सदस्य श्री त्रिलोक सिंह की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का व्यय सरकार उठायगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्री वहा नहीं गये। हमें आसाम सरकार से वहां की स्थिति का ठीक ठीक ब्यौरा प्राप्त हुआ है।

श्री रंगा : माननीय उपमंत्री कुछ उत्तर दे रहे परन्तु दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते हुए भी कुछ नहीं बता रहे हैं। एक दो प्रश्नों का पूरा उत्तर भी नहीं दिया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपने उत्तर को ठीक प्रकार से समझा नहीं है।

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Speaker, . . .

Mr. Speaker : The hon. Member may resume his seat.

Shri Bagri : The questions are not answered properly. In the circumstances what is the use of putting questions ?

श्री रंगा : यदि ठीक उत्तर नहीं दिये जाते तो प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैंने समझा कि माननीय सदस्य को उत्तर मिल गया है। यदि माननीय सदस्य और कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे बताया जाये, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री स्वल (आसाम-स्वायत्त शासी जिले) उठे.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैंने उन्हें नहीं पुकारा है।

श्री स्वैल : **

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के वृत्तान्त में नहीं जायेगा।

Shri Bagri : Mr. Speaker,....

Mr. Speaker : I have not called him.

Shri Bagri : You call some Members whereas you do not call the other ones. This question is in regard to backward areas, but the Minister does not give proper answers.

Mr. Speaker : I am very sorry. There is a well-established practice that only those Members are called in whose names the question stands. As such how can other Members be called ?

Shri Bagri : **

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के वृत्तान्त में नहीं जायेगा।

श्री रा० बरुआ : क्या केन्द्रीय सरकार उन सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी ?

श्री नन्दा : जी हां, ये सिफारिशें प्राप्त हुई है और उसके अतिरिक्त आसाम के मुख्य मंत्री भी वहां गये और उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। योजना आयोग के सदस्य श्री त्रिलोक सिंह वहां पर कई बार गये है और उन्होंने वहां की आर्थिक स्थिति का अच्छी तरह अध्ययन किया है और इस बारे में अपनी सिफारिशें दी है। उन पर विचार हो रहा है।

**यह कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

श्री नि० र० लारकर : कछार जिला बहुत महत्वपूर्ण जिला है। इसके एक ओर तो उपद्रवी तत्व है और दूसरी ओर मिज़ो उपद्रवी तत्व है। उपद्रवी नागाओं को उपद्रवी मिज़ो लोगों के साथ मिलने से रोकने तथा वहां सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : उनको वहां रोकने के लिये गश्त बढ़ा दी गई है।

श्री दी० चं० शर्मा : पाकिस्तान और चीन की गठजोड़ तथा वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वफ़ादार मिज़ो लोगो के संरक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ करेगी ?

श्री नन्दा : सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत की जा रही है। गश्त बढ़ायी जा रही है। असैनिक प्रशासन ने अधिक कारगर ढंग से कार्य आरंभ कर दिया है। आसाम सरकार अधिकाधिक रूचि ले रही है।

श्री दाजी : ऐसा जान पड़ता है कि सरकार को ठीक जानकारी नहीं मिल रही है। क्या वहां पर विद्रोह की भावना फैलती नहीं जा रही है ? क्या यह उचित है कि पुलिस अधिकारी रिकार्ड जला दें ? क्या सरकार सभा को बता सकती है कि वहां पर क्या हो रहा है ?

श्री नन्दा : सरकार को स्थिति की पूरी पूरी जानकारी है और स्थिति पर पूरा नियन्त्रण है। सुरक्षा सेना ने वहां पर काम संभाल लिया है। मिज़ो लोगोने छापामारों के हथकंड अपना लिये थे इसलिये कुछ कठिनाई हुई है। हम स्थिति की गम्भीरता को समझते है और हम स्थिति से निपटने के लिये तैयारी कर रहे हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : Is this rebellion a part of a series of incidents that are happening in other parts of the country. People, particularly tribals, are thinking in terms raising their head against Government. This tendency is not good for the country. The foreign missionaries have distorted the facts of history and have given wrong accounts of Indian history. I want to know whether Government would set right these wrong things ?

Shri Nanda : There is some such feeling in only a small area of our country. It is not true that all tribals are things in terms of rebellion. We are making efforts to improve the lot of all tribal people. We want them to make progress. They are being provided employment etc.

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

लमडिंग रेलवे स्टेशन पर सवारी गाडी में विस्फोट

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो स्थगन प्रस्ताव, एक श्री स० मो० बनर्जी तथा श्री दाजी द्वारा और दूसरा श्री हेम बरुआ द्वारा, और विभिन्न सदस्यों से 16 ध्यान दिलाने वाली सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इस बारे में रेलवे मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं। तथ्यों को जानने के हेतु मैं यह चाहता हूं कि वह पहले अपना वक्तव्य दें।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 20 अप्रैल, 1966 को जब 20 डाउन लमडिंग तिनसुकिया मुसाफिर गाड़ी लमडिंग स्टेशन के, प्लेटफार्म नम्बर एक पर गड़ी थी रात के दस बज कर पांच मिनट पर इंजन से दूसरे डिब्बे के तीसरे दर्जे के कम्पार्टमेंट में ज़ोर का धमाका सुनाई दिया। इस से डिब्बे के पिछले भाग की छत उड़ गयी और डिब्बे में बठी सवारियां और प्लेटफार्म पर खड़े लोगो में से बहुत से हताहत हुए। धमाके के परिणामस्वरूप 134 लोग घायल हुए और मलबे के आसपास

39 लाशें पाई गयी। सभी घायलों को वहां फर्स्ट एड दी गई और लमडिंग रेलवे अस्पताल भेज दिया गया। उन में से अब तक 14 मरे चुके हैं।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के जनरल मेनेजर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी 21-4-66 को प्रात: चार बज कर पचास मिनट पर घटनास्थल पर पहुंच गए। हाफलांग की सुरक्षा पुलिस और स्थानीय रेलवे अधिकारियों नें वहाँ सहायता के लिए जो प्रबन्ध कर रखे थे उन का मुआइना किया। लमडिंग के डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल सुपरिंटेंडेंट को लमडिंग स्टेशन पर नियुक्त कर दिया गया है ताकि वह यात्रियों को रेलवे पास दे और उन्हें प्रसादत: भुगतान करे। घायलो के घर का पता जहां तक मालूम हो सका है उन के घर वालों को तार दे दिए गए हैं। घायलों को 50 रु० से 200रु० तक देने की व्यवस्था की गयी है मृतको के सम्बन्धियों को भी उन की पहचान हो जाने पर प्रसादत: भुगतान किया जायेगा। 20 डाउन की शेष सवारियों को निवेशष गाड़ी द्वारा उन के गंतव्य स्थानों पर भेज दिया गया है वह गाड़ी 20-4-66 की रात को 12-50 पर छुटी थी। दूसरी गाड़ियां ठीक चल रहीं हैं और दूसरे डिब्बे पटरी पर हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

Shri S. M. Banerjee : This is not the first accident of this type. During last few months many accidents have taken place. The rail travel in that area has become very unsafe. Some sort of panic is spreading there. It is not an ordinary state of affairs that 43 persons have been killed in accidents. It shows the failure of Government. We should be given an opportunity to censure this Government.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : इस दुर्घटना के पीछे कुछ लोगों का हाथ है। इन लोगों को ऐसी कार्यवाही करने से रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस लिये यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस दुर्घटना के लिये सरकार पूर्णतया दोषी है। इस प्रकार की घटना भविष्य में नहीं होनी चाहिये।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : इस से पहले भी इस प्रकार की दो दुर्घटनाएं साफरवती तथा फरकेडिंग में हो चुकी हैं। यह इस लड़ी की तीसरी दुर्घटना है।

7 मार्च 1966 का जोरहाट में एक जीप से सात नागा गिरफ्तार किये गये थे। इनके कबजे से कुछ मानचित्र तथा दूसरे पेपर पकड़े गये थे। इन मानचित्रो में ब्रम्हपुत्र घाटी के साथ साथ रेल पटरी को तोड़ने की योजना थी परन्तु आसाम के मुख्य मंत्री के कहने पर जोकि नागालैण्ड शान्ति मिशन के सदस्य भी हैं, ड्राइवर और चपरासी के सिवा शष सभी व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था। वहां पर इस प्रकार से कार्य हो रहा है। हमारे बार बार कहने पर भी आसाम में यात्रा करने वाली जनता के लिये सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। इसलिये इस दुर्घटना के लिये सरकार को ही दोषी ठहराया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि सभा को स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जाये।

रेलव मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यह सच है कि इन दुर्घटनाओं के कारण आसाम में लोग बहुत क्षुब्ध हैं। मरने वालो में कुछ लोग देश के दूसरे भागो के रहने वाले थे। प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है कि यात्रा करने वाले लोगों के सामान तथा जीवन की सुरक्षा के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये जाने चाहिये। यह सच है कि यह तोड़फोड़ की कार्यवाही है। अब एक ही रास्ता रह गया है और वह यह कि प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति के सामान की तलाशी ली जाये। इस बारे में मैंने प्रधान मंत्री से परामर्श किया है और आसाम के मुख्य मंत्री से भी मैं इस बारे में परामर्श करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम सुरक्षा के प्रबन्ध अधिक मजबूत बनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस दुर्घटना के कारणों के बारे में क्या प्राथमिक समाचार अथवा जानकारी प्राप्त हुई है।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्जी, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। परन्तु एक बात स्पष्ट है और वह यह कि रेल गाड़ी में विस्फोट हुआ था। हो सकता है कुछ यात्री टाइम बम रख गये हो और इन बम के फटने से यह दुर्घटना हुई हो।

श्री त्यागी (देहरादून) : श्रीमान्जी, विरोधी पक्ष ने सभा में सरकार पर कुछ गम्भीर आरोप लगाये है। मेरा निवदन है कि या तो आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे अथवा सरकार को कहें कि वह इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार कोई वक्तव्य देना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नई है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इन दुर्घटनाओं के लिये सरकार जिम्मेदार है। परन्तु स्थगन प्रस्ताव के रुप में इन बातों पर चर्चा नहीं हो सकती। (**अन्तर्बाधा**) आसाम के मुख्य मंत्री कल यहां पर आ रहे हैं। इस लिये कल शामको कोई वक्तव्य देना सम्भव होगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : महोदय मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यो नें जो कुछ कहा है उसको देखते हुए मंत्री महोदय एक विस्तृत वक्तव्य दें जिसमें इस सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के समस्त प्रश्न पर प्रकाश डाला गया हो।

श्री उ० मु० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्री हेम बरुआ ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त भी हम बहुतसी बातें जानते हैं। वे बाते ये हैं कि नागालैण्ड सरकार का आम रवैया देश के हितों के विरुद्ध है। कुछ मामलों में नागालैण्ड सरकार द्वारा सैन्ट्रल रेलवे के पुलिस कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। इन सब बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। तथा वर्तमान स्थिति के बारे मे जानकारी देनी चाहिये। वहां पर असुरक्षा की स्थिति को देखते हुए मेरा विचार है कि इस समूचे प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिये। (**अन्तर्बाधा**)।

श्री ही० ना० मुकर्जी : महोदय स्थगन प्रस्ताव रेलवे की सीमा के अन्दर हुई एक दुर्घटना विशेष के बारे में है। श्री हेम बरुआ ने जो कुछ कहा वह इस से बिल्कुल अलग चीज है। इस लिये उसके बारे में मंत्री महोदय के वक्तव्य देने की बात समझ में आती है परन्तु इस दुर्घटना विशेष के बारे में तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये। इस दुर्घटना के लिये मंत्री महोदय अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं हो सकते।

Shri Sheo Narain (Bansi) : I would like to say that such miscreants and anti-national elements should be dealt with severely and without any hesitation. D. I. R. should be enforced properly.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, I think there are two reasons for this situation. One is that Government deliberately misguiding the House and concealing the factual position and secondly Government is sticking to some kind of idealism due to which they do not want to know the present position prevailing in Nagaland and adjoining areas. This adjournment motion is concerned with the mental attitude of the Government with which they dealt with such situations. I therefore, request this adjournment motion may be admitted.

Mr. Speaker : I cannot admit the adjournment motion because the question is related to the general security. I admit calling attention notices which would be taken up at 5 P.M. todaa.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएँ

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री अलगेशिन की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1966 जो दिनांक 6 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एस० आर० 540 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 10 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 582 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 6103/66]**

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ला० राव) : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) जी० एस० आर० 449 जो दिनांक 26 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी० एस० आर० 487 जो दिनांक 1 अप्रैल 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) जी० एस० आर० 488 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 6104/66]**

केरल राज्य बिजली बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

डा० कु० ला० राव : राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित बिजली (संभरण) अधिनियम 1948 की धारा 75 की उपधारा आई० ए० के अन्तर्गत केरल राज्य बिजली बोर्ड के 1962-63 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की मैं एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 6105/66]**

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

(तिरान्नबेवां प्रतिवेदन)

श्री अरुण चन्द्र गुप्त (बारामत) : मैं गृह-कार्य मंत्रालय—लोक सेवाओं के बारे में प्राक्कलन समिति का तिरान्नवेवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नागा विद्रोहियों द्वारा अपना गणतंत्र दिवस मनाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT CLARIFYING POSITION RENAGA HOSTILES CELEBRATING THEIR REPUBLIC DAY

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा 24 मार्च 1966 को व्यक्त की गई इच्छा के अनुसार छिपे हुए नागाओं द्वारा तथाकथित गणतन्त्र दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में उस दिन सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्यों में दिखाई देने वाली असंगतियों को स्पष्ट करना चहता हूँ ।

इस मामले में स्थिति इस प्रकार है सरकार को जानकारी थी की छिपे हुए नागा अपना तथाकथित गणतन्त्र दिवस मनाने की योजना बना रहे हैं और इस प्रयोजन के लिये सशस्त्र लोग इकट्ठे करने का उनका विचार है। राज्य सरकार ने शान्ति मिशन के माध्यम से छिपे हुए नागाओं को यह बता दिया था कि यद्यपि राज्य सरकार सशस्त्र लोगों के वहां पर उपस्थित होने को ठीक नहीं समझती तथापि उसे बैठक करने अथवा खेल तथा संगीत आदि पर कोई आपत्ति नहीं है। राज्यपाल भी नागालैंड मंत्रालय के इन विचारों से सहमत थे ।

उस समय बैठक करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। इसलिये औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु उस बैठक के संयोजको ने अधिकारियों को सूचना देकर प्रस्तावित 'समारोह' की अप्रत्यक्ष रुप से अनुमति मांगी थी। यद्यपि कोई औपचारिक अनुमति नहीं दी गई थी, तथापि बातचीत से यह निष्कर्ष निकलता था कि नागालैंड सरकार को इस सम्बन्ध में कोई "आपत्ति नहीं" थी तथा राज्यपाल भी इससे सहमत थे। इसको बैठक करने की अनुमति समझा जा सकता है। प्रधान मंत्री के मन में यही बात थी जब उन्होंने यह कहा था कि वह समझती हैं कि नागाओं ने अनुमति के लिये कहा था और उनको अनुमति दी गई थी ।

श्री हेम बरूआ (गौहाटी) : यद्यपि माननीय मंत्री ने कहा है कि नागा विद्रोहियों को तथाकथित गणतंत्र दिवस शान्तिपूर्ण ढंग से मनाने की अनुमति दी गई थी तथापि सच यह है कि उन्होंने वहापर एक हज़ार सशस्त्र व्यक्ति एकत्र किये थे । इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री ने कहा था कि नागा विद्रोहियों ने अनुमति मांगी थी और कि राज्यपाल श्री विष्णु सहाय ने उनको अनुमति दी थी तथा हम उनसे संपर्क बनाये हुए हैं । परन्तु अब यह कहना कि उनके कहने का यह अर्थ नहीं था तथ्यों को तोड़मोड़ कर कहने वाली बात है।

यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। वैदेशिक कार्य मंत्री ने कहा है कि 22 मार्च का कोई विशेष महत्व नहीं है। परन्तु सच है कि 22 मार्च, 1956 को विद्रोही नागाओं ने अपना संविधान बनाया था तथा अपने आपको तथाकथित नागा फैडरल सरकार के रुप में गठित किया था। इसलिये इस दिन अर्थात 22 मार्च का विशेष महत्व है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मुझे याद है कि प्रधान मंत्री ने उस दिन पेपर अपने हाथ में लेते हुए कहा था कि मैं तथ्यों से पुरी तरह परिचित नहीं हूं । परन्तु फिर भी उन्होंने यह कहा था कि नागालैण्ड के राज्यपाल ने उनको अनुमति दी है। आशा है कि भविष्य में प्रधान मंत्री तथा उनके साथी ऐसे तथ्यों के बारे में वक्तव्य नहीं देंगे जिनके बारे में उनको पूरी जानकारी न हो ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री के कहने के अनुसार अब यह बात निश्चित है कि तथाकथित नागालैंड की की फैडरल सरकार को गणतन्त्र दिवस मनाने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी क्या प्रधान मंत्री ने तथाकथित नागालैंड की फैडरल सरकार के प्रतिनिधियों से इस मामले पर बातचीत की थी जबकि वे पिछली बार बातचीत करने के लिये यहां पर आये थे कि उन्होंने यह गणतंत्र दिवस क्यों तथा किस उद्देश्य के हेतु मनाया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं ने अपने वक्तव्य में समस्त स्थिति स्पष्ट कर दी है । जैसा कि श्री कामत ने कहा है प्रधान मंत्री ने उस दिन भी यही कहा था कि उनको तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है ।

बातचीत के दौरान नागा विद्रोहियों के प्रतिनिधियों से विशेषरुप से इस विषय पर बातचीत नहीं की गई थी। दूसरे हमारी जानकारी यह है कि उन्होंने गणतन्त्र दिवस पर हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया था। हो सकता बैठक में कुछ व्यक्तियों के पास हथियार हो। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप-धारा (2) (एच) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दे दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद की आगामी अवधि के लिये इस के सदस्यों के रूप में अपने में से दो सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप-धारा (2) (एच) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद की आगामी अवधि के लिए इस के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *The Motion was Adopted.*

अनुदानों की मांगें--जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा का समय बढ़ाने के लिये मुझ 15 सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। 8 घंटे समय नियत किया गया था, परन्तु 8 घंटे 30 मिनट पहले ही चर्चा हो चुकी है और मंत्री महोदय नें भी अभी उत्तर देना है। यदि सदस्य समय बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

Shri N. P. Yadab (Sitamarhi) : Mr. Speaker, the time must be extended.

Shri Sheo Narain (Bansi) : Mr. Speaker, Sir, I would like to submit that we are agriculturists and we take keen interest in the subject of food and agriculture. Besides we are the Members of the committee also but we have not been given any opportunity to speak on this subject. It is therefore, requested that the time must be extended.

Mr. Speaker : At such occasions when a large number of Members want to participate in any discussion, we can do this much that we should sit late so that those Members, who want to speak, can take part in the debate. But then if question of quorum is raised and the Members do not get the opportunity to speak, then who is to be held responsible ? The hon. Members will appreciate how both these things can go together ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jajjar) **:** An opportunity must be given to Members.

Mr. Speaker : I am ready to extend the time but another Ministry will have to be guillotined.

Shri N. P. Yadab : Come what may, we must get an opportunity to speak.

Mr. Speaker : Then the time may be extended by two hours but each Member should not take more than 5 to 7 minutes.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या उत्तर भी इन दो घंटों में दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय साढ़े तीन बजे उत्तर देंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय उत्तर दें तो वह मेरी इस बात का उत्तर अवश्य दें। आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' के पृष्ठ 4 पर यह समाचार छपा है कि मुख्य मंत्री श्री पी० सी० सेन का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने लगातार दो सप्ताह अपना राशन नहीं लिया था। इसी प्रकार कुछ समय पहले वहां के राज्यपाल का राशन कार्ड भी रद्द कर दिया गया था ।

मझ मालूम हुआ है कि मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल राशन की दुकानों से राशन नहीं लेना चाहते हैं क्यों कि राशन में जो वस्तुएं मिलती हैं वह बहुत घटियां किस्म की हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उन से पूछ सकते हैं । श्री चांडक को कल बुलाया गया था ।

Shri Chandak (Chhindwara) **:** Mr. Speaker, Sir, I would like to congratulate the Minister of Food and Agriculture for bringing about a welcome change in the mental attitude of the Government towards agriculture. It is now being given an industrial status which is a step in the right direction.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Since independence this question of 'Grow More Food' had been before us and a number of schemes were formulated in this connection since then. But this industry was not given the importance which it should have been given. If due attention had been paid towards this industry in the past the present good crisis would not have occurred.

But it is, however, wrong to say that there has been no increase in the production at all. As a matter of fact there has been a lot of progress in this regard during the last 18 years in spite of the fact that the farmers were not provided with the necessary resources and expert know-how. It is quite obvious from the fact that 65-70 per cent of the foreign exchange which we are earning is from agricultural products. Moreover there has been an increase of 50 to 60 per cent

in the agricultural production since the year 1954-55. Though it may not be sufficient to meet our requirements, yet it can not be denied that there has been an increase in the agricultural production.

It has been said that this problem is not being solved in accordance with the socialistic pattern and other patterns, but I would like to submit that whatever be the form of the Government in a country, the agricultural production can be increased only by introducing modern methods of cultivation. Our Government have now accelerated their steps in this direction and the farmers have also realised the importance of the new scientific methods. If the schemes relating to agriculture are properly implemented, we will not only be self sufficient but we shall also be able to export food products to other countries after some years.

The National Seed Corporation is doing very good work and seeds of the best quality are being given to the farmers so as to achieve substantial increase in the agricultural production. The research work in regard to nitrogen and fertilizers is also going on well. These are all good things but availability of irrigation facilities is the most important. The Government should, therefore, give the topmost priority to irrigation by utilising surface water as well as underground water through tube-wells and other means.

श्री हिम्मत सिंहका (गोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी वक्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि भारत ने जीवित रहना है तो उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। खाद्य उत्पादन में वृद्धि दो प्रकार से की जा सकती है। फसल के क्षेत्र को बढ़ाकर और दूसरा विद्यमान क्षेत्र में अधिक अनाज का उत्पादन कर के। भारत के पास भूमि सीमित है, यह विश्व में कुल भूमि का केवल 2.2 प्रतिशत है जब कि इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 14 प्रतिशत है अतः अधिक क्षेत्र को खेती योग्य बनाने की इतनी गुंजाइश नहीं है। इसलिये हमें इस उपलब्ध भूमि से अधिकाधिक अनाज पैदा करने की ओर ध्यान देना है। इस प्रयोजन के लिये किसानों को अच्छे बीज, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, समय पर सिंचाई की सुविधायें, ऋण की सुविधायें, उत्साहवर्धक मूल्य, विपणन प्रबन्ध, कीटनाशी औषधियों तथा पर्याप्त संख्या में ट्रैक्टरों की आवश्यकता है। यदि हम इन सभी साधनों की, जिनकी किसानो को आवश्यकता है, व्यवस्था कर दें तो हम केवल आत्म-निर्भर ही नहीं हो जायेंगे परन्तु हम कृषि उत्पादों तथा नकदी फसलों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकेंगे। अच्छे बीजों द्वारा हम उत्पादन में बहुत वृद्धि कर सकते है जैसाकि इन आंकड़ों से मालूम होगा। आज हमारे देश में एक हैक्टर भूमि में लगभग 1500 किलोग्राम चावल होता है जब कि संयुक्त अरब गणराज्य में 5,000 किलोग्राम तथा जापान में 4800 किलोग्राम चावल प्रति हैक्टर होता है। इसी प्रकार हमारे यहां प्रति हैक्टेर 780 किलोग्राल गेहूं होता है जब कि संयुक्त अरब गणराज्य में 2450 किलोग्राम और पश्चिमी जर्मनी मे 3560 किलोग्राम गेहूं प्रति हैक्टर पैदा किया जाता है। हमारे देश में एक हैक्टर में 7500 किलोग्राम आलू पैदा किया जाता है जबकि पश्चिमी जर्मनी में 24,000 किलोग्राम तथा अमरीका में 20,000 किलोग्राम आलू प्रति हैक्टर पैदा किया जाता है। यदि हम अच्छे बीजों, उर्वरक, सिंचाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था कर दें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्पादन अवश्य बढ़ेगा और हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

दुर्भाग्य से हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना कुछ पहलुओं में असफल रही है क्यों कि सिंचाई तथा उर्वरक के सम्बध में योजना आयोग द्वारा निश्चित किये गये लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका है। इस योजना में हमारा लक्ष्य लगभग 120 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिये पानी की व्ववस्था करना था परन्तु वास्तव में हम केवल 60 लाख एकड़ भूमि के लिये पानी की व्यवस्था कर पाये हैं। इसी प्रकार 10 लाख टन नाइट्रोजन का उत्पादन करने का हमारा लक्ष्य था, परन्तु हम केवल 600,000 टन ही पैदा कर सके हैं।

[श्री हिम्मत सिंहका]

दूसरे देशों में प्रति एकड़ उत्पादन की बात को भी छोड़िये, हमारे विभिन्न राज्यों में भी प्रति एकड़ उपज जो है वह भिन्न भिन्न है। उदाहरणार्थ मद्रास में प्रति एकड़ 1,343 पौंड चावल पैदा किया जाता है जबकि अन्य राज्यों में केवल लगभग 600 से 700 पौंड चावल होता है। इसी प्रकार पंजाब में प्रति एकड़ 1,204 पौंड गहूं पैदा किया जाता है जब कि अन्य राज्यों में केवल 600 पौंड पैदा होता है और कुछ अन्य राज्यों में तो यह केवल 300 पौंड ही पैदा होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रति एकड़ लगभग 14 टन गन्ना पदा किया जाता है जबकि दक्षिण भारत में 50 से 60 टन प्रति एकड़ गन्ना होता है। यदि हम यह सुनिश्चित करने के लिये वास्तव में कार्यवाही करें कि देश भर में उचित उत्पादन हो तो हम अपनी कठिनाई को दूर कर सकते हैं।

मेरी समझ में नहीं आता कि पंजाब में व्यापारियों को जो बीज फार्म दिया गया है उस के बारे में आपत्ति क्यों की जा रही है। मुझे मालूम हुआ है कि इस फार्म से किसानों को उचित दरों पर बहुत ही अच्छी किस्म के बीज दिये जा रहे हैं और आस पास के लोग इस से बहुत संतुष्ट हैं, परन्तु समझ में नहीं आता कि राजनीतिज्ञ इस फार्म की भूमि दिये जाने के बारे में क्यों अनावश्यक शोर मचा रहे हैं। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा कहती है कि यह भूमि पट्टे पर नहीं दी जानी चाहिये थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तक किसी को यह न पता हो कि उसे वहां पर कई वर्षों तक कार्य करने दिया जायेगा तब तक कौन ऐसा व्यापारी है जो 10 लाख से 12 लाख रुपया लगा देगा। चूंकि इस फर्म का मुख्य उद्देश्य अच्छे बीज सप्लाई करने का है और वह यह कार्य 'न-लाभ-न-हानि' के आधार पर कर रही है। अतः इस बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

सरकार द्वारा उर्वरक के बारे में किये गये सौदे के बारे में जो आपत्ति की जा रही है उसका भी कोई अर्थ नहीं है। जब विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण हम स्वयं कोई कारखाना स्थापित नहीं कर सकते हैं तो यह कार्य विदेशियों को क्यों न सौंपा जाये जो अपना धन भी लगायेंगे और तकनीकी जानकारी भी हमें देंगे। न स्वयं काम करना और न दूसरों को कार्य करने देने की नीति मेरी समझ में नहीं आती है। इस मामले में हमें अपना रवैया अवश्य बदलना चाहिये।

कुछ स्थानों पर बिजली है परन्तु यह किसानों को नहीं दी जाती है और इसलिये वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिये और जब भी किसान को पानी की आवश्यकता हो उसे यह दिया जाना चाहिये।

श्री मुत्तू गौंडर (तिरुपत्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका से अनाज मंगाने हेतु किये गये प्रयत्नों के लिय खाद्य मंत्री को बधाई देता हूं। यदि यह अनाज वहां से न आता तो देश को एक भयंकर संकट का सामना करना पड़ता। मंत्री महोदय ने एक ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी जिस में हजारो लोग भूख के कारण मर गये होते। इस के साथ साथ सरकार ने हमारे सम्मान को ही नहीं परन्तु सारे देश के गौरव को मिट्टी में मिला दिया है। दूसरे देशों से अनाज की भीख मांगना हमारे लिये एक लज्जा की बात है और इससे हमारे देश का अपमान होता है। हमें इस कठिनाई को दूर करने तथा खाद्य संकट को पार करने के लिये कोई उपाय अवश्य करना चाहिये जिससे इस समस्या को हल किया जा सके।

आज अमरीका के राष्ट्रपति तथा वहां के समाचारपत्र हमें उत्पादन बढाने की बात कह रहे हे। 'न्यू यार्क टाईम्स' में छपा है कि भारत में खेती के बहुत ही पुराने ढंग अपनाये जाते हैं। अमरीका, जापान अथवा ताईवान जैसे विश्व के उन्नत देशो ने खेती के आधुनिक ढंग अपना कर के ही कृषि का विकास किया है। परन्तु विकास शील देश अब भी खेती के परम्परागत ढंगों में विश्वास रखते हैं और इसीलिये उत्पादन में कोई सराहनीय वृद्धि नहा हीं रही है। अतः हमें कृषि के आधुनिक ढंगों को अपनाना चाहिये अन्यथा इस समस्या को हल नहीं किया जा सकेगा।

कुछ सदस्यों का विचार है कि हमारे किसान इस स्थिति में नहीं है कि वे आधुनिक विधियों को अपना सके और आधुनिक यंत्रो का उपयोग कर सकें। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम देखते है कि देश भर में हजारों अनपढ किसान प्रगतिशील हो गये हैं और वे सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं। किसानों के अलावा अनपढ़ खतिहर मझदूर भी ट्रैक्टरो, औषधियां फेंकने वाली मशीनों आदि को खूब अच्छी तरह से प्रयोग में ला रहे हैं। उन्हें खत के आकार तथा फसल की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक ढ़ंग से उर्वरक मिलाना भी आता है।

हमें निराश होने की आश्यकता नहीं है। हमें अपने किसानो में विश्वास रखना चाहिये। यदि भारतीय किसानों को आवश्यक औजार और परामर्श दिया जाये तो हमारा किसान किसी भी देश के प्रगतिशील किसान से घटिया साबित नहीं होगा। खेती में बीज का बहुत बड़ा महत्व है। मंत्रालय ने इसको महसूस किया है और अनेक स्थानो पर बीज फार्म खोले गये हैं। संकट बीजों के प्रयोग से हम अपने उत्पादन को दुगुना कर सकते हैं।

खेती के मामले में जल की बड़ी समस्या है। सिचाई के लिये हम तालाबों और नदियों पर निर्भर नहीं कर सकते हैं क्योकि वे मानसून पर आधारित हैं और मानसून हमेशा धोका देती है। इस समस्या को हल करने के लिये हमें कुए खोदने चाहिये अधिक संख्या में कुएं खोदने से बेकारी की समस्या भी किसी हद तक हल हो जायेगी। सरकार कृषकों की सहायता नहीं कर रही है। सेलम में हलके डीजल तेल का मुल्य 140 रुपये है जबकि नियन्त्रित मूल्य केवल 90 रुपये है। पम्पिग सेटों के लिय. हम डीजल इंजनो का प्रयोग कर रहे हैं। मंत्रालय को जांच करनी चाहिये कि लोगों को नियन्त्रित मूल्य पर डीजल तेल क्यो नहीं मिल रहा है।

केरल में अकाल की सी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में भी केरल से प्रति दिन 500 टन टेपिओका सेलम हो जाता है। यदि सरकार केरल को इस स्थिति से बचाना चाहती है तो उसे केरल से टेपिओका के भारी मात्रा में सेलम ले जाने पर रोक लगानी चाहिये।

सरकार को व्यापारिक फसलों को भी प्रोत्साहन देना चाहिये; क्योकि व्यापारिक फसलों से हमें 50–60 प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि व्यापारिक फसलों और खाद्य फसलों में समता मूल्य कायम हो जाये। फिर व्यापारिक फसलों की ओर विशष आकर्षण नहीं होगा।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव): श्रीमन, मंत्रालय ने हमारे सामने 1966-67 के लिये कृषि विकास का कार्यक्रम रखा है। 1966-67 के लिये 970 लाख टन अनाज का लक्ष्य रखा गया है। परन्तु तीसरी योजना में जो कार्य निष्पादित हुआ है उसको देखते हुए हमें सन्देह है कि यह लक्ष्य पूरा कर लिया जायगा। अगले कुछ वर्षों में हमें प्रतिरक्षा और कृषि पर अधिक ध्यान देना होगा। हमारा विकास कृषि-प्रधान होना चाहिये। जब तक ऐसा नही होगा हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हमें कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिये दो या तीन वर्ष केवल इसी पर लगाने चाहिये।

कृषि के विकास के लिये सबसे अधिक महत्व में सिंचाई को देता हूं। जब तक सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक हम उर्वरक बीज, खाद आदि से कोई लाभ नहीं होगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जो लक्ष्य रखे गये थे उनको पूरा नहीं किया गया है। तीसरी योजना में हमने आसाम में सिंचाई की मध्यम श्रेणी की तीन योजनाएं बनाई थीं। परन्तु इनमें से एक भी पूरी नहीं की गई है। यदि आरम्भ की गई योजनाओं में से एक को भी पूरा कर लिया गया होता तो 25,000 टन अधिक चावल का उत्पादन किया जा सकता था। यदि सिंचाई खाद उर्वरक आदि की पर्याप्त सुविधाएं दी जायें तो अकेला, राज्य आसाम ही नेफा, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा को अनाज दे सकता है।

[श्री लीलाधर कटकी]

मेरा एक सुझाव यह है कि ब्रह्मपुत्रा घाटी के मैदानी क्षेत्र को तुरन्त पैकेज जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये जिससे यह सामरिक महत्व का क्षेत्र, शत्रुओं द्वारा की जानेवाली किसी भी विपत्ती का सामना कर सके।

इन शब्दो के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ पाण्डे (हाता) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने देश भर में यह धारणा फैला रखी है कि उत्तरी भारत चीनी के उत्पादन के लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहां प्रति एकड़ 14 से 15 टन उपज होती है। यह धारणा बिलकुल निराधार है। महाराष्ट्र के सातारा जिले में जहां कि नहर निकाली गई है और अब प्रति एकड़ 50 टन गन्ना पैदा होता है, 1920 से पहले वहां घास भी नहीं उगती थी। उत्तरी भारत के 1956 से 1962-63 की अवधि के ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जहां लोगों को अधिकतम उपज के लिये पुरस्कार दिये गये। प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन 2850 मन था तथा कम से कम उत्पादन 1052 मन था। उत्तरी भारत में प्रति एकड़ उपज इसलिये कम है कि वहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं। दक्षिण भारत में गन्ना उगाने वाले शतप्रतिशत क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। उर्वरक के उपयोग के बारे में भी स्थिति ऐसी ही है। दक्षिण में प्रति एकड़ भूमि के लिये 64 पौंड नायट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया जाता है, परन्तु उत्तर में केवल 16 पौंड उर्वरक का उपयोग होता है। यदि उत्तर भारत में उपयुक्त सुविधाएं दी जायें तो प्रति एकड़ 80 टन तक उत्पादन किया जा सकता है।

गुन्डू राव समिति ने चीनी उद्योग के संबंध में अनेक सिफारिशें की हैं। सरकार को उन्हें क्रियान्वित करना चाहिये। उस समिति की एक मुख्य सिफारिश यह है कि सरकार इस उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये चीनी मिलों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देनी चाहिये।

सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में सरकारी कानुनो का पालन नहीं किया जाता है। यहां तक कि श्रमिक कानूनों का भी पालन नहीं किया जाता है। न्यायालयो में अनगिनत मामले जा रहे हैं और श्रमिकों को परेशान किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सहकारी बड़ी संख्या में सहकारी चीनी कारखाने हैं और वहां पर श्रमिकों की हालत बहुत बुरी है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये।

क्योंकि चीनी उत्पादन अब बड़ी मात्रा में होने लगा है। इस पर से नियन्त्रण हटा लिया जाना चाहिये। जब तक सरकार आगामी मौसम में चीनी के उत्पादन का अनुमान नहीं लगा लेती तब तक सरकार चीनी से नियन्त्रण हटाने या उसपर नियन्त्रण बनाये रखने जैसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, there cannot be two opinions about it, that the land should belong to the actual tiller of the soil if we want that the cultivator should work unhampered on his land. Government should make arrangement to supply top quality seeds to the farmers sufficiently in time. Ploughing should be done in such a manner as would yield the maximum of benefit. In this regard I have already sent ten suggestions to the Department of Food, but so far no reply has been received.

The Government should also lay emphasis on the construction of wells besides the construction of big and small dams. Loans should be advanced to the cultivators by the Government for the construction of wells. Government should adopt scientific methods to cause the rainfall at the appropriate time. In the olden days scientific methods, like yagya etc. were adopted for this purpose.. Even today Pandit Virsen Vedshrami of Indore claims that if the Government makes him available necessary re-sources, he can achieve marvellous success in this field.

Cowdung should be used as manure. For this cattle wealth should be preserved and cow-slaughter should be banned. In the rural areas some land should be set apart for forests from where the people can get their fuel. Attention should be given to the production of pulses, vegetables, sugarcane and other essential commodities which are consumed by the farmers.

At present tobacco is cultivated in an enormous area of land. This is sheer waste and misuse. The cultivation of tobacco should be replaced by sugarcane and foodgrains. Production of fruits should also be encouraged. To remove the scarcity of sugar the production of *gur* and *shakkar* in larger quantities should be encouraged.

If people can get milk in sufficient quantities they will require less of foodgrains. More attention should be given to imporve the lot of the milch-cattle. The farmers should leave a certain percentage of the land for cattle grazing. More emphasis should be laid on ploughing rather than on chemical fertilisers.

Government should also take steps to get the agricultural lands cleared off the wild animals.

Shri Sheo Narain (Bausi) : I congratulate those friends who passed the resolution regarding abolition of Zonal system at Jaipur. They have now made the Punjab and U. P. as one Zone. I can say that if distribution is done properly there is no shortage of foodgrains in our country. It is pity that we have to go to America for food. The restrictions on the movement of foodgrains should be abolished forthwith. The late Rafi Ahmed Kidwai had set an example in this matter.

The people of my area are very much handicapped for want of adequate communications facilities. It would help them in the transport of their produce.

The water tanks in rural areas should be deepened. It would greatly help in increasing the irrigation facilities and developing fisheries.

Government should pay proper attention to forests. They are very essential. It will help in having adequate rainfall. Government complete the consolidation in entire country. The irrigation facilities should be increased.

If you want to increase the production of paddy, the pachage programme should be introduced at a large scale. The block development machinery is doing no useful work. I suggest that agriculture should be introduced as a subject in middle schools. In this way we can have good exports in the field of agriculture.

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : श्रीमान जी, आजकल देश को खाद्यान्नों के बारे में मे बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। प्राचीन काल में हमारे देश में खाद्यान्नों की कमी नहीं थी। आज विश्व म किसान अपनी स्थिति में सुधार कर रहे है। किंतु इस बारे में भारत में किसी प्रकार का भी सुधार नहीं हुआ है। हमें अपने किसानों के सोचने के तरीकेमें परिवर्तन करना है।

किसानों को उनकी उपज के लिये अधिक मूल्य मिलने चाहिये उनको सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिये। जापान में किसानो का जीवन स्तर बहुत भी ऊंचा है। यदि हम भारत में भी सघन खेती उसी प्रकार करें तो हमारे किसानों का जीवन स्तर काफी अच्छा हो सकता है। हमें यह धारणा नहीं रखनी चाहिये कि आई० सी० एस० अधिकारी सभी प्रकार का कार्य बड़ी कुशलता से कर सकते हैं। जो व्यक्ति एक कार्य विशेष को नहीं जानता उसे उस

[श्री कृ० चं० शर्मा]

काम पर लगाना उचित नहीं है। हमें अपने पुराने तरीकों में परिवर्तन करना चाहिये। माननीय मंत्री जी को अपने मंत्रालय में योग्य व्यक्तियों को रखना चाहिये। हमें देश में मेंक काम करने की भावना उत्पन्न करनी चाहिये।

Shri Uikey (Mandla) : I have been touring my constituency during the last 48 days. The main demand of farmers is irrigation facilities. More foodgrains should also be provided to the people there.

The Madhya Pradesh food Zone should not be disturbed. If it is necessary to make changes in this respect, sufficient stock of foodgrains should be built up in Madhya Pradesh. If it is not done, people will have to face great hardships. The foodgrains of that state would be taken away by other states. In my state more land should be brought under cultivation. Proper attention should be paid to land reforms. More fertilizers should be provided to the farmers. Farmers should be given loans for having their own wells. We can have one well for three or four farmers. Government should consider this suggestion seriously. We have seen tank-*cum*-well operating in Mehrauli area. It is a very good idea. It should be made popular in other parts of the country.

There is great necessity of contour bundhs in tribal areas of Madhya Pradesh. Attention should be paid to this matter the tribal areas should be provided with industries and facilities for agriculture. Poultry and piggery should be given encouragement. The money allocated for those areas is not fully utilized.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Sir, it is a matter of shame that we have not been able to be self-sufficient in the matter of food after 18 years of independence. We are depending on imports from other countries. We have to import seeds also. The agricultural production is going down. This is happening in almost all states of our country.

It is a pity that farmers are not being provided necessary facilities by Government. They should be given seed at proper time and adequate irrigation facilities should be provided to them.

Rajasthan Government had promised to provide more irrigation facilities but nothing has been done so far. The target for providing irrigation facilities from Gandhi Sagar Dam has not been achieved. There should be more agricultural colleges in Rajasthan. Students of schools should be imparted training in agriculture. The betterment levy should not be imposed unless adequate facilities are provided. The famine strecken areas should be declared as such under the old famine code. The people of those areas should be provided relief.

Shri Braj Bihar Mehrotra (Bilhaur) : I congratulate the hon. Minister for creating a zone comprising Punjab and U.P. I suggest that Block Development officers should be given training. We should take the benefit of our past experience. The funds allocated for salaries is an huge. The farmers should be provided all the facilities. The fertilizers and tractors are of no use unless adequate water is available. More wells should be run. U.P. Government has sunk many thousands during the last year. If poor farmers are provided adequate facilities this state can become a surplus state in the matter of production of foodgrains.

If 5 crores rupees are given to U. P. Government there would be much improvement in U. P. the means of communication should also be improved. It will help a lot to the farmers. More roads should be constructed in rural areas. The

quality seeds should be given to the farmers. Efforts should be made to improve the breed of cattle. The farmers should be provided credit facilities.

Shri N. P. Yadav (Setawarbi) : Sir, Government is providing foodgrains to the people of urban areas at fair prices but the people of rural areas are not being given any facility. It is not good on the part of Government. Foodgrains should be provided to the poor farmers and labourers at proper rates. Agriculture has been neglected and the result is that we are face to face with this acute shortage.

Effective steps should be taken to check the rise in population. The insecticides should be distributed on a large scale. The eating habits should be changed. The rice mills should be nationalised. There should be statutory rationing in all big cities. Fertilizer should be made popular. Quality seeds should be distributed. Adequate irrigation facilities should be provided. Priority should be given to minor irrigation schemes. The farmers should be given credit liberally. There should be no revenue on land where the yield is not much. Other land reforms should be made.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I congratulate the hon. Minister for creating a zone comprising of Punjab and U. P. I feel that irrigation, fertiliser and tractor production should be under the charge of Ministry of Food and Agriculture. Our technicians are very efficient. They can manufacture all types of machineries. We should step up the production of tractors in our country. It is a pity that we are not able to feed our people, when 85 percent of our people are engaged in agriculture. Government should introduce some incentive scheme for increasing the production of foodgrains.

It is a matter of great regret that foodgrains are purchased at cheap rates from farmers and sold at high prices. The farmers should be encouraged to use indigenous manure.

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : मैं मंत्री महोदय को दो नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय अर्थात कृषि में आधुनिक तरीके चालू करने और लाभप्रद मूल्यो का सिद्धांत स्वीकार करने के लिये बधाई देता हूं। इन से हमें बहुत लाभ होगा। सरकार को यहां पर दिये गये सुझावो पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और उन्हें कार्यान्वित करना चाहिये।

रिज़र्व बैंक के देहाती ऋण सर्वेक्षण में कहा गया है कि अब फिर वर्ग समितियां कार्य करेंगी। इसके लिये एक नया दृष्टिकोण आवश्यक है। इसके लिये वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। ऋण व्यवस्था में विस्तार किया जाना चाहिये।

खाद्यान्नों के वितरण का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समूचे देश के लिये एक समान नीति बनानी चाहिय। सभी बड़े बड़े नगरो में राशन व्यवस्था लागू की जानी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रो को समाप्त करने पर इस आधार पर आपत्ति की है कि अधिक अनाज वाले राज्यों में वसूली नहीं की जायेगी। वसूली समाप्त होने के बाद क्षेत्र बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार वसूली मूल्य का निर्णय हो जाये और उपभोक्ता मूल्यों के लिये सहायता दी जाये तो क्षेत्रो की आवश्यकता नहीं होगी। इस लिये सरकार को क्षेत्र समाप्त कर देने चाहिये और वसूली का मूल्य लाभप्रद मूल्य होना चाहिये। लाभप्रद मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य भिन्न होने चाहिये। सरकार को उपभोक्ता मूल्यों के लिये सहायता देनी चाहिये ताकि भ्रष्टाचार तथा चोर बाजारी को समाप्त किया जा सके।

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to impress upon the Minister of Food and Agriculture that he should go to each and every region to find out the difficulties being experienced by the people in regard to agriculture and food supplies and thereafter take such steps which are necessary to remove them.

The Zonal restrictions imposed on the movement of foodgrains should be abolished forthwith and there should be free movement of foodgrains in the country, so that they are available everywhere in the country.

The farmers have to depend on agriculture throughout the year and they have no other means to supplement their incomes. Remunerative prices should, therefore, be paid to them for their produce. Besides all other facilities needed by them should also be provided so that they are able to augment agricultural production and consequently we are not to depend on foreign aid and food supplies. The soil of Madhya Pradesh is very fertile and if all the facilities are provided to the farmers there, they would be able to increase agricultural production substantially.

Like cement, which is now available in abundance since it has been de-controlled, sugar should also be decontrolled so that it is also freely available to the consumers.

In Madhya Pradesh, the reclaimed land is generally distributed among the landless harijans and adivasis. Since all the communities enjoy equal rights, it is, therefore, suggested that such land should be distributed among all the landless farmers irrespective of caste. It has also been noted that the concerned officers are indulging in corrupt practices in the matter of distribution of land. Severe action should be taken against such officers.

Adequate wages should be paid to the agricultural labour. Equal wages should be paid to male as well as female agricultural labourers and no discrimination should be made among them.

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : सर्वप्रथम मंत्री महोदय को इस बात का पता लगाना चाहिये कि खाद्य के मोर्चों पर हमारी असफलता के क्या कारण हैं। क्या उनकी योजनाओ तथा कार्यक्रमों में कोई त्रुटी है अथवा क्या उनको ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया गया है? तत्पश्चात इन कारणो को दूर कर उनको एक मज़बूत तथा स्पष्ट नीति बनानी चाहिये और ऐसा करते समय उन्हें राजनैतिक अथवा अन्यथा प्रतिकूल बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिये। यदि देश में उपलब्ध साधनो का पूरा उपयोग किया जाये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकता ।

भारत सरकार के खाद्य विभाग भारत खाद्य निगम में स्थानांतरित किये गये कर्मचारी बहुत चिंतित हैं क्योंकि अभी तक उनकी सेवा की शर्तें निश्चित नहीं की गई हैं। कल मैं श्री विद्यालंकार तथा 'आल इण्डिया सेंट्रल गवर्नमेंट फूड एम्पलाईज एसोसिएशन' के महासचिव, श्री असरु बोस भारत खाद्य निगम के सभापति श्री चांदों तथा श्री सुब्रम्हण्यम से मिले थे और उन्होने, सिद्धांत रूप में यह स्वीकार कर लिया था कि भारत खाद्य निगम में सरकारी कर्मचारियों के अधिकार तथा विशषाधिकार वहीं रहेंगे जो पहले थे। 11 अप्रैल को इस सभा में एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के उत्तर मे भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उनके अधिकार तथा विशषाधिकार वही रहेंगे जो पहले थ। मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि हम भारत खाद्य निगम के सभापति से इन मान्य सिद्धान्तो को निश्चित करने के लिये बातचीत करें। हम चाहते है कि खाद्य निगम अधिनियम में उचित संशोधन किया जाये जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य विभाग से जिन कर्मचारियो का खाद्य निगम में तबादला किया गया है उन के अधिकार और विशेषाधिकार वही

होने चाहिये जो उन के होते, यदि उनका वहां से तबादला न किया जाता। हम यह भी चाहते है उक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग द्वारा जारी किये गये प्रारूप क्षापन दिनांक 8 दिसम्बर, 1965 को पुनः लिखा जाय। हमने इस बारे में भारत खाद्य निगम के सभापति, श्री चांदो से भी बातचीत की है परंतु वह कहते हैं कि अनुच्छेद 3.11 कुछ अड़चने डालेगा। मुझे विश्वास है कि श्री सुब्रम्हण्यम इस पर पुनः विचार कर इस सभा को दिये गये अपने वचन को पूरा करेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर बिहार तथा विशेष रुप से बिहार के उत्तर पूर्वी क्षत्रों में भी सूखा पड़ा है और प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिस के फलस्वरुप धान की हज़ारों एकड़ भूमि बेकार हो जाती है और खड़ी फसले नष्ट हो जाती है। अतः उक्त क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सहायता उसी प्रकार मे दी जानी चाहिये जैसे देश के ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिये दी जाती है। मैं सिचाई मंत्री का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने कटिहार, मनिहारी तथा आज़मनगर के क्षेत्रों में महानन्दा तथा गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के संरक्षण के लिये 237 लाख रुपये की एक परियोजना को क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है। इसे चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में ही क्रियान्वित किया जाना चाहिये जिससे हम आगामी वर्षों में अनाज तथा अन्य फसलों को सुखे और बाढ़ से नष्ट होने से बचा सकें। आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इन सुझाओं पर विचार करेंगे।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : ऐसी धारणा फैल गई है कि देश में खाद्य स्थिति के बारे में भय उत्पन्न करने के लिये मैं ज़िम्मेदार हूं। यदि मैं देश को उस स्थिति को, जिसका देश को सामना करना था, चेतावनी न देता और उस संकठ को रोकने के लिये, जो अन्यथा देश में उपन्न हो जाता, पूर्वोपाय न करता तो मैं अपने कर्तव्य में असफल रहता। सौभाग्य से अब हमें विभिन्न देशों से सहायता मिल रहीं है और इसीलिये आज हमें विश्वास है कि हम न केवल वर्तमान स्थिति का अपितु उस स्थिति का भी, जो कमी-वाले आगामी महीनों में उत्पन्न हो सकती है, मुकाबला कर सकेंगे। इस समय पश्चिमी बंगाल को प्रति मास एक लाख अथवा 750,000 टन गेंहूं दिया जा रहा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र को प्रतिमास लगभग 175,000 टन अथवा इससे कुछ अधिक मिलों दिया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में वितरण के लिये लगभग 700,000 अथवा 800,000 टन आयात किया हुआ गेहूं बाजार में भेजा जा रहा है। यदि उक्त इतना अनाज हमारे पास न होता तो आप स्वयं कल्पना कर सकते है कि हमारी क्या दशा होती। अतः मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि मैंने जो कार्यवाही की है वह बिल्कुल ठीक है। परन्तु अभी हमारी कठिनाई दूर नहीं हुई है। यद्यपि हमने उत्पादन बढ़ाने का एक कार्यक्रम तैयार किया है तथापि हमारी सफलता इस वर्ष देश में होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आगामी मानसून में कम-से-कम सामान्य वर्षा हो जिससे फसल अच्छी हो।

श्री बागड़ी द्वारा अकाल संहिता के बारे में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मुझे यह कहना है कि अकाल सहायता तथा अभाव सहायता कार्य सम्बन्धी नियम राज्यों में बनाये जाते हैं और उन्होंने पुराने अकाल संहिता को पुनरीक्षित करने के लिये कार्यवाही की है। उदाहरणार्थ पश्चिमी बंगाल सरकार ने पुराने अकाल संहिता के स्थान पर 1959 में पुनरीक्षित नियम जारी किये थे। इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने भी यह कार्य हाथ में लिया और 1962 में एक नया संहिता बनायी कमी मे उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने भी अपने ऊपर काफी जिम्मेदारी ले ली है। पहले केन्द्रीय सरकार इस बारे में केवल जानकारी ही प्राप्त किया करती थी। परन्तु अब यह राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। वास्तव में ब्रिटिश काल की पुरानी संहिता में यह नियम था और बाद में हमारी अपनी सरकार के सम्बन्ध मे भी यह नियम था कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को तभी सहायता देगी जब वे सहायता कार्य एक अनुत्पादीत योजना के अन्तर्गत करेंग।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

आज हम देश में दुध विटामिन की गोलियां तयार भोजन तथा पोषक खाद्य पदार्थों के वितरण की योजनाएं बना रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं। वर्तमान दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण से बिलकुल ही भिन्न है जो ब्रिटिश शासन काल में था।

खाद्यान्नों की कमी के समय राज्य सरकारों द्वारा सहायता उपाय आरम्भ किये जा रहे हैं और केन्द्रीय सरकार अपने उस दायित्व से बचना नहीं चाहती। केन्द्रीय सरकार कसी की स्थिति का सक्रिय तथा सुचारू रुप से मुकाबला करने के लिये प्रयत्नशील है।

आज प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि देश में कृषिकी उपज को बढ़ाना अत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण है क्योंकी हम सदैव आयातित खाद्यान्नों पर निर्भर नहीं कर सकते। यह आवश्यक है कि हम यथाशीघ्र आत्मनिर्भर हो जायें। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आज की वर्तमान स्थिति का मुकाबला न करें। केवल यह कहने की अपेक्षा कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिये और विदेशों से मंगाये गये अनाज पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिये, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा कृषि-कार्यक्रम बनाये जिससे कि हम अवश्य ही यथाशीघ्र आत्म निर्भर हो जाये। आज आयोजन (प्लानिंग) में भी यह स्वीकार किया जा रहा है कि कृषि को प्रतिरक्षा के बराबर सर्वोच्य प्राथमिकता दी जानी जरुरी है।

[श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

देश में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का है। आत्म-निर्भरता की दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था तो उस अनाज के सम्बन्ध में है जो हम आयात करते हैं। मनुष्य को अधिक संतुलित भोजन की आवश्यकता तथा प्रोटीन और विभिन्न पोषक खाद्यपदार्थों की आवश्यकता होती है, इसलिये हमें सारे समाज को संतुलित आहार उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ना है। दूसरी बात यह है कि हमें यह देखना है कि उद्योग के लिये आवश्यक सारा कच्चा माल खेती से पैदा किया जाये। इस दिशा में हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं किन्तु वह काफी नहीं है। हम इस समय खाद्यान्नों के अलावा कुछ कृषिजन्य कच्चा माल विदेशों से आयात कर रहे हैं। न केवल विकास के उस दौर के लिये जहां हम पहुंच चुके हैं बल्कि उस दौर के लिये भी जहां अगले 15 वर्ष में पहुंचेंगे, हमें कच्चे माल के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर होना है। एक अन्य पहलू है। कृषि ने हमें विदेशी मुद्रा कमाने में योगदान दिया है। हम कृषि से 60 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं जो कि अन्य किसी भी क्षेत्र द्वारा अर्जित मुद्रा की अपेक्षा कहीं अधिक है। कृषि से हमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करनी है।

हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिये कम से कम अत्यावश्यक वस्तुएं अवश्य प्राप्त हों, देश के छोटे छोटे किसान तथा कृषि मजदूर जिनकी संख्या समूचे देश की जनसंख्या की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत है, इससे वंचित हैं। हमें गरीब किसानों और मजदूरों को जो बहुत कठिनाई में और अवांछनीय तथा दयनीय स्थिति में हैं, जीवन निर्वाह के लिये अत्यावश्यक वस्तुएं उपलब्ध करानी है और उनको जीवन-निर्वाह स्तर को ऊंचा उठाना है। सचाई तो यह है कि कृषि क्षेत्र दिन प्रति दिन गरीब होता चला जा रहा है और अन्य क्षेत्र घनी होते जा रहे हैं। अतः इस क्षेत्र को ऊपर उठाना है। अतः इस क्षेत्र को नया जीवन तथा शक्ति प्रदान करना आवश्यक है।

हम अपनी आवश्यकताओं को केवल अधिक उत्पादन कर के ही पूरी कर सकते हैं किन्तु उत्पादन में केवल 5 अथवा 10 प्रतिशत वृद्धि करने से यह समस्या हल नहीं हो जाती। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपादन में काफी बड़े पैमाने पर वृद्धि करनी पड़ेगी। हमें कुछ भूमि पर फल, सब्जी, चारे तथा अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन करना है। हमें थोड़ी भूमि पर अपेक्षित खाद्यान्नों का उत्पादन करना चाहिये और शष भूमि मर सब्जियां, फल आदि उगने चाहिये।

उत्पादन में मामुली वृद्धि से हमारी समस्या हल नहीं होगी, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समस्या को हल करने के लिये हमें अपने उत्पादन को 100 से 200 प्रतिशत तक बढ़ना है। विज्ञान ने औद्योगिक क्षेत्र की भांति कृषि क्षेत्र में भी इतनी प्रगति कर ली है कि ऐसा करना आज संभव है। चाहे हम और जो कुछ भी करें, किन्तु हम जब तक हम विज्ञान की खोज तथा अविष्कारों का लाभ नहीं उठाते, हम वांछनीय प्रगति नहीं कर सकते, जन्म दर को रोकने के सभी संभव प्रयत्नों के बावजूद भी हमारे देश की जनसंख्या निकट भविष्य में 60 करोड़ हो जायगी और इस शताब्दी के समाप्त होने के पूर्व वह बढ़कर संभवतः 1 करोड़ तक पहुंच जायेगी।

जहां तक जनसंख्या के अनुसार भूमि की उपलब्धि का सम्बन्ध है विश्व के किसी भी देश के मुकाबले में हमारे देश में जनसंख्या की तुलना में भूमि बहुत कम है। रूस में प्रतिवर्ग किलोमीटर 10 व्यक्ति, चीन में 72, अमरीका में 20, फ्रांस में 85, यूगोस्लाविया में 74 व्यक्ति की तुलना में भारत में प्रति-वर्ग किलोमीटर में 142 व्यक्ति रहते हैं। इस मामले में भारत से नीचे एक मात्र देश जापान है, जब तक भारत सघन खेती के तरीके नहीं अपनाया, खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती, हमारे पास इस समय केवल सीमान्त भूमि है। हमें गहन खेती के जरियें प्रति एकड़ उपज को बढ़ाना है। केवल एक फसल ही महत्वपूर्ण नहीं है। हमें कई फसलों वाला ढांचा बनाना है। अन्यथा इस समस्या का हल होना संभव नहीं है। मैंने पंजाब तथा आन्ध्र प्रदेश में देखा कि जिन क्षेत्रों में नये प्रयत्नों तथा नये उवरकों के साथ नई कृषि प्रणाली आरम्भ की गई है वहां उपज प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 20 या 30 मन से बढकर 100 अथवा 200 मन तक हो गई है। ऐसी प्रगति देश के विभिन्न भागों में हुई हैं जहां किसानों द्वारा खेती के नये तरीके अपनाये गये हैं। जब तक हम इस नये ढंग की खती का विस्तार नहीं कर पायेंगे तब तक सन्तुलित कृषि विकास संभव नहीं होगा, इसलिये हमने जो नया तरीका प्रस्तुत किया है, उसे अवश्य ही क्रियान्वित करना होगा। यह केवल विनियोजन योजना ही नहीं अपितु क्रियान्विति योजना भी है जो इस प्रयोजन के हेतु अधिक महत्वपूर्ण है।

केवल उर्वरकों तथा बीजों से ही हमारा काम पूरा नहीं होगा। जल के अभाव में उनसे कोई भी लाभ नहीं होगा। हम जानते हैं कि गहन खेती के यि अपेक्षित संतुलित जल सम्भरण के लिये हमें भूमिगत जल संसाधनों का विकास करना होगा। छोटी सिचाई को बहुत बड़ा योगदान देना होगा। यह कारण है कि हम नलकूप कुएं तथा जहां कही संभव हो, तालाब बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यह बात नहीं है कि हमने छोटी सिचाई की अवहेलना की है। छोटी सिचाई कार्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्यों की प्रतिक्रिया अच्छी रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में छोटी सिचाई योजनाओं के लिये आरम्भ में 176 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी किन्तु तृतीय योजना के लिये अन्तिम रुप से आवंटित धनराशि 260 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1965–66 मे निर्माण कार्यों पर हुआ व्यय 77 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। निर्माण की यह गति चौथी योजना में कायम रखी जा रही है। राज्यों में छोटी सिचाई कार्यक्रमों के लिये कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। सिचाई संसाधनों तथा पुराने तालाबों को नया रुप देने के लिये भी योजना में व्यवस्थित धनराशि का एक हिस्सा सुरक्षित रखा गया है। सिचाई के संसाधनों को नया रुप देने सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा समस्याओं का पता लगाना, योजनाएं तैयार करना तथा उनपर होने वाले खर्च का अनुमान के बारे में काफी कुछ काम किया जा चुका है।

बिहार में सिचाई कार्यक्रमों के बारे में बिशेष रुप से उल्लेख किया गया है और कुछ सदस्यों ने इस बारे में शिकायतें की हैं। वर्ष 1965-66 में बिहार में छोटी सिचाई योजनाओं के लिये 2.99 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस वर्ष बिहार के लिये 1 करोड़ 85 लाख रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। अतः यह कहना सच है नहीं होगा कि छोटी सिचाई योजनाओं में बिहार पिछड़ गया है। बिहार में इस समय विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, सघन खेती के लिये विभिन्न सिचाई परियोजनाओं में सिचाई के अन्य संसाधन जुटाने पर काफी अधिक बल दिया गया है।

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने का काम काफी आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 1965-66 में ग्राम-विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिय 22.41 करोड़ रुपये की तुलना में विभिन्न राज्यों के लिये 8.81 करोड़ रुपय के खर्च की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इस बीच उन क्षेत्रों में, जिनके लिये निकट भविष्य में बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकती है किसान लोग बड़े पैमाने पर डीज़ल पम्प लगवाये जाने के पक्ष में हैं, डीजल पम्पों के किये रियायत देने के लिये हाल ही में एक एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई है, राज्यों की सलाह से यह सुनिश्चित करने के लिये भी कायवाही की गई है कि मांग को पूरी करने के लिये देश में पर्याप्त पम्प बनाये जाये।

छोटी सिंचाई की क्षमताके लिये संभावनों का पता लगाने के लिये खाद्य तथा कृषि योजना और सिंचाई और विद्युत मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक दल प्रत्येक राज्य में भेजा गया है वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री से मैंने इस बात का उल्लेख कर दिया है कि जहां तक छोटे सिंचाई कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, यदि वह तकनीकी आधार पर सही हों तो उनकी क्रियान्विति केवल वित्त के कारण न रोकी जाये।

जहां तक छोटी सिंचाई का सम्बध है, पानी के साधन जुटाने के कार्य को हम सर्वोच्य प्राथमिकता देंगे। परन्तु ऐसा करने के लिये कुछ और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्य करने की आवश्यकता है। भूमिगत जल के सर्वेक्षण के लिये हमने पहले ही एक विभाग बना है और इस सर्वेक्षण के लिये हम विभाग को सुदृढ़ बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कम्पोष्ट खाद अथवा ऑरगेनिक खाद के प्रयोग का विरोध करते हैं। मिट्टी तथा फसल के अनसार ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक खाद का एक संतुलित मिश्रण तैयार किया गया है जिसका प्रयोग किसान के अनुभव के आधार पर किया जाता है। हम हरी खाद तथा गोबर का यथासंभव अधिकाधिक प्रयोग करना चाहते हैं।

जहां तक मझली तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का सम्बन्ध है, इस बारे में मेरे सहयोगी ने सभा के समक्ष तथा आकड़े पहले ही प्रस्तुत कर दिये हैं।

कृषि में सुधार करने के लिये योजना आयोग ने विदेशी मुद्रा के उपयोग को उच्चतम प्राथमिकता दी है। आशा है कि चालू वर्ष तथा आगामी वर्षों में सभी अपेक्षित उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को विशेषत: छोटे किसानों को ऋण की सुविधाएं मिलनी चाहिये। सहकारी क्षेत्र में विकास के बावजूद भी आज छोटे किसानो को ऋण नही मिलता। अत: हम इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या ढंग अपनाये जाने चाहिये और कैसी संस्थाएं बनाई जायें जो छोटे किसानों की देखभाल कर सकें और उन्हें नया जीवन प्रदान कर सकें, यही सारा कार्यक्रम है जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। हम कार्यक्रम के उस भाग को अधिक महत्व देते हैं जिसे क्रियान्वित करना है। अन्ततोगत्वा महत्वपूर्ण कार्य तो वह है जो राज्यों में हो रहा है।

जहां तक कृषि उत्पादन कार्यक्रम का सम्बन्ध है ऐसी पहली बार हुआ है जब मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। हमने यह बात मान ली है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में जिम्मेदारियां निश्चित की जायें, यह मामला विचाराधीन है। आशा है कि इस प्रयोजन के लिये एक अच्छी प्रक्रिया बनाई जायेगी, यह अत्यावश्यक है कि दोनों सरकारों का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाये। एक संघीय संविधान में जहां केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया गया है, यदि कोई यह समझे कि वह राज्य सरकारों पर अपने विचार थोप सकता है, तो यह उसकी बड़ी गलती है, जहां तक राज्यों के क्षेत्र का सम्बन्ध है। केन्द्रीय सरकार का अधिकार थोपने का कोई प्रश्न नहीं है। यह समझौता करने का प्रश्न है और मेरे मन में कोई सन्देह नहीं है कि ऐसा समझौता किया जा सकता है।

यदि कृषकों को उनकी उपज का पूर्ण लाभ देना है, तो उचित मूल्य को प्रोत्साहन देना आवश्यक है, हमने इसे मूल नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है, सुधार की गुंजाइश है और सुधार होता रहेगा । मूल्य-नीति भी एक साधन है। अबतक मूल्य नीति ऐसी रही है कि शहरी लोगों के लाभ के लिये कृषि क्षेत्र का शोषण होता रहा है। हमारा मूल्य-ढांचा ऐसा होना चाहिये कि कृषि क्षेत्र के लिये शहरी लोगों से कुछ प्राप्त किया जाये ।

हमें कृषकों को परिष्करण (प्रोसेसिंग) के लाभ भी प्राप्त करने योग्य बनना चाहिये इस मामले में सहकारिता को बहुत बड़ा कार्य करना है और यह देखना है कि न केवल कृषि की उपज की बिक्री हो और मूल्य प्राप्त हो अपितु परिष्करण के लाभ भी कृषक को ही मिलें। अब तक इसका लाभ शहरी लोगों, व्यापारी वर्ग तथा व्यापार क्षेत्र को ही मिलता रहा है। सहकारिता को इस सम्बन्ध में बहुत बड़ा काम करना है। सहकारिता को यह कार्य करने के लिये उसे अपने कर्तव्यों को महसूस करना पड़ेगा। सहकारिता को सफल बनाने के लिये यह नितांत आवश्यक है कि सहकारी समितियों के लिये प्रशिक्षित प्रबन्धक तथा प्रशिक्षित तकनीशियनों की व्यवस्था की जाये जिससे कि उनका काम सुचारु रूप से निष्पादित हो सके।

हमारी सहकारी समितियों का अभी तक पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। इन्हें सुचारु रूप से चलाने के लिये विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता है जिनकी हमारे यहां बहुत कमी है। हम चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में अधिक से अधिक व्यक्तियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि सहकारी समितियां सफलतापूर्वक अपना कार्य कर सकें और देश के कमजोर वर्ग को उन्नत बनाने में अपना योगदान दे सकें।

कृषि के विकास के साथ साथ हम पशुओं की नस्ल में सुधार करने का भी प्रयत्न कर रहे है। इस सम्बन्ध में हमें पुरानी परम्पराओं का त्याग करके नई परम्परायें अपनानी होंगी। हम चाहत है कि देश में अच्छी नस्ल के पशु हों और वे अधिक मात्रा में दूध दें।

अभी हाल में हमने एक राष्ट्रीय दुग्धशाला बोर्ड स्थापित किया है जिसमें योग्य तथा सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ लिए गये है। दुग्धशालाओं के विकास का कार्य योग्य तकनीशियनों के एक दल को सौंपा गया है। ये लोग देश के प्रत्येक भाग में लोगों को तकनीकी जानकारी देंगे। अब इस मामले में हमें विदेशों से विशेषज्ञ नहीं बुलाने पड़गे। मुझे आशा है कि ये लोग अपना उत्तर-दायित्व सफलतापूर्वक निभायेंगे।

अन्त में मैं सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। सामुदायिक विकास, सहकारिता तथा विभिन्न संस्थाओं को, जिनका कृषि से सम्बन्ध है, कृषि में एक नया परिवर्तन लाने के लिये महत्वपूर्ण कार्य करना है। मैं समझता हूं कि अभीष्ट प्रयोजन को पूरा करने के लिए सामुदायिक विकास में परिवर्तन लाना आवश्यक है। हम इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन कर रहे है। सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये कई समितियां नियुक्त की गई है। माथुर समिति ने, जो इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की गई थी, अपना प्रतिवेदन दे दिया है और सरकार उस पर विचार कर रही है। मेरे विचार से कोई परिवर्तन करने से पहले सभी समस्याओं का इस सभा में विश्लेषण किया जा सकता है और नियुक्त की गई विभिन्न समितियों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जा सकता है। कृषि कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए परिवर्तन करना आवश्यक है, चाहे इसमें समय भले ही लग जाये।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारी कृषि का भविष्य उज्वल है। एक समय ऐसा आयेगा जब कि भारतीय किसान अन्य उन्नत देशों के किसानों के बराबर उत्पादन कर सकेगा और उसका जीवन स्तर भी अन्य देशों के किसानों के समान ही उन्नत होगा ।

Shri Bagri (Hissar) : Inspite of the repeated assuranees given by the Hon. Speaker, the Famine Code has not been placed on the Table of the House.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मंत्री महोदय ने उड़ीसा में भुखमरी से हुई मौतों के बारे में कुछ नहीं कहा है। मने पहले भी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था किन्तु सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहां पर कोई सहायता कार्य नहीं किया गया। मंत्री महोदय बताये कि इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : May I know the reasons for not importing the Russian tractors to the extent necessary to meet the demand of the country ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : May I know the steps being taken by the Government in order to give remunerative prices to the farmers for their produce? During my speech, I said that more green and compost manures should be used but the hon. Minister did not throw any light on this point.

श्री शिवमूर्ती स्वामी (कोप्पल) : कमलापुर चीनी कारखाने के लिए अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया है जबकि मैसूर राज्य की सिफारिश के बिना ही हाल ही में स्थापित की गई एक समिति को लाइसेंस दिया गया है। हमें भी इसी प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती के लिए 1.25 लाख एकड़ भूमि निर्धारित की गई है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सरकार का इन कार्यक्रमों को राज्यों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ताकि केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले धन का उचित उपयोग हो ?

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : उड़ीसा में भुखमरी से मौतों के बारे में कहा गया है। मैं इस सम्बन्ध में अपने वक्तव्य में स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। यह राज्य तथा केन्द्र दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। मैं अपने उत्तरदायित्व से भागना नहीं चाहता हूं। हम इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे है कि भुखमरी से किसी की मृत्यु न हो। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गई है।

इस वर्ष खेती के लिये 20,000 ट्रैक्टरों की व्यवस्था करने का हमारा कार्यक्रम है। हम देश में 12,500 ट्रैक्टरों का निर्माण कर सकेंगे जिनके लिए कच्चे माल और पुर्जों का आयात किया जायेगा। शेष ट्रैक्टरों का रूस तथा अन्य देशों से आयात किया जायेगा। हम रूस में बने ट्रैक्टरों के आयात को प्राथमिकता दे रहे है क्योंकि वे भारत में लोकप्रिय और सस्ते है।

हम खली का देश में उपयोग नहीं कर सकते है क्योंकि तेल निकालने के लिए हमें एक रसायन का प्रयोग करना पड़ता है। इस लिये हम उसका निर्यात करते है। अब हम इस बात का प्रयत्न कर रहे है कि इस रसायन का प्रभाव यहीं पर समाप्त किया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/ *All the cut motions were put and negatived.*

—अध्यक्ष महोदय द्वारा खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की निम्न-लिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई/ *The following demands in respect the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation were put :*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
34	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय .	1,05,72,000
35	कृषि	4,01,63,000
36	कृषि सम्बन्धी गवेषणा	9,21,52,000
37	पशुपालन	1,55,92,000
38	सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा	39,63,000
39	वन	1,79,11,000
40	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	36,70,93,000
124	वनों पर पूंजी परिव्यय . . .	1,18,000
125	अन्न की खरीद	3,69,74,28,000
125	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	92,30,61,000

लोक सभा में मतदान हुआ/*The Lok Sabha divided*

पक्ष में 105; विपक्ष में 26/Yes 105; Noes 26.

मांगे स्वीकृत हुई/*Demands were adopted.*

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सेतालीसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य विभाग तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का सेतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं........(**अन्तर्बाधा**)

Shri Bagri (Hissar) : Famine Code should be placed on the table of the House.

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य शान्तिपूर्वक नहीं बैठेंगे, तो मैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा ।

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में—जारी

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES—*Contd.*

लुमडिंग रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी में विस्फोट

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : क्या सरकार समझती है कि नागालैंड में नागा विद्रोहियों के साथ युद्ध विराम के बाद राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां आसाम के दूसरे भागों में फैल गई हैं ? इन राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विस्तृत प्रश्न है जिसका इस दुर्घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Will the hon. Minister make a statement or we may put direct questions ?

Mr. Speaker : You may ask question now because he has already made a statement.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister might have received some more information by now.

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें कोई और जानकारी प्राप्त हुई है ?

डा० राम सुभग सिंह : 55 शवों में से दो की पहचान हो सकी है। उनमें से एक मेडिकल कालेज में पढ़ने वाले छात्र का जो उस गाड़ी में यात्रा कर रहा था, भाई था और दूसरा शव रेलवे स्टशन पर फेरी लगाने वाले व्यक्ति था। इस बात का समाचार मिला है कि मेडिकल कालेज के छात्र के भाई ने सरकारी रेलवे पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट को सूचना दी थी कि दो अज्ञात व्यक्ति अपने साथ दो बक्से लिये हुए रेल में चढ़े थे और वे मनीपुर रोड रेलवे स्टेशन पर बक्सों को रेलगाड़ी में छोड़ कर उतर गये थे। इस सूचना के बारे में तथ्यों की जांच की जा रही है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तथा रेलवे अधिकारियों ने क्या कायवाही की ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं बता चका हूं कि सारे मामले की विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है। यह दुर्घटना भी उसी प्रकार की है जिस प्रकार की रेल दुर्घटना 16 फरवरी को हुई थी।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : इस बात को दखते हुए कि तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती है, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है पिछले दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही ह। हम चाहते है कि सरकार इन्ह रोकने के लिये ठोस और कारगर कार्यवाही करे।

डा० राम सुभग सिंह : पहल दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित किया गया है। सभी रेल गाड़ियों के साथ सुरक्षा सेना के कर्मचारी रहते है। रेलगाड़ी से पहले गश्त लगाने वाली रेल-गाड़ियां जाती है। सर्चलाइट मार्गदर्शकों की व्यवस्था की गई है। भविष्य में सुरक्षा के लिये हम इस सम्बन्ध में राज्य सरकार, प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा गृह कार्य मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करेंगे। हम लुमडिंग जा रहे है। अध्ययन के परिणामों बाद आगे कड़ी की कार्यवाही की जायेगी। हम यात्रियों की सुरक्षा के लिये यथासंभव उपाय करेंगे।

श्री नि० र० लास्कर : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से ऐसा लगता है कि सरकार इस प्रकार को कायवाहियों को रोकने में असमर्थ है। जनता में विश्वास पैदा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि इस प्रकार की कार्यवाहियों को किस प्रकार रोका जाये। हम यात्रियों तथा रेलवे की जान माल की रक्षा के लिये यथा संभव पूर्वोपाय करेंगे।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : यह इस प्रकार की पहली घटना नहीं है। लुमडिंग एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। वहां पर पुलिस थाना भी है। यह कैसे हो सकता है कि पुलिस इस प्रकार की गतिविधियों से अनभिज्ञ रहे। सरकार वहां की पुलिस के विरुद्ध क्या कारगर कार्यवाही कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : वहां न केवल पुलिस थाना है, अपितु पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट भी दुर्घटना के समय घटनास्थल पर थे।

अध्यक्ष महोदय : आज प्रातःकाल मंत्री महोदय ने बताया था कि एक यही उपाय रह गया है कि प्रत्येक पार्सल और सामान की तलाशी ली जाये। क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैंने इस सुझाव की ओर प्रधान मंत्री तथा गृह कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया है। यदि वे निदेश दें तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : हम लोग इस सुझाव पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे है। इस सम्बन्ध में मैंने राज्य सरकार से भी बातचीत की थी। यात्रियों की सुरक्षा के लिये सभी संभव उपाय किये गये है। इस सुझाव को मानकर प्रत्येक सामान की तलाशी की व्यवस्था की जाने पर यात्रियों को बहुत असुविधा होगी। हमें कोई मार्ग निकालना ही होगा तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Does the Government think that the foreign elements and organisation might have helped in supplying such a powerful explosives to them which can kill and injure such a large number of people, and if so what are its details ?

Dr. Ram Subhag Singh : Since last year eight such incidents of sabotages have taken place. It is really very unfortunate that so many innocent people were killed in these two incidents. I think somebody must be supplying those powerful explosives from outside the Country. It seems to be a very big racket.

श्री स० मो० बानर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह इस प्रकार की आठवीं घटना है। क्या सरकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जांच का कार्य रेलवे अधिकारियों द्वारा कराने के बजाय केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग को सौंपने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि लुमडिंग से बदरपुर तक तथा लुमडिंग से मरियनई तक के सारे क्षेत्र में रेलव पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल का कार्य सेना के नियंत्रण में होता है। हम उस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिये कोई कसुर नहीं रखेंगे। मैं गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जांच कर के अपराधी का पता लगाया जाये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How many persons have been arrested in these eight incidents which took place since last year ? Has any special intelligence department been established for this purpose ? Has the Government ascertained that in which countries this explosive was manufactured ?

श्री नन्दा : इस क्षेत्र में 1963 में ऐसी दो घटनाएं हुई थी। 1964 में वहां कुछ अधिक घटनाएं हुई। 1965 में 6-7 घटनाएं हुई। मार्ग की सुरक्षा के लिये आवश्यक उपाय किये गये हैं। अब एक नई बात यह हुई कि लोग टाइम बमों का प्रयोग कर रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। बम रखने वाले एक व्यक्ति की बम फट जाने से मृत्यु हो गई थी। हमने उसकी शिनाख्त कर ली थी। मैं सारा आरोप अपने ऊपर लेने के लिये तैयार हूं। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सम्बन्ध है, वह सेना के हाथ में है। हम राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाय रखने में सहायता करते हैं। हम केवल स्थिति के बारे में सलाह दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस बात का पता चल गया है कि उन्हें ये वस्तुएं कहां से मिलती हैं ?

श्री० नंदा : इसके लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये विस्फोटक पदार्थ यहां भी बनाये जा सकत है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि पिछली बार जब छिपे नागाओं से बातचीत चल रही थी उसके तुरन्त बाद इसी प्रकार की घटना हुई थी और क्या सरकार इस बात को मानती है कि छिपे नागा सरकार के सद्भावनापूर्ण कार्य का अनुचित कार्य के लिए उपयोग कर रहे हैं ?

श्री नन्दा : वार्ता के दौरान इस प्रकार की घटनाएं कम होती हैं। अन्य अवसरों पर भी ऐसी अधिक घटनाएं हुई हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या नागा लोग सरकार के अच्छे इरादों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ?

श्री नन्दा : सरकार द्वारा वार्ता जारी रखने कारणही ये घटनाएं कम होती हैं।

श्री प्रिय गुप्त : चूंकि सरकार इन घटनाओं को नहीं रोक सकती है अत: मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में पूरी तलाशी की व्यवस्था की जाये और बिना परमिट के उस क्षेत्र में किसी को न जाने दिया जाये।

श्री नंदा : मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकारकी कार्यवाही से ये घटनाएं रूक जायेंगी।

Shri Vishva Nath Pandey (Salempur) : According to press reports the incident took place at the station and the police cordoned of the Railway police just after the incident. May I know whether the explosive was kept at the station or it was brought in train from some other place ?

Dr. Ram Subhag Singh : I have already stated that the veracity of the information received from the medical student is being verified by the Railway Police.

श्री रा० बरुआ : नई दिल्ली में छिपे नागा नेताओं के साथ बातचीत के पहले दौर के समय कुछ सरकारी प्रवक्ताओं ने कहा था कि छिपे नागाओं का एक विद्रोही दल ही इस प्रकार की कार्यवाहियों कर रहा है और उस समय किसी नागानेता ने यह नहीं कहा कि वे इसके लिये उत्तरदायी नहीं हैं और यदि है, तो गृह कार्य मंत्री प्रधान मंत्री से स्पष्ट रुप से यह क्यों नहीं कहते कि वह बात चीत के लिये आने वाले नागाओं को यह बताये कि इस प्रकार की कार्यवाहियां बन्द की जायें अन्यथा हम उनसे बात नही करेंगे ?

श्री नन्दा : वार्ता के दौरान ये सब बातें उन्हें स्पष्ट रूप से बताई जायेंगी, मुझे आशा है कि अगली वार्ता नागाओं से अन्तिम वार्ता होगी।

Shri Yashpal Singh : May I know whether any steps are being taken to raise the morale of loyal Nagas who are co-operating with the Government ?

श्री नन्दा : नागालैंड की सरकार देशभक्त नागाओं के सहयोग से ही वहां का प्रशासन चला रही है ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : चूंकि बड़ी रेलवे लाइन आसाम और नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्र से होकर जाती है जहां हाल में कई दुर्घटनाओं में काफी जान माल की हानि हुई अतः क्या सरकार इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से (1) जखलाबन्द और बरुआवामुगाव, (2) जोरहाट और शिवसागर तथा (3) मोरखात और डिब्रूगढ़ को मिलाकर एक दूसरी रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव को जो लम्बे समय से विचाराधीन है, स्वीकृत करने के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार करेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : यह एक सुझाव है इस पर हम विचार करेंगे । किन्तु हम भय के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कि रेलवे लाइन का प्रयोग बन्द नहीं कर सकते हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : घनसारी में हुई पिछली दुर्घटना के समय इस सभा में आश्वासन दिया गया था कि यात्रियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायेगी । अतः मैं जानना चाहता हूं कि सुरक्षा के सभी उपाय क्यों नहीं किये गये, यात्रियों के सामान की तलाशी क्यों नहीं ली जाती है और संदिग्ध व्यक्तियों का उस क्षेत्र में आना जाना बन्द क्यों नहीं किया जाता ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य रेलवे में रह चुके है अतः वह रेलवे के नियमों से भली भांति परिचित है । यात्रियों के सामान की प्रत्येक स्टेशन पर तलाशी नहीं ली जाती है । हमने सुरक्षा के सभी उपाय किये हैं । हमें स्थिति से भागना नहीं चाहिए अपितु उसका मुकाबला करना चाहिए इन विस्फोटों में तोड़ फोड़ करने वाले लोगों अधिक सफलता नहीं मिली । हम डर से किसी क्षेत्र से होकर जाने वाली रेलवे लाइन का परित्याग नहीं कर सकते हैं ।

Shri R. S. Pandey : Keeping in view the inconvenience of passengers it is not possible to search their luggage before they get into the train ? What action has been taken by the Railway police to arrest the people engaged in the activities of sabotage ? Has the Government any information about such element of that area ?

Shri Nanda : The element is more active along the railway track on the boundary of Nagaland. Police posts have been and are being set up along the track for security measures.

Shri Onkar Lal Berwa : On what basis the Government can say the Nagas or Pakistanis are behind these explosions ? The jeep seized belonged to Nagas and the ammunitions recovered in it borne Pakistani marks.

Dr. Ram Subhag Singh : I only said that the matter is being investigated.

Shri Chandramani Lal Chaudhry (Mahua) : What was in it? Did they bear any marks ?

श्री नन्दा : आज प्रातःकाल श्री हेम बरुआ ने सूचना दी थी वहा पर एक जीप में तथाकथित नागालैंड के कुछ अधिकारी थें और कुछ गोलाबारुद और दस्तावेज मिले । माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी मांगी थी । मैंने उस समय कहा था कि मुख्य मंत्री आज

[श्री नंदा]

रात को दिल्ली आ रहे हैं और मैं उनसे जानकारी प्राप्त करके सभा को दूंगा। किन्तु इस दुर्घटना के कारण अब वह दिल्ली नहीं आ रहे हैं। टेलीफोन पर मुझे जो कुछ जानकारी [illegible] है वह मैं सभा को दूंगा।

माननीय सदस्य की यह सूचना सही है कि वहां पर एक जीप में कुछ व्यक्ति [illegible] शान्ति मिशन की ओर से घूम रही थी। उन्हें दो व्यक्तियों के पास कुछ गोलाबारूद मिला। [illegible] लिये उन्हें रोक लिया गया था। मामला न्यायालय को सौंपा गया है, दस्तावेज भी न्यायालय में पेश किये गये हैं।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर तथा कथित नागालैंड सरकार के खाद्य तथा कृषि मंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव तथा एक ब्रिगेडियर था या नहीं? क्या वहां पर नागालैंड सरकार की नम्बर 12 की प्लेट लगी जीप थी या नहीं? क्या तथाकथित नागा सरकार के ये मंत्री शिलांग से हिदायत मिलने पर छोड़ दिये गये थे?

श्री नन्दा : यह सही है कि वे अपने आपको मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बताते हैं। वे अपने आपको चाहे कुछ भी कहें किन्तु हम उन्हें मान्यता नहीं देते हैं। अनधिकृत रूप से गोलाबारूद रखने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। यह सही है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अन्य लोगों को नहीं।

श्री हेम बरुआ : यह बहुत गंभीर मामला है। केवल ड्राइवर और चपरासी को गिरफ्तार किया गया और शेष लोगों को छोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यदि और जानकारी प्राप्त कर सकें, तो वह सभा को दे सकते है।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 22 अप्रैल, 1966/2 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on the Friday, April 22, 1966/Vaisakha 2, 1888 (Saka).

भा.स.मु.ना.–से 4–60 लोक सभा/66–15-9-67–565